रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 1991 (आश्विन 6, 1913)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1991 (ASVINA 6, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय कम्पनी विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

कलकत्ता—700001, दिनांक 26 जुलाई 1991

सं० डी० एफ० सी० (सी० ओ० सी०) 59/डी० जी० (आर)—91—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से आश्वस्त होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977 में निम्नलिखित रीति से संशोधन किये जायें जो तत्काल लागू होंगे, अर्थात्—

1. पैराग्राफ 10क में

"1 अप्रैल, 1989 को और से" शब्दों तथा "चौदह प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर" शब्दों को क्रमशः "27 जुलाई, 1991 को और से" तथा "पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

2. पैराग्राफ 11 में

उप-पैराग्राफ (ii) के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ (iii) जोड़ दिया जाए :

"(iii) किराया खरीद और उपस्कर पट्टे पर देने वाली कम्पनियों द्वारा लौटायी जाने वाली जमा राशि पर, उस जमा-राशि की तारीख से चौबीस महीनों की अवधि से पहले, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । तथापि, ऐसी जमा राशि की तारीख से छः महीने की अवधि के बाद ही जमाकर्ता को उस राशि पर देय ब्याज दर से दो प्रतिशत अंक अधिक की दर पर जमाराशि के 75 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है ।"

3. पैराग्राफ 12 में

इस पैराग्राफ के अन्त में पूर्ण विराम को हटाकर निम्न-लिखित अंश जोड़ा जाए, अर्थात् :

"तथा 1 नवम्बर, 1991 को और से ऐसी चल आस्तियां कम्पनी की बहियों में बकाया जमा राशियो के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होंगी ।"

सं० डी० एफ० सी० (सी०ओ०सी०) 60/डी० जी० (आर)–91—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस उद्देश्य के लिए उसे समर्थ बनाने-वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से आश्वस्त होकर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि विविध गैर-बैंकिंग कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1977 में निम्नलिखित रीति से संशोधन किये जाएं जो तत्काल लागू होंगे, अर्थात्—

पैराग्राफ 9क और 9क(क) में "1 अप्रैल, 1981" शब्दों तथा "14 प्रतिशत वार्षिक" शब्दों को क्रमश: "27 जुलाई, 1991" और "15 प्रतिशत वार्षिक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

सी० रंगराजन,
उप गवर्नर

मुद्रा प्रबन्ध विभाग

मुम्बई–400 023, दिनांक 11 सितम्बर, 1991

31 अगस्त, 1991 की संख्या 1—भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट निर्गम) उप विनिमय, 1935 के विनियम 3(1), 4(5) और 4(7) में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 58 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट निर्गम) अधिनियम, 1935 के उप-विनियम 3(i), 4(5) और 4(7) में निम्नानुसार संशोधन करता है अर्थात् वर्तमान उप-विनियम 3(1), 4(5) और 4(7) की जगह पर दिनांक 9 मई, 1991 से निम्नानुसार उप विनियम प्रतिस्थापित होंगे ।

3(i) मुंबई (फोर्ट), कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में निर्गम विभाग के चार कार्यालय होंगे और अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, भायखला (मुंबई), गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना और तिरुवनन्तपुरम में उनकी ग्यारह शाखाएं होंगी ।

4(5) भायखला (मुंबई)—इसके अन्तर्गत गोवा राज्य के साथ महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, जालना, कोल्हापुर, लातुर, नांदेड, नासिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर और ठाणे ज़िले होंगे ।

4(7) गुवाहाटी : इसके अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों का समावेश होगा ।

पी० आर० नायक,
उप गवर्नर

बंगलौर, दिनांक 11 सितम्बर, 1991

30–6–1991 को समाप्त छमाही के लिये खोये गये आदि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड की सूची की प्रकाशन

भाग क कुछ नहीं

भाग ख 6 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड 1985 (II शृंखला)

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु० में	जिसके नाम जारी	किस तारीख से ब्याजयुक्त	से अनुलिपि जारी करने और/या विमुक्ति मूल्य के भुगतान के लिये दावेदार का/के नाम	जारी किये गये अनुदेशों की संख्या और तारीख	प्रकाशन सूची की तिथि जिसमें प्रति-भूति का प्रथम प्रकाशन हुआ ।
बी० एस० 000092	रु० 50000	दि कर्नाटक इण्डस्ट्रियल को आपरेटिव बैंक लि०	29–10–84	दि कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लि०	सी० ओ० 69 ए दिनांक 27–9–88	12–11–88
बी० एस 000093	रु. 50000	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—

दी इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस ऑफ इंडिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 30 अगस्त 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्टेस)

सं० I–सी० ए० (5)/42/ 91–चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स अधिनियम 1949 की धारा 18 की उप धारा (5) के अनुसार 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद के अंकेक्षित लेखा तथा प्रतिवेदन की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतदद्वारा प्रकाशित की जा रही है ।

एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

---

31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 42वां वार्षिक प्रतिवेदन

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद को 01 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के लिए अपना 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अपार हर्ष हो रहा है। यह प्रतिवेदन परिषद तथा इसकी विभिन्न समितियां की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। इस प्रतिवेदन में वर्ष भर में आयोजित गोष्ठियों एवं सम्मेलनों वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण के कार्यक्रमों तथा सदस्यों एवं विद्यार्थियों से संबंधित आवश्यक आंकड़ों को भी सम्मिलित किया गया है । यद्यपि इस प्रतिवेदन में सांख्यिकीय सूचनाएं तथा संस्थान के लेखे उपरोक्त वर्ष से संबंधित है फिर भी संस्थान की सितम्बर, 1991 तक की कार्यवाइयों का संक्षेप में वर्णन किया गया है ।

1. परिषद

1.1 परिषद के सदस्य :

परिषद की संरचना को इस प्रतिवेदन की परिशिष्ट 1 में दिया गया है ।

1.2 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष :

श्री ए० एच० दलाल, एफ०सी०ए०, बम्बई एवं श्री के० एम० अग्रवाल, एफ०सी०ए०, नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1990 तक इंस्टीटयूट के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बने रहे । परिषद इन दोनों महानुभावों द्वारा प्रदान सेवाओं की अपार प्रशंसा करती है तथा आभार प्रकट करती है ।

परिषद ने सितम्बर, 1990 में अपनी 146 वीं बैठक में श्री के० एम० अग्रवाल, एफ० सी० ए., नई दिल्ली तथा श्री एन० सी० सुन्दर राजन, एफ० सी० ए०, मद्रास को, 17 सितम्बर, 1990 से एक वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित किया ।

1.3 सचिव

श्री एम०सी० नरसिम्हन, इंस्टीटयूट के सचिव बने रहे ।

1.4 समितियां :

अपनी 146 वीं बैठक में परिषद ने तीन स्थाई समितियां–कार्यकारी समिति, परीक्षा समिति एवं अनुशासनात्मक समिति का गठन किया । इन स्थाई समितियों के अलावा परिषद ने कराधान, कम्पनी कानून, अवांच्छित शिक्षा एवं व्यवसायिक विकास जैसे विषयों के मामले में अनेक अस्थाई समितियों का भी गठन किया । इन स्थाई एवं अस्थाई समितियों की सूची तथा इनका समन्वय इस प्रतिवेदन की परिशिष्ट 2 में दिया गया है ।

1.5 परिषद की बैठकें :

प्रतिवेदन समय के दौरान परिषद की 5 बैठकें आयोजित की गईं । इन बैठकों में से एक बैठक मार्च, 1991 के दौरान, इंस्टीटयूट के प्रधान कार्यालय से बाहर बंगलौर में हुई थी ।

1.6 आडिटर :

रिपोर्ट वर्ष के लिए, श्री एम० आर० वेंकटरमन तथा श्री सी० पी० मेहरा पुनः इंस्टीटयूट के आडिटर नियुक्त किए गए । इन महानुभावों द्वारा प्रदान सेवाओं की परिषद भूरी–भूरी प्रंशसा करता है ।

2. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों का परिसंघ (आई० एफ० ए०सी०)

सन् 1977 से भारत अन्तर्राष्ट्रीय लेखापालों के परिसंघ का सदस्य रहा है । इस अवधि के दौरान इंस्टीटयूट को आई० एफ० ए० सी० की परिषद तथा इसकी कुछ समितियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ । श्री के० जी० सोमानी, इंस्टीटयूट के भूतपूर्व अध्यक्ष को आई० एफ० ए० सी० की परिषद में मनोनीत किया गया है । श्री ए० एच० दलाल, भूतपूर्व अध्यक्ष तथा श्री ए० के० चक्रवर्ती परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य को क्रमशः आईफैक की अन्तर्राष्ट्रीय आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति (आई० ए० पी० सी०) तथा शिक्षा समिति में मनोनीत किया गया है । ये तीनों प्रतिनिधि, अक्तूबर, 1992 तक अपनी–अपनी समितियों में इंस्टीटयूट का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे ।

परिषद, आई० एफ० ए० सी० की टास्क फोर्स वर्किंग पार्टी में, इंस्टीटयूट के प्रतिनिधित्व के रूप में श्री एस०के० दास गुप्ता, एक भूतपूर्व अध्यक्ष के महत्वपूर्ण योगदान की काफी प्रशंसा करती है तथा अपना आभार प्रकट करती है ।

2.2 एशियाई एवं प्रशांत लेखापालों का महासंघ (कापा) :

इंस्टीटयूट, एशियाई एवं प्रशांत लेखापालों के महासंघ का भी सन् 1976 में इसकी स्थापना से सदस्य बना रहा

है। भारत "कापा" की कार्यकारी समिति में अपने सहयोगी संस्थान, दि इंस्टीच्यूट आफ कौस्ट एवं वर्क्स एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया के द्वारा प्रतिनिधित्व करता रहा है। सितम्बर, 1989 में भारत का कार्यकारी समिति में पुनः निर्वाचित हो गया। विश्व के अनेक भागों में कापा द्वारा आयोजित अधिवेशनों में इंस्टीट्यूट अपना प्रतिनिधि मंडल भेजता आ रहा है। कापा का पिछला अधिवेशन सितम्बर 1989 में सियाल में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व श्री ए० एच० दलाल, तत्कालीन अध्यक्ष ने किया था।

2.3 दक्षिण एशियाई लेखापालों का परिसंघ :

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया, साफा, जिसकी स्थापना सन् 1984 में की गई थी। के संस्थापक सदस्यों में से एक है। साफा असेम्बली की 14 वीं बैठक 16 और 17 जनवरी, 1991 को ढाका (बंगलादेश) में हुई थी। वर्ष 1991 के लिए बंग्लादेश के श्री हबीबूर रहमान आई० सी०एम० ए० को साफा का अध्यक्ष चुना गया और आई० सी० ए० आई० के अध्यक्ष श्री के०एम० अग्रवाल को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वर्ष 1991 के लिए भी आई० सी० ए० आई० के सचिव को साफा का सचिव बने रहने का निवेदन किया गया।

साफा असेम्बली की 15 वीं बैठक, 09 अगस्त, 1991 को कोलम्बो (श्रीलंका) में आयोजित की गई थी।

3. व्यावसायिक विकास

3.1 सामान्य :

परिषद की अस्थाई समितियों के व्यवसायिक विकास की गतिविधियों का संक्षिप्त सावृत नीचे दिया गया है :

3.2 लेखांकन मानक मंडल

3.2.1 वर्ष के दौरान लेखांकन मानक मंडल ने निम्न-विषयों पर प्रस्तावित विषयों पर लेखांकन मानकों अनावरित प्रारूप तैयार किए :—

(अ) लेखांकन मानक (ए० एस०) 12, जनवरी सरकारी अनुदान के लिए मानक

(ब) आय पर करों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक नोट

3.2.2 निम्नलिखित विषयों पर, लेखांकन मानकों का मसौदा, प्रारूप मण्डल के विभिन्न स्तरों पर है :—

(अ) निवेशों के लिए लेखांकन

(ब) अमालगमेसन के लिए लेखांकन

(स) कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त लाभों के लिए लेखांकन

इसी प्रकार "रिपोर्टिंग फाइनैन्सियल इन्फारमेशन वाई सेगमेंट" के ऊपर एक मार्ग दर्शक नोट, मण्डल के विचारा-धीन है।

3.2.3. अपने कार्य प्रणाली के एक भाग के रूप में, मण्डल (बोर्ड) ने लेखांकन मानक (ए० एस०) 4, कन्टीनजैन्सीज एण्ड इवैन्ट्स अकरिंग आफ्टर बैलेन्स शीट डेट, लेखांकन मानक (ए० एस०) 5, प्रायर पीरयड एण्ड एक्सट्रा आर्डिनरी आइटम्स एण्ड चैन्जेज इन काउंटिंग पालीसीज और लेखांकन मानक (ए०एस०) 6 मूल्यहास लेखांकन का पुनरअवलोकन का कार्य शुरू किया है।

3.2.4. वर्ष के दौरान, परिषद् ने निम्नलिखित लेखांकन मानकों को अनिवार्य करने का फैसला किया है :—

(अ) ए एस 1, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण

(ब) ए एस 7, निर्माण सम्बन्धी सौदों के लिए लेखांकन

(स) ए एस 8, अनुसंधान एवं विकास के लिय लेखांकन

(द) ए एस 9, राजस्व मान्यता

(य) ए एस 10, सावधी सम्पति के लिय लेखांकन

(र) ए एस 11, विदेशी मुद्रा विनियम दर में परिवर्तनों का प्रभाव के लिय लेखांकन।

उपरोक्त मानकों को 1-4-1991 या उसके बाद की अवधि से शुरू होने वाले लेखों के सदर्भ में उन कम्पनियों के लिय जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 से शासित है तथा दूसरे उपक्रमों जिनमें कि निम्नलिखित शामिल नहीं हैं, के लिये अनिवार्य कर दिया गया है :—

(ए) सोल प्रोपराइटरी कनसर्न

(बी) पार्टनरशिप फर्म

(सी) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समितियां

(डी) न्यास

(ई) हिन्दु अविभाजित परिवार

(एफ) व्यक्तियों के संघ

उपरोक्त (ए) से (एफ) तक के उपक्रमों के सदर्भ में, उपरोक्त मानक, 1-4-1993 से या उसके बाद से शुरू होने वाले लेखों के बारे में अनिवार्य होंगे।

3.3. आडिटिंग प्रैक्टिसेज समिति :

3.3.1. वर्ष के दौरान, समिति ने "विशेषज्ञ का कार्य प्रयोग करते हुए" नामक स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसेज (एस० ए० पी०) का मसविदा तैयार किया तथा इसे एस० ए० पी० 9 के रूप में प्रकाशित किया।

3.3.2. समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शक नोट्स भी तैयार किये :—

(अ) इनवैन्ट्रीज का आडिट

(ब) वेतनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों का आडिट

(स) आडिट नियुक्ति पत्र।

3.3.3. निम्नलिखित विषयों पर मानक लेखा परीक्षण पद्धतियों का प्रतिपादन विभिन्न स्तरों पर है :—

(ए) दूसरे लेखा परीक्षक के कार्य का प्रयोग

(बी) सह-लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

(सी) प्रबन्ध द्वारा प्रतिनिधित्व

(डी) भौतिकता एवं लेखा परीक्षण जोखिम

(ई) विश्लेषणात्मक पुनरअवलोकन

3.3.4. समिति निम्नलिखित विषयों पर मार्ग दर्शक पत्रों के विकास के कार्य में तल्लीन है :—

(ए) निवेषों का लेखा परीक्षण

(बी) नकद एवं बैंक बकाया का लेखा परीक्षण

(सी) देयताओं का लेखा परीक्षण।

(डी) पूंजी एवं आरक्षित पूंजी का लेखा परीक्षण

इसके अतिरिक्त "ई० डी० पी० वातावरण में लेखा परीक्षण" के ऊपर अध्ययन का काम भी समिति कर रही है।

3.3.5. समिति निम्नलिखित वर्तमान प्रकाशनों पर पुनः विचार कर रही है :—

(अ) कम्पनियों के (जमा स्वीकार्य) नियम, 1975 के अनुसार लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शक नोट

(ब) बैंकों के लेखा परीक्षण पर अध्ययन

3.3.6. समिति ने बम्बई, कलकत्ता, जयपुर और मद्रास में, इंस्टीट्यूट के "स्टेटमेंट ओन आडिटिंग प्रैक्टिसज" नामक प्रकाशन के आधार पर स्टैण्डर्ड आडिटिंग प्रैक्टिसज और मार्गदर्शक पत्री के प्रतिलेख पर प्राथमिक मसविदा तैयार करने के लिये अध्ययन समूहों का गठन किया है।

3.4. अनुसंधान समिति

3.4.1. इस अवधि के दौरान समिति ने निम्नलिखित स्टडीज को प्रकाशित किया

(i) विदेशी सहयोग पर स्टडीज

(ii) अधिलाभ का भुगतान अधिनियम 1965—एक लेखापाल का अध्ययन (संशोधित संस्करण)

3.4.2. निम्नलिखित प्रकाशनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा इनके शीघ्र ही प्रकाशित किये जाने की आशा है :—

(i) आन्तरिक लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शिकाए—सीमेंट उद्योग

(ii) शैक्षणिक संस्थाओं के लेखा परीक्षण के लिए तकनीकी गाइड

(iii) विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन अधिनियम पर लेखापाल की गाइड

3.4.3. सन् 1988 में मार्गदर्शक पत्रों के खण्ड–2 के संग्रह का प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के उपरान्त होने वाले परिवर्तनों को शामिल करते हुए इसका दूसरा संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है।

3.4.4. सन् 1988 में प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के उपरान्त होने वाले अनेक परिवर्तनों को शामिल करते हुए प्रलेखों एवं मानकों का संग्रह जिसमें कि अन्तर्राष्ट्रीय आडिटिंग मार्गदर्शिकाएं भी शामिल हैं, का दूसरा संशोधित संस्करण शीघ्र ही बिक्री हेतु जारी किया जायेगा।

3.4.5. उपरोक्त अतिरिक्त, अनेक योजनाएं, पूर्ण रूप से तैयार होने के भिन्न-भिन्न स्तरों पर है :—

(i) योजना अनुमान—भारतीय वित्तीय संस्थाओं आहर्ताएं (वर्तमान प्रकाशन "योजना मूल्यांकन भारतीय वित्तीय संस्थाओं की अहर्ताओं के संदर्भ में" का संशोधन।

(ii) कोर्पोरेट रिपोर्टिंग पर रिसर्च प्रोजैक्ट

(iii) कोर्पोरेट फाइनैन्सियल एनालिसिस

(iv) स्टडी ओन अमालगमेशन एण्ड मर्जर

(v) फिल्म उद्योग के लिये लेखांकन एवं अनेकों तकनीकी पुस्तिकाएं, और

(vi) अनेकों उद्योगों जैसे, आटोमोबाइल, ड्रग्स एवं फार्मेस्यूटिकल, टैक्सटाइल, चीनी, होटल, टायर इत्यादि से संबंधित आन्तरिक लेखा परीक्षण मार्ग–दर्शिकाएं।

3.4.6. लेखांकन, वित्त, कराधान एवं संबंधित क्षेत्रों में "पी० जी० भगवत रिसर्च फैलोशिप" शेयरहोल्डर इन्टरेस्ट एण्ड कार्पोरेट इन्टरप्राइजेज—ए स्टडी ऑफ लीगल प्रोविजन एण्ड परसैप्शन एण्ड इमेंजिंग ट्रेण्ड" नामक विषय पर अनुसंधान करने हेतु मैसूर के श्री अशुमान, ए० एस० को प्रदान की गई है।

3.4.7. पिछले वर्षों की भांति वर्ष 1989–90 के लिए इंस्टीट्यूट ने (i) सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों एवं गैर-वित्तीय वैधानिक निगमों, (ii) गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र की कम्पनियों, और (iii) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को सर्वोत्तम ढंग से लेखा प्रस्तुत करने का पुरस्कार दिया। अनेक श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम निम्न प्रकार से हैं—

(i) चांदी की वैजयन्ती इंडियन टलीफोल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान की गई तथा एच० एम० टी० लिमिटेड को अति प्रशंसनीय लेखा के लिये प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की गई

(ii) चांदी की वैजयन्ती बृटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को तथा अति प्रशंसनीय लेखा के लिये प्रशस्ति पट्टिका दि इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को प्रदान की गई।

(iii) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में चांदी की वैजयन्ती भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" को प्रदान की गई।

3.5. व्यावसायिक विकास समिति

3.5.1. पिछले वर्षों की भांति, समिति ने लेखा परीक्षकों का एक पैनल तैयार किया तथा इसे अनेक बैंकों द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में सुविधा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा ।

3.5.2. समिति ने बैंक आडिट से संबंधित निम्नलिखित पहलूओं पर संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श किया :—

(1) लेखा परीक्षण के अन्तर्गत शाखाओं की संख्या को बढ़ाना

(2) बैंक के लेखा परीक्षकों की समय से नियुक्ति

(3) शुल्क में बढ़ोत्तरी

(4) लेखा परीक्षण का और अधिक समान रूप से वितरण तथा देश की बैंकिंग व्यवस्था के कार्यकलापों में सुधार लाने हेतु इंस्टीट्यूट की भूमिका, और

(5) लॉंग फार्म आडिट रिपोर्ट का संशोधन के मामलों पर भी विचार विमर्श किया गया ।

3.5.3. खजुराहों में आन्तरिक लेखा परीक्षण विषय पर एक आवासीय गोष्ठी का आयोजन किया गया । अनेक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों ने इस गोष्ठी में भाग लिया ।

3.6 उद्योगरत सदस्यों हेतु समिति

उद्योगों में लगे हुए सदस्यों के स्तर में सुधार तथा रोजगार के लिये नये क्षेत्रों की खोज एवं विकास के कार्य में समिति वर्ष के दौरान भी प्रयत्नशील रही, इंस्टीयूट की गतिविधियों में उद्योगों में लगे सदस्यों को और अधिक रूप में जोड़ने तथा उनमें अपनेपन की भावना को जागृत करने हेतु यह निश्चय किया गया है कि परिषद् की प्रत्येक अस्थायी समिति में कम से कम सदस्य को मनोनीत किया जाय।

परिषद् ने यह भी निश्चय किया है कि विदेशों में रह रहे सदस्यों को भी इंस्टीट्यूट की गतिविधियों से जोड़ा जाय । इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए, इस प्रतिवेदन वर्ष की अवधि से, इंस्टीट्यूट के मस्कट चैप्टर से एक सदस्य को समिति में मनोनीत किया गया है । समिति की बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा का खर्चा सदस्य द्वारा वहन किया जायेगा और इंस्टीट्यूट द्वारा उसे केवल दैनिक भत्ता और स्थानीय परिवहन भत्ता ही दिया जायेगा । ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से किया गया है ।

3.7 कम्पनी कानून समिति

3.7.1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की वर्तमान व्यवस्थाओं को सरलीकरण और नियन्त्रित करने के उद्देश्य से कम्पनी कार्य विभाग ने महत्वपूर्ण संशोधन तैयार किए हैं। इस विषय में इस विभाग ने इंस्टीट्यूट से सुझाव आमन्त्रित किये हैं । इस उद्देश्य हेतु समिति ने कम्पनी अधिनियम की अनेक व्यवस्थाओं, विशेषतया उनको जिनका लेखा एवं लेखा परीक्षण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है पर विचार करने हेतु, इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों एवं सदस्यों के पांच अध्ययन दलों का गठन किया है ।

3.7.2. समिति ने "चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट की भूमिका विज ए विज सी० आई० एफ० आर०" पर एक स्टडी का प्रारूप तैयार तथा पारित कर दिया है । इसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

3.7.3. समिति ने कम्पनी (संशोधन अधिनियम, 1988 में संशोधनों को मद्देनजर रखते हुए "गाइड टू कम्पनी आडिट" को संशोधित करने का निश्चय किया है और इस उद्देश्य हेतु एक गठन किया है ।

3.7.4. समिति ने "सेबी" द्वारा प्रस्तावित प्रोसपेक्टस का नया फोरमेट तथा इसका सन्तुलित फार्म पर अपने सुझाव भेज दिये हैं ।

3.7.5. समिति ने कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित का आयोजन किया :—

(अ) कलकत्ता में "कराधान एवं कम्पनी कानून" पर 22वीं सम्पूर्ण भारत गोष्ठी,

(ब) मंगलौर में "कराधान एवं कम्पनी कानून" पर आवासीय पाठ्यक्रम, और

(स) नई दिल्ली में "कराधान एवं कम्पनी कानून" पर 23 वीं सम्पूर्ण भारत गोष्ठी ।

3.8. कराधान समिति

3.8.1. नियमों एवं प्रणालियों का सरलीकरण

10 मई 1991 को इंस्टीट्यूट ने, आय कर लैवी से संबंधित नियमों एवं प्रणाली के सरलीकरण के परीक्षण के लिये सी० बी० डी० टी० द्वारा श्री ए० एन० मिश्रा की अधीन गठित कार्यकारी दल को एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया ।

3.8.2. कर लेखा परीक्षण पर पुनः विचार

इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों ने, अनुभाग 44ए की टैक्स आडिट की व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन तथा इससे संबंधित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत रिपोर्टिंग के फार्मों के संशोधन पर पुनः विचार करने के लिये सी० बी० डी० टी० द्वारा श्री ए० एन० मिश्रा के अधीन गठित एक दूसरी समिति की भी सहायता की ।

3.8.3. प्रत्यक्ष कर रिटर्न फार्मों का संशोधन

आयकर, सम्पत्ति कर एवं उपहार कर रिटर्न फार्मों के संशोधन हेतु सी० बी० डी० टी० द्वारा गठित एक समिति के कार्यों में इंस्टीट्यूट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ।

3.8.4. केन्द्रीय बजट

इंस्टीट्यूट का बजट पूर्व ज्ञापन वित्त मंत्री, सी० बी० डी० टी० एवं सी० बी० ई० सी० के सभापति एवं अन्य प्राधिकरणों को प्रस्तुत किया गया । बजट पूर्व परामर्श के लिये वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में अध्यक्ष ने भाग लिया ।

12 अगस्त, 1991 को वित्त विधेयक की व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों पर इंस्टीट्यूट के विचार एवं सुझावों को शामिल करते हुए सरकार को एक बजट उपरान्त ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया ।

3.8.5. कराधान एवं कम्पनी कानून पर आवसीय पाठ्यक्रम

कराधान एवं कम्पनी कानून पर तेरहवां आवासीय पाठ्यक्रम मंगलौर में आयोजित किया गया । 28 प्रतिनिधियों ने इस पाठ्यक्रम

में आवासीय आधार पर भाग लिया जबकि पंगलौर में रहने वाले 14 सदस्यों ने गैर-आवासीय प्रतिनिधियों के रूप में इस पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

3.8.6. सी० बी० डी० टी० को प्रतिवेदन

समय-समय पर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रत्यक्ष कर नियमों एवं उनके प्रशासन से संबंधित अनेक विषमताओं एवं कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सी० बी० डी० टी० के सभापति को अनेक ज्ञापन प्रस्तुत किय गये । इसमें विशेषतया निम्नलिखित मामलों क्षेत्रों को शामिल किया गया :—

(1) कोर्पोरेट एवं गैर कोर्पोरेट कर-दाताओं द्वारा आय की रिटर्न फाइल करने की समय सीमा ।

(2) कम्पनियों द्वारा देय बढ़े हुए सरचार्ज को जमा करने की समय सीमा ।

(3) मोडवेट क्रेडिट का कराधान

(4) अनुभाग 143(1) (ए) के अन्तर्गत कर निर्धारण की नई पद्धति ।

3.8.7. अनुभाग 80 एच० एच० बी० एवं 80 एच०एच०सी० के अन्तर्गत लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शक पत्र "क" दूसरा संशोधित संस्करण जारी किया गया । चेरिटेबिल न्यासों एवं संस्थाओं के कराधान पर स्टडी संशोधन-स्तर पर है ।

3.9. अविच्छिन्न व्यावसायिक शिक्षा समिति

3.9.1. एकाउंटिंग एवं आडिटिंग मानकों पर गोष्ठियां

सदस्यों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इस वर्ष से समिति ने अविच्छिन्न व्यवसायिक शिक्षा के कार्य-क्रमों में मूल परिवर्तन करने का निश्चय किया है जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों को इससे कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके ।

उपर्युक्त विषय पर पूरे भारत में समिति ने बड़ी संख्या में गोष्ठियों का आयोजन किया । इन गोष्ठियों का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक लेखांकन में, विशेषतया अधिक से अधिक लेखांकन मानकों को अनिवार्य करने का परिषद् के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एकाउंटिंग एवं आडिटिंग मानकों के बढ़ते हुए महत्व पर विचार करने हेतु एक मंच की व्यवस्था करना था । एक ही पाठ्यक्रम के अधीन करीब 10,000 से अधिक सदस्यों एवं अन्य की उपस्थिति में 70 गोष्ठियों को आयोजित किया गया ।

3.9.2 कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

इंस्टीट्यूट के सदस्यों एवं विद्यार्थियों को उचित रूप से रचित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने हेतु बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कानपुर एवं नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों में पांच कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये गये । कम्प्यूटर के प्रयोग विशेषतया लेखापालों के हित के क्षेत्रों में, भाग लेने वालों को प्रशिक्षण देने हेतु एक तीन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किया गया है । इन केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के प्रति प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है । सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम के अलावा इन केन्द्रों ने सीमित संख्या में सरकारी विभागों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के अधिकारि के लिये भी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया । वर्ष के दौरान 2027 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ।

3.9.3. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी कोर्स (भाग-I) की परीक्षाएं मई, 1990, नवम्बर 1990 और दिसम्बर 1990 में आयोजित की गई तथा कार्पोरेट मैनेजमेंट और टैक्स मैनेजमेंट कोर्सों के लिय मई 1990 में परीक्षाएं आयोजित की गई । इन परीक्षाओं का परिणाम इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 3 में दिया गया है ।

3.9.4 योग्यता छात्रवृत्ति

वर्ष के दौरान, इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट एकाउन्टैन्सी कोर्स की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10 विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रत्येक के हिसाब से छात्रवृत्तियां प्रदान की गई । यह योजना कार्पोरेट मैनेजमेंट एवं टैक्स में मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिये भी लागू कर दी गई हैं

3.9.5. प्रबन्ध एवं आर्थिक संग्रह

इंस्टीट्यूट प्रबन्ध तथा अर्थशास्त्र में समकालिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण लेखों के सारभूत अंशों को एकत्रित करके, नियमित रूप से हर तीसरे महीने में प्रबन्ध एवं आर्थिक संग्रह प्रकाशित करता आ रहा है ।

3.10 वक्ष सलाहकार समिति

वर्ष के दौरान समिति ने सैकड़ों शंकाओं पर विचार किया तथा इनका निदान किया । रायों का संग्रह खण्ड-10, जिसमें कि सितम्बर 1989 से सितम्बर 1990 तक समिति द्वारा जारी रायों को सम्मिलित किया गया है । को जांचा जा रहा है तथा इसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा । इससे पहले के रायों के संग्रहों खण्डों का संशोधन का काम भी किया जा रहा है ।

3.11. आचार संहिता समिति एवं अनैतिक रूप से हटाये गये लेख परीक्षकों के लिये समिति

3.11.1. समिति ने व्यवसायिक आचार संहिता के ऊपर सदस्यों से प्राप्त अनेक शंकाओं पर विचार किया तथा संबंधित स्पष्टीकरण जारी किये । "व्यावसायिक आचार संहिता" नाम प्रकाशन को संशोधित तथा संपूर्ण करने हेतु एक उप-समिति का गठन किय. गया था, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है ।

3.11.2 समिति ने अनैतिक रूप से हटाने गये लेखा परीक्षकों के मामले से संबंधित अनेक शिकायतों का परीक्षण किया ।

3.12 विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

3.12 1 विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त गोष्ठी

देश के अनेक विश्व-विद्यालयों से इंस्टीट्यूट में सम्पर्कों को मजबूत करने के अपने प्रयत्नों में समिति द्वारा निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त गोष्ठियों का आयोजन किया गया :—

(i) सेलम में 'शिक्षा एवं वाणिज्य' पर मद्रास विश्वविद्यालयों के साथ ।

(i) कलकत्ता में 'लेखांकन शिक्षा और स्तर आगे की मुश्किलें' कलकत्ता विश्वविद्यालयों के साथ।

3.12.2 सी०ए० पाठ्यक्रम को मान्यता

पी०एच०डी० पाठ्यक्रम के लिए चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी शैक्षणिक योग्यता को मान्यता देने हेतु, इंस्टीट्यूट ने विश्वविद्यालयों से अपना सम्पर्क बनाया रखा। इस समय, भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ और भारतीय प्रबंध संस्थान (अहमदाबाद और कलकत्ता) के अलावा 38 विश्वविद्यालयों ने सी०ए० की डिग्री को पी० एच० डी० कोर्स करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। इस उद्देश्य के लिए उन विश्वविद्यालयों की एक सूची जिन्होंने सी० ए० पाठ्यक्रम को मान्यता दी है इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 4 में दी गई है।

3.12.3 स्थायी निधि

बी०काम० परीक्षा में, एकाउन्टैन्सी विषय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्वर्ण पदक/पुरस्कार देने हेतु इंस्टीटयूट ने 26 विश्वविद्यालयों में स्थायी निधि की स्थापना की है।

अनेक विश्वविद्यालयों में स्थायी निधि निर्माण करने के अलावा, परिषद ने निर्णय लिया है कि स्नातक स्तर वाणिज्य में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले, तथा विज्ञान एवं कला में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, तथा एल० एल० बी० एवं तीन स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले उन समस्त विद्यार्थियों का जो सी० ए० का कोर्स करने के इच्छुक है, और प्रवेश हेतु सभी शर्तों को पूर्ण करते हो, उनके प्रवेश लेने पर शिक्षा/ पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी जायेगी।

3.12.4 सी०ए० पाठ्यक्रम का प्रसिद्धिकरण—

समिति क्षेत्रीय परिषदों एवं उनकी शाखाओं के माध्यम से सी० ए० पाठ्यक्रम का प्रसिद्धिकरण के लिए विभिन्न स्थानों पर भाषणों का प्रबंध करती रही है और इसके लिए "हम आपको चाहते हैं यदि आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक है" नामक पत्रिका का प्रयोग करती रही है।

3.12.5 वीडियों कैसेटों का निर्माण

सीमित इंस्टीटयूट के बारे में यू० जी० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत वीडियो कैसेट बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है।

4. अन्य मामले

4.1 इंस्टीट्यूट की वार्षिक बैठक

संस्थान की 41
अशोक होटल, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। इस समारोह में तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य एवं पर्यटन मंत्री श्री अरूण नेहरू मुख्य अतिथि थे। माननीय मंत्री ने सर्वोत्तम ढंग से लेखा प्रस्तुत करने का पुरस्कार जीतने वाली कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं को शील्ड तथा प्रशस्ति पट्टिकाएं प्रदान की। मुख्य अतिथि ने संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को पदक एवं पुरस्कार तथा अन्य कई पुरस्कार भी बांटे। समारोह में एक बड़ी संख्या में आमंत्रितगण उपस्थित थे तथा इसे दूरदर्शन इत्यादि ने कवर किया था। तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री के० एम० अग्रवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

4.2 नौएडा में इंस्टीट्यूट का नया भवन

नौएडा में इंस्टीट्यूट के नए परिसर का निर्माण कार्य सम्पूर्ण हो चुका है। भवन का उद्घाटन 05 अगस्त, 1991 को माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर (इंस्टीटयूट के एक भूतपूर्व अध्यक्ष) ने किया था। परीक्षा विभाग एवं अध्ययन मण्डल विभागों को नए भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

4.3 आन्तरिक कम्प्यूटर केन्द्र

इंस्टीट्यूट के कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए किया गया विस्तृत अध्ययन के आधार पर, अक्तूबर 1990 में सर्व प्रथम मद्रास कार्यालय के गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। इसके बाद, अब तक बम्बई एवं कानपुर कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण कर दिया है। दिल्ली में प्रधान कार्यालय तथा नई दिल्ली में विकेन्द्रीकृत कार्यालय में कम्प्यूटर व्यवस्था अब स्थापित कर दी है तथा इसे शुरू करने की प्रक्रिया में प्रगति हो रही है। यह आशा की जा रही है कि नवम्बर 1991 तक पांचों विकेन्द्रीकृत कार्यालयों को कम्प्यूटराइज्ड कर दिया जायेगा। कम्प्यूटराइजेशन हो जाने से इंस्टीट्यूट एवं विकेन्द्रीयकृत कार्यालय द्वारा सदस्यों एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं की रफ्तार एवं विशेषता में सुधार आयेगा।

4.4 परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों हेतु चुनाव

14 वीं परिषद की अवधि, जिसका गठन 17 सितम्बर, 1988 को किया गया था 16 सितम्बर, 1991 को समाप्त होना था, 15 वीं परिषद एवं 14 वीं क्षेत्रीय परिषदों के गठन के लिए 2 और 3 अगस्त, 1991 को चुनाव होने तय हुए थे। परन्तु कुछ न्यायालयों के निर्णयों को मध्य नजर रखते हुए चुनाधों को स्थगित करना पड़ा है। अब चुनाव जल्दी से कराए जाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, ऐसी आशा की जा रही है कि 1991 के समाप्ति से पहले नई परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों का गठन कर दिया जायेगा।

4.5 चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस विनियम, 1988 में संशोधन

4.5.1 जैसा कि पिछले रिपोर्ट में वर्णन किया गया था, परिषद ने चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस विनियम, 1988 में अनेक संशोधनों को प्रस्तवित किया था, उनमें से निम्नलिखित को केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति दे दी

है तथा इन्हें इनके आगे दी गई तिथि से लागू कर दिया गया है :—

(i) क्षेत्रीय परिषदों की शाखाएं :

19 जनवरी, 1991 से क्षेत्रीय परिषद की शाखा की स्थापना हेतु कम से कम सदस्यों की संख्या को 50 किलोमीटर की परिधि के अन्दर 50 से बढ़ा कर 100 कर दी गई है।

(ii) सदस्यता एवं अन्य शुल्क

01-4-1991 से वार्षिक सदस्यता एवं सर्टिफिकेट एवं प्रैक्टिस शुल्क को संशोधित कर दिया गया है।

(iii) चुनाव विनियम

इनमें संशोधनों को 12 फरवरी, 1991 को लागू कर दिया गया है।

(iv) कार्यालय एवं फर्मों का विवरण

इन्हें 02 फरवरी, 1991 से लागू कर दिया गया है।

4.5.2 निम्नलिखित संशोधन, सरकार के विचाराधीन विभिन्न स्तरों पर हैं :—

(i) अनुशासनात्मक तरीका

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में वर्णन किया गया था कि परिषद ने अनुशासनात्मक समिति द्वारा अपनाए गए तरीके को और सरल बनाने हेतु सरकार को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये प्रस्ताव अब तक सरकार के विचाराधीन ही हैं।

(ii) परीक्षा विनियम

सरकार ने फाउण्डेशन पाठ्यक्रम को शुरु करने तथा इंटरमीडिएट एवं फाइनल परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन की योजना को प्रारंभिक रूप में अपनी अनुमति दे दी है। इन्हें भारत के राजपत्र में जनता से सुझाव अथवा आपत्ति हेतु फिर से दोबारा प्रकाशित किया जा रहा है इसके बाद इन्हें केन्द्र सरकार की अन्तिम अनुमति हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

4.5.3 परिवारिक व्यापार निकायों में सदस्यों की तल्लीनता

विनियम 190ए के अधीन परिषद् के प्रस्तावों में (पहले के चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1964 का विनियम 166) जो कि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 की अपेन्डिक्स 10 में दिए गए हैं, इसमें ऐसे व्यापारों/व्यवसायों की श्रेणी में जिसमें कि सदस्य परिषद की पूर्व अनुमति से आपको लगा (सल्लीन) सकते हैं, अब यह निश्चय किया गया है कि इसमें आइटम 4 को विस्तृत किया जाए और इसमें उन सब मामलों को शामिल किया जाए जिनमें सदस्य के ऊपर परिवारिक व्यापार का कार्यभार इनहैरीटैन्स/सक्सेशन/पारिवारिक व्यापार में विभाजन और ऐसे व्यापार जिनमें सदस्य प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं था के परिणाम स्वरूप पड़ता है। ऐसे सदस्य जो परिषद की अनुमति चाहते हैं उन्हें कार्यकारी समिति के संतुष्टि हेतु इस तरह के उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे कि यह पारिवारिक व्यापार का भार उनके ऊपर इनहैरीटैन्स/सक्सेशन/पारिवारिक में विभाजन के परिणामस्वरुप आया है।

4.6 जनरल

4.6.1 सम्पादकीय मण्डल "दि चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट" जनरल की पाठन सामग्री के स्तर को तथा साधारण सज्जा को और अधिक सुन्दर बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, जिससे कि यह जनरल सदस्यों, बौद्धिक जगत के अन्य पाठकों तक विचार का एक प्रभावशाली माध्यम बन सके।

4.6.2 सम्पादकीय मण्डल ने जुलाई 1990 से जून, 1991 तक की अवधि में जनरल में छपे सर्वोत्तम लेखों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है।

4.7 जन-सम्पर्क

4.7.1 रिपोर्ट वर्ष के दौरान, अध्यक्ष ने परिषद् की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालने तथा नीति से संबंधित मामलों पर इंस्टीट्यूट के विचारों को प्रकट करने हेतु अनेक विषयों पर बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, बंगलौर और भुवनेश्वर में पत्रकार सम्मेलनों को सम्बोधित किया।

4.7.2 सरकारी विभागों से अनेक महानुभाव जिनमें कम्पनी कार्य विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और कस्टम, एक्साइज एवं गोल्ड (नियंत्रण) एपीलेट ट्रिब्यूनल शामिल हैं, इंस्टीट्यूट में आये तथा परिषद के सदस्यों ने उनसे औपचारिक विचार विमर्श किया। इन्होंने व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों में इंस्टीट्यूट की भूमिका की सराहना की तथा इंस्टीट्यूट को अपनी पूर्ण मदद एवं समर्थन का विश्वास दिलाया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा परिषद् के अन्य सदस्य अनेक दूसरे महानुभावों से भी मिले। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, जीवन बीमा निगम और दूसरे वित्तीय संस्थाओं बैंकों के सभापति शामिल हैं और उन्हें देश के आर्थिक विकास में चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्सों की महत्वपूर्ण भूमिका की जानकारी दी।

4.7.3 व्यवसाय में भविष्य के बारे में प्राप्त अवसरों के प्रोत्साहन हेतु अध्यक्ष महोदय ने कलकत्ता दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में एक मंच विचार-विमर्श में भाग लिया।

4.8 पुस्तकालय

नई दिल्ली में केन्द्रीय परिषद का पुस्तकालय सदस्यों एवं विद्यार्थियों की सहायता देती रही। पुस्तकालय की सुविधा समस्त देश में क्षेत्रीय केन्द्रों एवं शाखाओं में भी उपलब्ध है, इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त संघों एवं अध्ययन दलों को पुस्तकालय के विकास हेतु अनुदान भी दिया जाता है।

4.9 चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स परोपकारी कोष

दिसम्बर 1962 में अपनी स्थापना से चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट परोपकारी कोष उन जरूरतमंद लोगों को, जो संस्थान के सदस्य है या सदस्य थे, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। सहायता आश्रितों के रख-रखाव उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं तथा बीमारी के खर्चों की पूर्ति के लिए दी जाती है। इस कोष ने देश में खराब स्थिति वाले क्षेत्रों से पलायन कर गए सदस्यों को 20,000/- रुपये का ऋण देना भी शुरू कर दिया है। कोष के आजीवन सदस्यों की संख्या 1-9-90 को 5313 से बढ़ कर 31-8-91 को 6039 हो गई। वर्ष के दौरान जरूरतमन्द लोगों को 2,93,900/- रुपया बांटा गया। 31-3-91 को कोष में शेष राशि 40,26,542.70 थी जबकि 31-3-90 को यही राशि 34,92,486.77 थी।

4.10 एस० वैद्यनाथ अय्यर यादकार कोष :

वर्ष 1990-91 के दौरान चार्टर्ड एकाउन्टैन्सी कोर्स कर रहे छात्रों को 100 रुपये प्रति-माह की कीमत की 38 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई 31-3-1991 को कोष की सदस्यता संख्या 189 थी। 31-3-1991 को कोष के खाते में बकाया राशि 87,451.31 रुपये थी जोकि इसके विपरीत 31-3-1990 को 82,201.49 रुपये थी।

5. सदस्य

5.1 सदस्यता

वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट के द्वारा 3047 नए सदस्य पंजीकृत किए गए। इस तरह 1-4-1991 को कुल सदस्य संख्या बढ़कर 58998 हो गई है। वर्ष के दौरान 2544 एसोसिएट्स सदस्यों को "फैलो" के रूप में दर्जा किया गया जो कि पिछले वर्ष की संख्या 2295 के तुलनात्मक है। सदस्यता का विवरण निम्न प्रकार से है :—

दिनांक 1-4-1991 को सदस्यों का गणित-वार विवरण

सदस्यों का विवरण	सदस्य	सहयोग	प्रकोष्ठ (2) व (3) का कुल योग
पूर्णकालिक प्रैक्टिस में	18303	17061	35364
अंशकालिक प्रैक्टिस में	1979	6083	8062
जो प्रैक्टिस में नही हैं	1854	13718	15572
पूर्ण योग	22136	36862	58998

5.2 मृत सदस्य

परिषद को इंस्टीट्यूट के अध्ययन के प्रथम निदेशक श्री बी० आर० मल्होत्रा की 12 फरवरी 1991 को नई दिल्ली में हुई मृत्यु से अपार दुःख हुआ है। उनकी मृत्यु से व्यवसाय ने अपना एक वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य को खो दिया है। परिषद को वर्ष के दौरान अन्य दिवंगत सदस्यों पर भी गहरा दुःख हुआ। मृत सदस्यों के नाम इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 5 में दिए गए हैं।

5.3 अनुशासनात्मक समिति

वर्ष 1-4-1990 से 31-3-1991 के मध्य परिषद एवं अनुशासनात्मक समिति के समक्ष रखे गए मामलों का विवरण निम्नलिखित है :—

1. अपनी प्रथम दृष्टि या राय के लिए परिषद के समक्ष रखे गए मामलों की संख्या—	77
2. अनुशासनात्मक समिति के पास पूछताछ के लिए भेजे गए मामलो की संख्या—	42
3. अनुशासनात्मक समिति द्वारा सुने गए मामलों की संख्या—	35
4. अनुशासनात्मक समिति के प्रतिवेदन की संख्या जिन पर परिषद द्वारा विचार किया गया—	24
5. विभिन्न उच्च न्यायलयों से वापस मंगाए गए अनुशासनात्मक समिति के प्रतिवेदन की संख्या—	1
6. अनुशासनात्मक समिति का प्रतिवेदन जिन पर विचार किया गया और फिर आगे प्रतिवेदन हेतु समिति को प्रेषित किए गए—	1
7. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादी को धारा 21 (2) के अधीन दोषी नहीं पाया गया—	1
8. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादी को परिषद द्वारा दोषी पाया गया और धारा 21 (4) के अधीन उनको दंडित किया गया—	5
9. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रतिवादियों को दोषी पाया गया और धारा 21 (3) के अधीन पुनः उच्च न्यायलय के पास प्रेषित कर दिया गया—	9
10. धारा 21 (6)/(7) के अधीन उच्च न्यायलय द्वारा निबटाए गए मामलों की संख्या—	5

6. आर्टिकल एवं आडिट क्लर्क

6.1 अध्ययन मण्डल

6.1.1 31 मार्च, 1991 तथा 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्षों के मध्य दर्ज किए गए विद्यार्थियों की संख्या अधोलिखित है :—

पाठ्यक्रम	1990-91	1989-90
इण्टरमीडिएट	12791	13305
अंतिम परीक्षा	3958	3510

31 मार्च 1991 को विद्यार्थियों की कुल संख्या 76938 थी जो कि 31 मार्च, 1990 को 67185 थी।

6.1.2 पिछली भाँति की तरह क्षेत्रीय तथा अन्य प्रमुख केन्द्रों पर फाइनल और इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए सघन संशोध्यन कक्षाओं का आयोजन किया गया।

6.1.3 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में इंस्टीट्यूट के अपने कोष और इस उद्देश्य हेतु निर्मित स्थायी कोषों से प्राप्त आय से 223 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

6.1.4 आठवीं अखिल भारतीय सी० ए० विद्यार्थियों का अधिवेशन 5 और 6 फरवरी, 1991 को कानपुर में आयोजित किया गया। इसमें देश के भिन्न-भिन्न भागों से 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

6.1.5 अध्ययन सामग्री के वोल्यू हिन्दी में

बोर्ड ने एक निजी प्रकाशक को यह काम सौंप कर मई 1990 की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री के प्रस्तावित उत्तरों को वोल्यूम हिन्दी में निकाला है।

7. परीक्षाएं

चार्टर्ड एकाउण्टेंट की प्रवेश, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं मई, 1990 और नवम्बर, 1990 में पूरे देश में 45 केन्द्रों में आयोजित की गई। इसके अलावा प्रवेश, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा की एक पूरक परीक्षा 26 दिसम्बर 1990 से 3 जनवरी, 1991 तक देश में उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए चुने हुए केन्द्रों में आयोजित की गई। इन परीक्षाओं का विवरण जिसमें कि परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और सफल घोषित किए गए विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, निम्न प्रकार से है :—

प्रवेश परीक्षा

परीक्षा का नाम एवं वर्ष	परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
मई, 1990	2338	582	24.89
नवम्बर/दिसम्बर, 1990	5364	1285	23.96

इंटरमीडिएट एवं अंतिम परीक्षा, 1990

	इंटरमीडिएट		अंतिम	
	मई	नवम्बर/दिसम्बर	मई	नवम्बर/दिसम्बर
ग्रुप I				
भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या	12951	15383	5372	4499
सफल घोषित हुए विद्यार्थियों की संख्या	2994	2052	2480	1355
उत्तीर्ण प्रतिशत	23.12	13.33	46.17	30.11
ग्रुप II				
भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या	19075	20593	6862	6925
सफल घोषित हुए विद्यार्थियों की संख्या	1615	2646	1143	1586
उत्तीर्ण प्रतिशत	8.47	12.85	16.66	22.90
दोनों ग्रुप :				
भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या	4976	5898	2430	1690
सफल घोषित हुए विद्यार्थियों की संख्या	283	511	307	170
उत्तीर्ण प्रतिशत	5.69	8.66	12.63	10.05

7.2 काठमांडू, जम्मू, अम्बाला और यमुनानगर में जो परीक्षा केन्द्र पहले प्रयोग के तौर पर खोले गए थे ब वर्ष के दौरान भी जारी रहे। दो नए परीक्षा केन्द्र रायपुर और हिसार में, दो लगातार अवधि के लिए प्रयोग के तौर पर खोले गए हैं। परीक्षा केन्द्रों की सम्पूर्ण सूची इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 6 में दी गई है।

7.3 मई और नवम्बर, 1990 में आयोजित परीक्षाओं में योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 7 में दिए गए हैं।

8. क्षेत्रीय परिषदें और क्षेत्रीय परिषदों की शाखाएं

8.1 नई शाखाएं

मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अजमेर, नोएडा सिलिगुड़ी और टुटिकोरिन में क्षेत्रीय परिषदों की नई शाखाएं खोली गई। इन शाखाओं के खोले जाने से पूरे देश में क्षेत्रीय

परिषदों की शाखाओं की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। शाखाओं की सूची परिशिष्ट 8 में की गई है।

8.2 भवन

भवनों के निर्माण के लिए क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं को दिए जाने वाले अनुदान को और उदार बनाने के फलस्वरूप अनेकों शाखाओं ने या तो खुद अपने परिसर के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने और या निर्मित भवन लेने में अपने प्रयत्न तेज कर दिए हैं। अब तक 21 शाखाओं ने अपने स्वयं के परिसर बना लिए हैं। इसके अतिरिक्त बंगलौर, लखनऊ और सिलिगुड़ी शाखाओं ने भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर ली है।

8.3 सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद की शाखा हेतु चल वैजयन्ती पदक

सन् 1986-87 से इंस्टीट्यूट सर्वोत्तम क्षेत्रीय परिषद को एक चलायमान शील्ड से पुरस्कृत करती है। यह पुरस्कार क्षेत्रीय परिषद की सम्पूर्ण प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। वर्ष 1990-91 के लिए यह शील्ड मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद को पुरस्कृत की गई है। अति प्रशंसनीय प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद को दिया गया है।

क्षेत्रीय परिषद की शाखाओं को प्रोत्साहन दिए जाने के फलस्वरूप ताकि वह सक्रिय रूप से कार्य कर सकें और अपने सदस्यों को अधिकाधिक सेवा प्रदान कर सकें। इस निमित्त यह संस्थान अपनी सर्वोत्तम शाखा को चल वैजयन्ती पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान करता है। संस्थान ने शाखा के अच्छे कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कतिपय न्यूनतम मापदण्ड स्थापित किए हैं। शाखा के प्रत्येक क्रियाकलाप इन मानदण्डों के आधार पर आंकलित किए जाते हैं और अनुसारतः चल वैजयन्ती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1990-91 के लिए दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद की बंगलौर शाखा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अति प्रशंसनीय प्रदर्शन के लिए कोयम्बतूर, नागपुर और जयपुर में स्थित शाखाओं को प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया है।

9. वित्त एवं लेखा

31 मार्च 1991 का तुलन पत्र और इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का आय और व्यय का लेखा जिसे कि परिषद ने अनुमोदित कर दिया है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. आभार

परिषद संस्थान ने उन सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने संस्थान की समितियों के सहयोगी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और उन गैर सदस्यों के प्रति भी आभारी है जिन्होंने पूरे वर्ष परिषद को उसके शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य क्रियाकलापों तथा उसकी परीक्षाओं में अपना सहयोग प्रदान किया है।

10.2 परिषद द्वारा अपने सम्पूर्ण वर्ष के मध्य सरकार तथा परिषद के लिए उसके नामांकित सदस्यों द्वारा सतत सहयोग व योगदान दिए जाने के लिए भी अपना सौभाग्य मानती है।

10.3 अन्त में परिषद उन सभी अधिकारियों तथा संस्थान के कर्मचारियों का भी आभार मानती है जिन्होंने पूरे वर्ष अपनी विश्वसनीय एवं समर्पित प्रयासों द्वारा संस्थान के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान किया है।

वार्षिक प्रतिवेदन की परिशिष्टियां

परिशिष्ट-1

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 1.1)

परिषद के सदस्य

श्री अग्रवाल, के० एम०	(नई दिल्ली)
श्री बनर्जी, भास्कर	(कलकत्ता)
*श्री बंसल, आर० एन०	(नई दिल्ली)
श्री भण्डारी, एम० एस०	(जयपुर)
श्री चक्रवर्ती, ए० के०	(कलकत्ता)
श्री चट्टर्जी, दीपांकर	(कलकत्ता)
श्री छाजेड़, एस० पी०	(बम्बई)
श्री चितले, एम० एम०	(बम्बई)
श्री दलाल, ए० एच०	(बम्बई)
श्री गुप्ता, एन० डी०	(नई दिल्ली)
श्री गुप्ता, एन० के०	(कानपुर)
श्री जैन, आई० सी०	(बम्बई)
श्री जोस पोट्टोकरन	(त्रिचूर)
श्री काले बाई० एम०	(बम्बई)
*श्री खन्ना, के० एन०	(नई दिल्ली)
श्री नन्दागोपाल, एल०	(मद्रास)
*श्री पाण्डे, टी० एन०	(नई दिल्ली)
श्री पटेल, आर० एम०	(अहमदाबाद)
श्री पोद्दार, एन० के०	(कलकत्ता)
श्री राठी, आनन्द	(बम्बई)
श्री राव, वी० पी०	(बंगलौर)
*श्री राव, बाई० ए०	(नई दिल्ली)
श्री सारदा, एन० पी०	(बम्बई)
श्री शर्मा, लक्ष्मीनिवास	(हैदराबाद)
श्री सोमानी, के० जी०	(नई दिल्ली)
श्री सुन्दराजन, एन० सी०	(मद्रास)
*श्री तयाल, अमिताभ	(लखनऊ)
*श्री तिवारी, ए० सी०	(नई दिल्ली)
श्री उपाध्याय, पी० पी० गुरुराजा	(मद्रास)
श्री वासुदेवा, एन० सी०	(नई दिल्ली)

*केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ—रिपोर्ट का पैरा 1.4.1)

वर्ष 1990-91 के लिये समितियों की सूची

स्थायी समितियां

कार्यकारी समिति

श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष	(नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दराराजन, उपाध्यक्ष	(मद्रास)

श्री एम० एम० चितले (बम्बई)
श्री एन० डी० गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा (हैदराबाद)

परीक्षा समिति

श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (मद्रास)
श्री एम० एम० भण्डारी (जयपुर)
श्री एस० पी० छाजेड़ (बम्बई)
श्री ए० एच० दलाल (बम्बई)

अनुशासनात्मक समिति

श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (मद्रास)
श्री एन० के० गुप्ता (कानपुर)
श्री एम० नन्दागोपाल (मद्रास)
श्री वाई० ए० राव (नई दिल्ली)

अस्थाई समितियां

शोध समिति

श्री एन० पी० शारदा, सभापति (बम्बई)
श्री बी० पी० राव, उप-सभापति (बंगलौर)
श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री ए० के० चक्रावर्ती (कलकत्ता)
श्री ए० एच० दलाल (बम्बई)
श्री वाई० एम० काले (बम्बई)
श्री एम० एम० चितले (बम्बई)
श्री सुरेश चन्द्रा (राजपुरा)
श्री सुरेश राव } (मद्रास)
श्री केतन दलाल } मनोनीत (बम्बई)
श्री एम० जी० पटेल } (अहमदाबाद)

आडिटिंग प्रेक्टिसेज समिति

श्री वाई० एम० काले, सभापति (बम्बई
श्री भास्कर बनर्जी, उप-सभापति (कलकत्ता)
श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री एम० एम० भण्डारी (जयपुर)
श्री ए० एच० दलाल (बम्बई)
श्री ए० सी० तिवारी (नई दिल्ली)
री अमल गांगुली } (नई दिल्ली)
ी विजय सहानी } मनोनीत (नई दिल्ली)
ी जी० बी० रमानी } (मद्रास)

ाविभिन्न व्यावसायिक शिक्षा समिति

ी बी० पी० राव, सभापति (बंगलौर)
ी पी० पी० गुरूराजा उपाध्याय, उप-सभापति (मद्रास
ी के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
ी एन० के० गुप्ता (कानपुर)
ी एम० नन्दागोपाल (मद्रास)
ी एन० सी० वासुदेवा (नई दिल्ली)
ी मीसेस हरीभक्ति (बम्बई)
ी रश्मि भट्ट } (बंगलौर)
ी सुकुमार भट्टाचार्य } मनोनीत (कलकत्ता)
लेखांकन मानक मण्डल }

भास्कर बनर्जी, सभापति (कलकत्ता)
एम० एम० चितले, उप-सभापति (बम्बई)
के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (मद्रास)
श्री ए० के० चक्रावर्ती (कलकत्ता)
श्री टी० एन० पाण्डे (नई दिल्ली)
श्री ए० सी० तिवारी (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० वासुदेवा (नई दिल्ली)
श्री वाई० ए० राव (नई दिल्ली)
श्री एम० आर० भण्डारी (नई दिल्ली)
श्री के० करन (बम्बई)
श्री के० एस० मेहता } (नई दिल्ली)
श्री टी० एस० विश्वनाथ } मनोनीत (नई दिल्ली)
श्री बी० एस० मेहता } (बम्बई)
श्री पी० के० मल्लिक (कलकत्ता)

व्यावसायिक विकास समिति

श्री आई० सी० जैन, सभापति (बम्बई)
श्री एन० के० गुप्ता, उप-सभापति (कानपुर)
श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (मद्रास)
श्री आर० एन० बंसल (नई दिल्ली)
श्री थॉमस पोट्टोकरन (त्रिचूर)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा (हैदराबाद)
श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरिपाद } (त्रिवेन्द्रम)
श्री आर० बालाकृष्णन } मनोनीत (मद्रास)
श्री एस० के० जैन } (बम्बई)

अध्ययन मण्डल

श्री पी० पी० गुरूराजा, उपाध्याय, सभापति (मद्रास)
श्री आर० एम० पटेल, उप-सभापति (अहमदाबाद)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री एम० एस० भण्डारी (जयपुर)
श्री एम० एम० चितले (बम्बई)
श्री के० पी० सोमानी (नई दिल्ली)
श्री एम० एम० कुलकर्णी } (नासिक)
श्री वी० एम० राजागोपाल } मनोनीत (मद्रास)
श्री डी० एम० पदमानाभन नायर } (त्रिवेन्द्रम)

कराधान समिति

श्री ए० के० चक्रावर्ती, सभापति (कलकत्ता)
श्री एन० डी० गुप्ता, उप-सभापति (नई दिल्ली)
श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री टी० एन० पाण्डे (नई दिल्ली)
श्री एन० के० पोद्दार (कलकत्ता)
श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा (हैदराबाद)
श्री अश्वनी कुमार } (लुधियाना)
श्री नलिनचन्द्र किन्या } मनोनीत (बंगलौर)
मिसिज मनदिरा सेन } (कलकत्ता)

कम्पनी कानून समिति

श्री एन० सी० वासुदेवा, सभापति (नई दिल्ली)
श्री दीपांकर च० दूदशी, उप-सभापति (कलकत्ता)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री आर० एन० बंसल (नई दिल्ली)
श्री वाई० ए० राव (नई दिल्ली)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)
श्री के० पी० सोमानी (नई दिल्ली)
श्री के० बी० कपूर } (नई दिल्ली)
श्री प्रदीप भल्ला } मनोनीत (नई दिल्ली)
श्री एल० सी० गुप्ता } (नई दिल्ली)

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की समिति

श्री के० एम० अग्रवाल, सभापति (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उप-सभापति (मद्रास)
श्री ए० के० चक्रवर्ती (कलकत्ता)
श्री ए० एन० दलाल (बम्बई)
श्री के० जी० सोमानी (नई दिल्ली)

सुविज्ञ सलाहकार समिति

श्री जोस पोट्टोकरन, सभापति (त्रिचुर)
श्री एन० पी० शारदा, उप सभापति (बम्बई)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री आर० एन० बंसल (नई दिल्ली)
श्री आर० एस० पटेल (अहमदाबाद)
श्री वी० पी० राव (बंगलौर)
श्री के० जी० सोमानी (नई दिल्ली)
श्री भवानी शंकर (नई दिल्ली) } मनोनीत
श्री राजेश चन्द्र जैन (लखनऊ) } मनोनीत
श्री वेनुगोपाल सी० गोविन्द (कोचीन) } मनोनीत

विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति

श्री आर० एस० पटेल, सभापति (अहमदाबाद)
श्री एन० के० पोद्दार, उप सभापति (कलकत्ता)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री एन० के० गुप्ता (कानपुर)
श्री एन० पी० शारदा (बम्बई)
श्री पी० पी० गुरुराजा उपाध्याय (मद्रास)
श्री सी० एच० पटेल (अहमदाबाद) } (मनोनीत)
श्री आई० जे० देसाई (सूरत) } (मनोनीत)
श्री दिनेश कुमार (नई दिल्ली) } (मनोनीत)

नैतिक मानक समिति एवं सी० यू० आर० ए०

श्री एन० के० पोद्दार, सभापति (कलकत्ता)
श्री एस० नन्दागोपाल, उप सभापति (मद्रास)
श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री आई० सी० जैन (बम्बई)
श्री जोस पोट्टोकरन (त्रिचुर)
श्री आर० एस० अग्रवाल (कलकत्ता) } मनोनीत
श्री पी० सत्यानारायना मूर्ती (हैदराबाद) } मनोनीत
श्री एस० एन० नन्दा (नई दिल्ली) } मनोनीत

जन सम्पर्क समिति

श्री दीपांकर चटर्जी, सभापति (कलकत्ता)
श्री आई० सी० जैन, उप सभापति (बम्बई)
श्री के० एम० अग्रवाल, अध्यक्ष (पदेन) (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री एन० डी० गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री के० एल० बाधा (नई दिल्ली)
श्री आनन्द राठी (बम्बई)

श्री अजय कुमार दत्ता (कलकत्ता) } मनोनीत
श्री पी० वेनुगोपाल राव (भुवनेश्वर) } मनोनीत
श्री ओ० पी० दानी (नई दिल्ली) } मनोनीत

सम्पादकीय मण्डल

श्री के० एम० अग्रवाल, मुख्य सम्पादक (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, सह-सम्पादक (मद्रास)
श्री आर० एन० बंसल (नई दिल्ली)
श्री दीपांकर चटर्जी (कलकत्ता)
श्री ए० एन० दलाल (बम्बई)
श्री एन० डी० गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा (हैदराबाद)
श्री रतन लाल गुप्ता (नई दिल्ली) } मनोनीत
श्री बी शंकर (सिकन्दराबाद) } मनोनीत
श्री एम० नागानाथन (मद्रास) } मनोनीत

—

उद्योगरत सदस्यों हेतु समिति

श्री आनन्द राठी, सभापति (बम्बई)
श्री जोस पोट्टोकरन, उप सभापति (त्रिचूर)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उपाध्यक्ष (पदेन) (मद्रास)
श्री आई० एम० काले (बम्बई)
श्री के० एल० बाधा (नई दिल्ली)
श्री एम० नन्दागोपाल (मद्रास)
श्री अभिताभ सयाल (लखनऊ)
श्री के० ए० चन्द्रशेखरन (उद्योगमण्डल) } मनोनीत
श्री आर० एम० पारिख (मस्कट) } मनोनीत
श्री एच० डी० वकील (बम्बई) } मनोनीत
श्री के० सी० जैन (कलकत्ता)

सामान्य उद्देश्य समिति

श्री के० एम० अग्रवाल, सभापति (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उप सभापति (मद्रास)
श्री एम० एम० चितले (बम्बई)
श्री एन० डी० गुप्ता (नई दिल्ली)
श्री लक्ष्मी निवास शर्मा (हैदराबाद)

आई० सी० आई० एन आई० सी० डब्ल्यु० आई० समन्वय समिति

श्री के० एम० अग्रवाल, नेता (नई दिल्ली)
श्री एन० सी० सुन्दरराजन, उप नेता (मद्रास)
श्री एम० पी० छाजेड (बम्बई)
श्री आई० एम० काले (बम्बई)
श्री आई० ए० राव (नई दिल्ली)

आई० सी० ए० आई०–आई० सी० एस० आई० समन्वय समिति

श्री एन० सी० सुन्दरराजन, नेता (मद्रास)
श्री एम० पी० छाजेड, उप नेता (बम्बई)
श्री भास्कर बनर्जी (कलकत्ता)
श्री आई० ए० राव (नई दिल्ली)
श्री के० जी० सोमानी (नई दिल्ली)

परिशिष्ट-3

(संदर्भ-रिपोर्ट का पैरा 3.9.3)

तालिका "ए"—मैनेजमैंट एकाउन्टैन्सी कोर्स (भाग-1)

क्रम संख्या	समूह	मई-1990			नवम्बर-1990			दिसम्बर-1990		
		परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत	परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत	परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	दोनों समूह	6			11			3		
	उत्तीर्ण—									
	दोनों समूह में		2	33		2	18 13		1	33.33
	केवल समूह-1 मे		2			1			—	
	केवल समूह-2 में		1			3			—	
2	समूह-1	15	7	46	12	—	—	5	1	20
3.	समूह-2	16	2	12	14	2	14.29	4	1	25

तालिका "बी"—टैक्स मैनेजमैंट कोर्स (भाग-1)

समूह	मई 1990		
	परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1. दोनों समूह	3		
उत्तीर्ण—			
दोनों समूह मे		—	—
केवल समूह 1 मे		—	—
केवल समूह 2 मे		—	—
समूह-1	1	1	100 प्रतिशत
समूह-2	7	1	14 प्रतिशत

तालिका "सी"—कोर्पोरेट मैनेजमेंट कोर्स (भाग-1)

समूह	मई 1990		
	परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1. दोनों समूह	4		
उत्तीर्ण—			
दोनों समूहों मे..		—	—
केवल समूह 1 मे		2	
केवल समूह 2 मे		2	
2. समूह —1	4	3	75 प्रतिशत
3 समूह-2	1	1	100 प्रतिशत

परिशिष्ट 4

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 3.12.2)

भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं की सूची जिन्होंने अपने डॉक्टोरल प्रोग्राम पी० एच० डी० प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अपने चार्टर्ड एकाउन्टैंसी पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान की है

1 एसोसिएशन्स

एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली

2 इंस्टीट्यूट्स

1 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट, अहमदाबाद

2 इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट, कलकत्ता

3 विश्व-विद्यालय

1. आगरा विश्व-विद्यालय, आगरा
2. एलगप्पा विश्व-विद्यालय,
   एलगप्पा नगर, कराईकुडी-623004
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय,
   अलीगढ़ (उ० प्र०)
4. बनारस हिन्दु विश्व-विद्यालय,
   वारानसी (उ० प्र०)
5. बंगलौर विश्वविद्यालय,
   बंगलौर
6. भारतीदासन विश्वविद्यालय,
   त्रिचिरापल्ली-6220024
7. बम्बई विश्वविद्यालय,
   बम्बई
8. कालीकट विश्वविद्यालय,
   कालीकट
9. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
   इन्दौर
10. गांधीजी विश्वविद्यालय,
   कोट्टायाम

11. गुजरात विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद

12. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला

13. जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

14. कानपुर विश्वविद्यालय,
कानपुर

15. काशी विश्वविद्यालय,
वाराणसी

16. कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर

17. केरल विश्वविद्यालय,
त्रिवेन्द्रम (केरल)

18. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
कुरुक्षेत्र

19. लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ

20. एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा
बड़ौदा

21. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,
रोहतक

22. मंगलौर विश्वविद्यालय,
लाइट हाउस हिल, मंगलौर

23. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय,
औरंगाबाद

24. मेरठ विश्वविद्यालय,
मेरठ

25. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर

26. मैसूर विश्वविद्यालय,
मैसूर

27. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय,
दार्जिलिंग

28. उस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद

29. पाण्डीचेरी विश्वविद्यालय
पाण्डीचेरी

30. पूना विश्वविद्यालय,
पुणे

31. पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

32. पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला

33. रांची विश्वविद्यालय,
रांची

34. सरदार पटेल विश्वविद्यालय,
वल्लभविद्यानगर

35. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,
राजकोट (गुजरात)

36. शिवाजी विश्वविद्यालय,
कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

37. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति

38. विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म० प्र०)

परिशिष्ट-5

(सदर्भ-रिपोर्ट का पैरा 5.3.1)

वर्ष 1990-91 में मृत्यु के कारण सदस्यों का रजिस्टर में से हटाये गये नामों की सूची

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	सदस्य का नाम	तिथि
1	2	3	4
1	95	श्री बी० डी० गार्गिया, ब्यावर	17-3-1991
2	167	श्री बी० एम० चतरथ, कलकत्ता	4-2-1991
3.	218	श्री ए० आर० बेनाजाजी, बम्बई	2-12-1990
4	246	श्री डी० एस० डोक्टर बम्बई	28-12-1989
5	289	श्री बी० एम० बिलिमोरिया, बम्बई	27-7-1990
6	316	श्री बी० एम० रत्नन, नई दिल्ली	11-4-1990
7	355	श्री एन० एन० बसु, कलकत्ता	11-7-1990
8	387	श्री के० रामाचन्द्रा राव, राजा महेन्द्रावरम	24-3-1991
9.	406	श्री डी० डी० शर्मा, जयपुर, सिटी	17-6-1990
10.	415	श्री ए० एस० परमेश्वरन, कोयम्बटोर	26-8-1990
11.	438	श्री पी० सी० गुहा, कलकत्ता	28-1-1991
12	564	श्री आई० एम० ओंग, बम्बई	25-12-1990
13	576	श्री जी० एम० कपाड़िया, बम्बई	16-9-1990
14.	619	श्री बी० आर० मल्होत्रा, नई दिल्ली	13-2-1991
15	625	श्री सत्यव्रता रोय, कलकत्ता	6-12-1990
16	673	श्री के० दक्षिणामूर्थी, मद्रास	16-12-1990
17.	689	श्री आसुतोष मैत्री, कलकत्ता	23-12-1990
18	690	श्री आर० नारायना अयर, बम्बई	30-4-1990
19	737	श्री जे० सी० खन्ना गाजियाबाद	17-11-1989
20.	769	श्री बी० रघुनाथन, मद्रास	5-12-1990
21.	783	श्री एच० के० बन्धालावाला, बम्बई	9-9-1990
22	902	श्री एम० डी० राजमाचिकर, पुणे	22-8-1990
23.	958	श्री एस० बी० मल्लिक, कलकत्ता	7-6-1990
24.	989	श्री बृज मोहन लाल, नई दिल्ली	24-2-1990
25	1070	श्री बी० सीतारमैया, बगलौर	2-10-1990
26	1124	श्री के० रामानाथन, मद्रास	2-11-1990
27.	1189	श्री डी० के० दासगुप्ता, कलकत्ता	5-5-1990
28	1243	श्री एम० पदमानाभन, मद्रास	9-2-1991
29.	1260	श्री आर० सी० घोष, कलकत्ता	30-11-1990
30.	1312	श्री एम० यू० राकुल, अहमदाबाद	6-1-1990
31.	1352	श्री के० जे० बक्षी, बम्बई	3-6-1987
32.	1666	श्री बी० आर० शरण, जमशेदपुर	11-7-1990
33.	1923	श्री पी० एस० सुब्रामनियम, मद्रास	13-12-1989
34.	1969	श्री एल० रगामणी, अल्लेपी	21-4-1990
35.	2165	श्री एम० एल० सुराना, उदयपुर	15-9-1989
36	2351	श्री बी० रामा मोहना राव, कलकत्ता	28-9-1990
37.	2475	श्री निरंजन गुहा, कलकत्ता	1-3-1990
38.	2506	श्री जे० एल० कुमार, नई दिल्ली	2-11-1990
39.	2648	श्री एन० लक्ष्मीनारायनन, मद्रास	4-11-1989
40.	2930	श्री टी० बी० सुन्दरराजन, मद्रास	9-12-1990
41.	2947	श्री राम शरण सिंह, कलकत्ता	21-2-1990
42.	3030	श्री एम० के० नरकदार, पांडिचेरी	19-3-1990
43.	3083	श्री एस० पी० नागरथ, नई दिल्ली	23-7-1990

1	2	3	4
44.	3158	श्री के० सुदर्शनम, मद्रास	26-08-1990
45.	3214	श्री सी० एन० प्रसाद, मद्रास	17-10-1990
46.	3441	श्री ए० एम० मित्रा, नई दिल्ली	1-2-1989
47.	3558	श्री हेम पाथक, कलकत्ता	14-9-1990
48.	3575	श्री वी० ए० पंडे, बम्बई	2-3-1990
49.	3684	श्री ए० के० झुनझुनवाला, कलकत्ता	26-5-1990
50.	3923	श्री एस० के० बनर्जी, कलकत्ता	13-1-1991
51.	3953	श्री वी० जी० डाके, पुणे	27-2-1990
52.	4115	श्री पी० एल० बहरथ, नई दिल्ली	27-6-1990
53.	4211	श्री एम० ए० के० कैमल, कोचीन	1-8-1990
54.	4384	श्री जी० सी० पारिख, बम्बई	20-10-1990
55.	4395	श्री वी० के० गोडबोले, पुणे	3-9-1989
56.	4768	श्री एन० अप्पा राव, विशाखापटनम	21-4-1990
57.	4797	श्री जी० सी० चटर्जी, कलकत्ता	12-5-1990
58.	4878	श्री ए० एम० गांधी, बम्बई	17-2-1991
59.	5482	श्री बी० एन० बसु, कलकत्ता	3-7-1990
60.	5603	श्री एस० एम० सुरंगाधरा, बंगलोर	12-4-1990
61.	5686	श्री बी० एच० किशनाडवाला, बम्बई	20-3-1991
62.	5849	श्री पी० सेन, कलकत्ता	23-9-1990
63.	6295	श्री एच० पी० लाला धनबाद	19-2-1991
64.	6327	श्री के० सी० कोशी, मद्रास	23-8-1990
65	6396	श्री ए० रे चौधरी, कलकत्ता	14-6-1990
66.	6405	श्री भोला तिवारी, पटना	16-12-1990
67.	6416	श्री एम० के० मेहता, पुणे	9-2-1991
68.	6834	श्री सी० राजागोपालन, नागरकोईल	17-6-1990
69.	6891	श्री पी० सी० मित्तल, जबलपुर	27-9-1989
70.	7522	श्री बी० एस० मित्तल, जबलपुर	27-9-1989
71.	8676	श्री ए० वेंटकटाचार, मद्रास	15-4-1990
72.	9126	श्री जे० एस० हितकारी, नई दिल्ली	13-2-1991
73.	9388	श्री के० सी० रामाकृष्णा रेड्डी, कुड्डापाह	15-7-1990
74.	9442	श्री ए० सी० सेन, कलकत्ता	31-5-1990
75.	10072	श्री वाई० एन० भारगवा, जयपुर	10-1-1991
76.	10307	श्री डी० जे० वाहिवेलकर, धुले	20-8-1990
77.	11062	श्री आर० रामाचन्दर, हैदराबाद	10-3-1990
78.	11865	श्री एस० सी० मेहता, जयपुर	24-4-1990
79.	13069	श्री आर० जी० खरे, बम्बई	19-12-1990
80.	16139	श्री ए० रंगाराजन, मद्रास	18-10-1990
81.	16637	श्री आर० बी० बंडग, औरंगाबाद	20-10-1990
82.	17094	श्री विनोद सेहन, चंडीगढ़	22-9-1990
83.	19041	श्री एम० राम कुमार, दिल्ली	18-5-1990
84.	21765	श्री के० के० कुरूविल्ला, कोट्टायाम	14-5-1990
85.	21833	श्री पी० राज कुमार, मद्रास	15-2-1990
86.	25340	श्री बी० वीरास्वामी, मद्रास	12-1-1990
87.	25613	श्री के० रमेश, मद्रास	21-4-1990
88.	28530	श्री एस० वेंकटेशा प्रसाद, मद्रास	20-2-1991
89.	31333	श्री ए० एच० शाह, बरम्पी	30-3-1990
90.	31439	श्री रवि शंकर, बम्बई	20-10-1986
91.	32378	श्री एम० आई० शेख, बम्बई	26-1-1991
92.	32532	श्री एस० एस० लालवानी, बम्बई	28-3-1990
93.	33161	श्री नरेन्द्रा लट, गोरखपुर	22-7-1988
94.	37478	श्री ए० वी० डाटे, पुणे	15-8-1990
95.	41189	श्री बी० बालाचन्दर, बम्बई	15-2-1990
96.	41505	श्री एम० ए० शाह, भुज	6-9-1990
97.	50162	श्री ए० के० भट्टाचार्या, बैरकपोर	13-1-1991
98.	50247	श्री एच० आर० चक्रावर्ती, आडुगुडा माइंस	18-6-1988
99.	71109	श्री एम० बी० प्रसाद, रांची	22-1-1985
100.	72045	मिसिज निर्मला मेहता, जयपुर	24-4-1990
101.	73522	श्री टी० सिंह, रांची	8-1-1991
102.	80325	श्री आर० के० कमरा, नई दिल्ली	30-10-1990
103.	80353	श्री ए० के० शर्मा, नई दिल्ली	18-5-1990
104.	80423	श्री पी० के० शाह, नई दिल्ली	18-11-1990
105.	81225	श्री एम० आर० नागप्पा, बंगलौर	3-12-1990
106.	82884	श्री बलदेव कुमार, नई दिल्ली	21-2-1991
107.	82964	श्री सुनिल भारती, दिल्ली	30-5-90
108.	83205	श्री अनिल वाधवा, नई दिल्ली	7-9-1989
109.	86777	मिसिज आर्ती नायक, बंगलौर	15-2-1990
110.	87523	श्री संदीप गुप्ता, नई दिल्ली	30-9-1990
111.	87807	श्री महेन्दर कुमार, नई दिल्ली	29-11-1989

परिशिष्ट-6

(संदर्भ—रिपोर्ट का पैरा 7.2)

परीक्षा केन्द्रों की सूची

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. अम्बाला
5. बंगलौर
6. बड़ौदा
7. बेलगांव
8. भोपाल
9. बम्बई
10. कलकत्ता
11. कालीकट
12. चण्डीगढ़
13. कोयम्बटूर
14. कटक
15. दिल्ली/नई दिल्ली
16. इरनाकुलम
17. गोहाटी
18. हैदराबाद
19. इंदौर
20. जयपुर
21. जम्मू
22. जोधपुर
23. कानपुर
24. काठमांडू (नेपाल)
25. कोट्टायाम
26. लखनऊ
27. लुधियाना
28. मद्रास
29. मदुरई
30. मंगलौर
31. मेरठ
32. मैसूर
33. नागपुर
34. नासिक

35. पटना
36. पूना
37. रायपुर
38. सेलम
39. सूरत
40. तिरुचिरापल्ली
41. तिरुपुर
42. तिरुवेन्द्रम
43. उदयपुर
44. विजयवाडा
45. विशाखापटनम
46. यमुना नगर

परिशिष्ट–7

(इस प्रतिवेदन का पैरा 7.3 का संदर्भ)

पुरस्कार विजेता

सिम परीक्षा मई, 1990

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जायेंगे :—

श्रेणी	अनुक्रमांक	नाम	
I.	3097	संजय कुमार खेमानी	(800 में से कुल 571 अंक प्राप्त किए)
II.	3785	महेन्द्र कुमार जाजो	(800 में से कुल 543 अंक प्राप्त किए)
III	4432	संजय कुमार गुप्ता	(800 में से कुल 537 अंक प्राप्त किए)

1. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जी० पी० कपाड़िया प्रथम प्रेसीडेंट गोल्ड मेडल संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097 को प्रदान किया जायेगा ।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जे० एस० लोढ़ा गोल्ड मेडल संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097 को प्रदान किया जायेगा ।

3. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए रामचन्द्रा सिंघी प्राइज संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097 को प्रदान किया जायेगा ।

4. द्वितीय उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के लिए जयन्ती लाल के० ठक्कर मेमोरियल प्राइज, महेन्द्र कुमार जाजो अनुक्रमांक 3783 को प्रदान किया जायेगा ।

5. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिए आर० शिवभोगम पुरस्कार कुमारी आर० भुवनेश्वरी अनुक्रमांक 1237 (800 में से कुल 508 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जाएगा ।

6. समूह 1 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए केरल वर्मा पुरस्कार टी० एस० बी० राजगोपाल अनुक्रमांक 7821 (400 में से कुल 296 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

7. समूह–II में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए पी० एन० बोस मेमोरियल पुरस्कार संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097 (400 में से कुल 304 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

8. एकाउन्टैन्सी (प्रश्न पत्र 1 तथा 2) पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए सर शपूर जी बिल्लीमोरिया पुरस्कार सुधीर कुमार जैन अनुक्रमांक 4292 को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 200 में से कुल 161 अंक प्राप्त किए ।

9. एडवान्सड एकाउन्टिंग (प्रश्न पत्र–1) पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए आर० सी० खन्ना पुरस्कार कैलाश बिहारी गोयल अनुक्रमांक 3694 (100 में से कुल 89 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

10. प्रबंधन लोकशास्त्र (मैनेजमेंट एकाउन्टैन्सी) के प्रश्न पत्र में सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए जे० के० दोषी पुरस्कार सीताराम भगवानदास खण्डेलवाल अनुक्रमांक 2100 (100 में से कुल 83 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

11. आडिटिंग पर सर्वोच्च प्रश्न पत्र के लिए ए० एफ० फरग्यूसन तथा आर० वेंकटेसन मैमोरियल पुरस्कार लक्ष्मण श्रीनिवास अनुक्रमांक 1011 (100 में से कुल 76 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जा जायेगा ।

12. आडिटिंग के प्रश्न पत्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए महिला प्रत्याशी को सुखनन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार कुमारी आर० पदमा अनुक्रमांक 1333 (100 में से कुल 67 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

13. कम्पनी लॉ पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए यू० सी० मजुमदार पुरस्कार तथा दि एस० एम० शाह पुरस्कार संजय कुमार गुप्ता अनुक्रमांक 4432 (100 में से कुल 76 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

14. प्रत्यक्ष कर नियम (डायरेक्ट टैक्सिस) पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए एन० एम० शाह पुरस्कार, सूरी मैमोरियल पुरस्कार तथा ए० जे० शाह अमिता मैमोरियल पुरस्कार संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097 (100 में से 89 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

15. सिस्टम एनालिसिस तथा डाटा प्रोसेसिंग पर सर्वोत्त प्रश्नपत्र के लिए टी० आर० चड्डा पुरस्कार शरद अग्रवाल अनुक्रमांक 5896 (100 में से कुल 75 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

16. कास्ट एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए आर० बी० के० अमरजी पुरस्कार एस० वासुदेवन अनुक्रमांक 1070 (100 में से 81 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

17. मैनेजेरियल इक्नोमिक्स तथा नेशनल एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए वेंकटचलम मोहन पुरस्कार के लिए किसी भी उम्मीदवार को योग्य नहीं पाया गया ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा मई–1990

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा :—

श्रेणी	अनुक्रमांक	नाम	
I.	30480	संजय कुमार जैन	(700 में से कुल 489 अंक प्राप्त किए)
II.	118	संजय सैन	(700 में से कुल 479 अंक प्राप्त किए)
III.	19293	कुमारी सुजाथा आर०	(700 में से कुल 468 अंक प्राप्त किए)

1. सर्वोत्तम विद्यार्थी को जी० पी० कपाड़िया प्रथम प्रैसीडेंट पुरस्कार संजय कुमार अनुक्रमांक 30480 को प्रदान किया जायेगा ।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी को जे० एस० लोढ़ा गोल्ड मैडल संजय कुमार जैन अनुक्रमांक 30480 को प्रदान किया जायेगा ।

3. एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्न-पत्र के लिए प्रोफैसर टी० एस० ग्रेवाल पुरस्कार संजय कुमार जैन अनुक्रमांक 30480 (100 में से 91 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

4. एलीमैंटरी ऑफ इन्कम टैक्स पर सर्वोत्तम प्रश्न-पत्र के लिए यू० के० भार्गव पुरस्कार कुमारी संगीता जलान अनुक्रमांक 112 (50 में से कुल 45 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

5. आडिटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्न-पत्र के लिए विनेश हिम्मत लाल शाह पुरस्कार तथा के० सी० खन्ना पुरस्कार पोरस दारा पवरी अनुक्रमांक 17926 (100 में से कुल 79 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

6. मर्केन्टाईल लॉ, कम्पनी लॉ तथा इंडस्ट्रियल लॉ पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए सुरेश सी० माथुर पुरस्कार प्रदीप गर्ग अनुक्रमांक 17029 (100 में से कुल 70 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

अंतिम परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर–1990

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा :—

श्रेणी	अनुक्रमांक	नाम	
I.	2684	कुमारी सेफाली निरंजन शाह	(800 में से कुल 543 अंक प्राप्त किए)
II.	2709	कुमारी समिता सतीशचन्द्र रूंगटा	(800 मेंसे कुल 527 अंक प्राप्त किए)
III.	2939	कुमारी रीना राजेन्द्रा जैन	(800 में से कुल 525 अंक प्राप्त किए)

1. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जी० पी० कपाड़िया, प्रथम प्रेसीडेंट गोल्ड मैडल कुमारी सेफाली निरंजन शाह अनुक्रमांक 2684 को प्रदान किया जायेगा ।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जे० एस० लोढ़ा गोल्ड मैडल कुमारी सेफाली निरंजन शाह अनुक्रमांक 2684 को प्रदान किया जायेगा ।

3. सर्वोत्तम प्रत्याशी को रामचन्द्र सिधी पुरस्कार कुमारी सेफाली निरंजन शाह अनुक्रमांक 2684 को प्रदान किया जायेगा ।

4. दूसरे नम्बर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के लिए जयन्तीलाल के० ठक्कर मैमोरियल पुरस्कार कुमारी समिता सतीशचन्द्र रूंगटा अनुक्रमांक 2709 को प्रदान किया जायेगा ।

5. सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिए आर० शिवभोगम पुरस्कार कुमारी सेफाली निरंजन शाह अनुक्रमांक 2684 को प्रदान किया जायेगा ।

6. वर्ष 1990 के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए जी० यसु फाउंडेशन पुरस्कार संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097 (800 में से कुल 571 अंक प्राप्त किए) को मई 1990 परीक्षा के लिए दिया जाएगा ।

7. समूह 1 में वर्ष 1990 के सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए एन० एम० दास पुरस्कार टी०एस०बी० राजगोपाल अनुक्रमांक 2959 (400 में से कुल 267 अंक प्राप्त किए) को मई, 1990 परीक्षा के लिए प्रदान किया जायेगा ।

8. समूह 1 में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए केरला वर्मा मैमोरियल पुरस्कार कुमारी रीना राजेन्द्रा

जैन अनुक्रमांक 2959 (400 में से कुल 267 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

9. समूह II में सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए पी० एन० घोष मैमोरियल पुरस्कार कुमारी सेफाली निरंजन शाह अनुक्रमांक 2684 (400 में से कुल 283 अंक प्राप्त किए) को दिया जायेगा ।

10. एडवान्सड एकाउंटिंग (प्रश्न पत्र–1) पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए के० सी० खन्ना पुरस्कार वी० परमेश्वरन अनुक्रमांक 5618 (100 में से कुल 86 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

11. एकाउन्टैंसी (प्रश्नपत्र 1 तथा 2) पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए सर शपूर जी बिल्लीमोरिया पुरस्कार दिनेष चनरानी अनुक्रमांक 4927 तथा आर० कृष्णास्वामी अनुक्रमांक 5688 (200 में से कुल 146 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा।

12. मैनेजमेंट एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए जे० के० दोषी पुरस्कार कुमारी समिता सतीशचन्द्र रूंगटा अनुक्रमांक 2709 (100 में से 80 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

13. आडिटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए ए० एफ० फरग्यूसन पुरस्कार तथा आर० वेंकटेसन मैमोरियल पुरस्कार संदीप कुमार बैद, अनुक्रमांक 4246 (100 में से कुल 71 अंक प्राप्त किए) को दिया जायेगा ।

14. आडिटिंग के प्रश्नपत्र में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए महिला प्रत्याशी को सुखनन्दन गुप्ता कपूरी देवी पुरस्कार श्रीमति सोनी जय ठक्कर अनुक्रमांक 2946 एवं कुमारी रीना राजेन्द्र जैन अनुक्रमांक 2959 (100 में से कुल 63 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

15. कम्पनी लॉ, पर सर्वोत्तम प्रश्न पत्र के लिए यू० सी० मजुमदार पुरस्कार तथा एस० एम० शाह पुरस्कार राजेश कुमार मलानी अनुक्रमांक 4830 (100 में से कुल 70 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

16. प्रत्यक्ष कर नियम (डायरेक्ट टैक्स लॉ) पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए एन० एम० शाह पुरस्कार, सूरा मैमोरियल पुरस्कार तथा ए० जे० शाह अमिता मैमोरियल पुरस्कार राजेश कुमार धूत अनुक्रमांक 4854 (100 में से कुल 74 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

17. सिस्टम एनालिसिस एंड डाटा प्रोसेसिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए टी० आर० चड्ढा पुरस्कार कुमारी सेफाली निरंजन शाह अनुक्रमांक 2684 (100 में से कुल 75 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

18. कास्ट एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए आर० वी० के० अमरजी पुरस्कार कुमारी समिता मनोशचन्द्र रूंगटा अनुक्रमांक 2709 (100 में से कुल 86 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

19. वर्ष 1990 की सर्वोत्तम महिला प्रत्याशी के लिए एस० विश्वनाथन यादगार पुरस्कार कुमारी सेफाली निरंजन शाह, अनुक्रमांक 2684, नवम्बर/दिसम्बर, 1990 परीक्षा (कुल 800 अंकों में से 543 अंक प्राप्त करने के लिए) को प्रदान किया जायेगा ।

20. ग्रुप II में वर्ष का सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए बालचन्दर यादगार पुरस्कार, संजय कुमार खेमानी अनुक्रमांक 3097, मई 1990 परीक्षा (कुल 400 में से 304 अंक प्राप्त करने के लिए) को प्रदान किया जायेगा ।

इण्टर मोडिएट परीक्षा—नवम्बर/दिसम्बर 1990

निम्नलिखित प्रत्याशियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जायेंगे :—

श्रेणी	अनुक्रमांक	नाम	
I.	0015	सो० शंकर	(700 में से कुल 482 अंक प्राप्त किए)
II.	27390	बंका भारत-कुमार कैलाशचन्द्र	(700 में से कुल 465 अंक प्राप्त किए)
III.	23336	शाह सुबोध विजयकुमार	(700 में से कुल 460 अंक प्राप्त किए)

1. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जो० पी० कपाड़िया, प्रथम प्रैसीडेंट पुरस्कार सो० शंकर अनुक्रमांक 0015 को प्रदान किया जायेगा ।

2. सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जे० एस० लोढ़ा गोल्ड मैडल सो० शंकर अनुक्रमांक 0015 को प्रदान किया जायेगा ।

3. वर्ष 1990 के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए सूरी मैमोरियल पुरस्कार संजय कुमार जैन अनुक्रमांक 30480 (700 में से कुल 489 अंक प्राप्त किए) को मई 1990 को परीक्षा के लिए प्रदान किया जायेगा ।

4. एकाउंटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए प्रोफेसर टी० एस० ग्रेवाल पुरस्कार शाह अनीश दलीप अनुक्रमांक 27529 (100 में से कुल 94 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

5 एलोमेंट्स आफ इन्कम टैक्स पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए यू० के० भार्गव पुरस्कार चक्रवर्ती पुन्दरराजन अनुक्रमांक 3408 (50 में से कुल 46 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

6 आडिटिंग पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए दिनेश हिम लाल शाह पुरस्कार तथा वे० सी० खन्ना पुरस्कार कुमारी प्रतिभा परमेश्वरन अनुक्रमांक 25845 (100 में से कुल 81 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

7. मर्केन्टाइल लॉ, कम्पनी लॉ तथा इंडस्ट्रियल लॉ पर सर्वोत्तम प्रश्नपत्र के लिए सुरेश सी० माथुर पुरस्कार देवांग रोहित शाह अनुक्रमांक 25179 (100 में से कुल 70 अंक प्राप्त किए) को प्रदान किया जायेगा ।

परिशिष्ट–8

(सन्दर्भ—रिपोर्ट का पैरा 8.1)

क्षेत्रीय परिषदों की शाखाओं की सूची

डब्ल्यू० आई०आर०सी०

1. अहमदाबाद
2. आनन्द
3. औरंगाबाद
4. बड़ौदा
5. गोआ
6. जलगांव
7. कोल्हापुर
8. नागपुर
9. नासिक
10. पुणे
11. राजकोट
12. सांगली
13. सोलापुर
14. सूरत

एस० आई० आर० सी०

1. अल्लेपी
2. बंगलौर
3. बेलगांव
4. कालीकट
5. कोयम्बटूर
6. इरनाकुलम
7. इरोड
8. गुन्टूर
9. हुबली
10. हैदराबाद
11. कोट्टायम
12. कुम्बाकोनम
13. मदुराई
14. मंगलौर
15. मैसूर
16. पालघाट
17. पाण्डिचेरी
18. क्यूलोन
19. सेलम
20. तिरूचिरापल्ली
21. तिरूनेलवेली
22. तिरूपुर
23. तिरूर
24. त्रिवेन्द्रम
25. तूतीकोरिन
26. वेल्लोर
27. विशाखापत्तनम
28. विजयवाड़ा

ई० आई० आर० सी०

1. आसनसोल
2. भुवनेश्वर
3. कटक
4. दुर्गापुर
5. गोहाटी
6. सिलिगुड़ी

सी० आई० आर० सी०

1. आगरा
2. अजमेर
3. इलाहाबाद
4. अलवर
5. बरेली
6. भीलवाड़ा
7. भोपाल
8. देहरादून
9. धनबाद
10. गाजियाबाद
11. ग्वालियर
12. इन्दौर
13. जयपुर
14. जमशेदपुर
15. जोधपुर
16. कोटा
17. लखनऊ
18. मेरठ
19. नोएडा
20. पटना

21. रायपुर
22. रांची
23. उदयपुर
24. वाराणसी

एन० आई० आर० सी

1. अमृतसर
2. चण्डीगढ़
3. फरीदाबाद
4. हिसार
5. जालन्धर
6. जम्मू
7. लुधियाना
8. शिमला
9. यमुनानगर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स आफ इण्डिया की 31 मार्च, 1991 का तुलन पत्र तथा इसी अवधि को समाप्त होने वाले वर्ष के आय एवं व्यय के लेखे का, जिसमें संस्थान के कार्यालयों, क्षेत्रीय परिषदों, विद्यार्थी संघों तथा उनकी शाखाओं के लेखे जिनका लेखा परीक्षण अनरू लेखा परीक्षकों ने किया है, भी सम्मिलित है और हमारा प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

1. हम ने वे सभी सूचनायें और जानकारी प्राप्त की जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण उद्देश्य हेतु आवश्यक है;

2. तुलन पत्र एवं आय और व्यय के लेखे जो इस प्रतिवेदन में लिए गए हैं वह लेखा पुस्तकों के अनुरूप है;

3. हमारी राय में लेखे, चार्टर्ड एकाउंटैंट्स अधिनियम 1949 की आवश्यकताओं के अनुरूप है, तथा

4. हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार विवरण और अनुसूचियां,

(1) तुलन पत्र के सम्बंध में 31 मार्च, 1991 की कार्य की स्थिति एवं

(2) आय तथा व्यय के लेखे के सम्बन्ध में उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का अधिक, सही और उचित स्थिति प्रकट करते है।

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1991
एम० आर० वेंकटरामन
चार्टर्ड एकाउंटैंट
सी० पी० ओमेहरा
चार्टर्ड एकाउंटैंट

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

लेखा नीतियाँ

1. पैकों सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क तथा एसोसिएट सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के मुख्य भाग को पूंजीगत मान लिया गया है। विद्यार्थी क्रिया-कलापों से प्राप्त होने वाले अधिशेष के उपयुक्त भाग को शिक्षा कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है और जिस सीमा तक यह राशि पिछले वर्ष में स्थायी सम्पत्ति के लिये प्रयुक्त की गई है, पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित कर दी गई है।

2. कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी देयता की व्यवस्था हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के केश एकुमुलेशन योजना के अन्तर्गत पालिसी ली गई है।

3. वर्ष में आयोजित संगोष्टियों, परिसंवादों तथा सम्मेलनों से संबंधित आय व्यय को प्राप्ति एवं भुगतान के आधार पर तथा जनरल के चन्दे को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

4. कागज, प्रकाशित पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन लागत अथवा विकल्प प्राप्त होने वाली राशि के कम मूल्य पर किया गया है। इस उद्देश्य के लिये लागत का निर्धारण सीधी लागत विधि से किया गया है।

5. निवेशों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया गया है।

6. मूल्य ह्रास अचल सम्पत्ति ऐतिहासिक के आधार पर दिखाई गई है और उनके मूल्यह्रास, ह्रासमान शेष विधि से लगाया गया है। पुस्तकालय की पुस्तकों का ह्रासमान सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। वर्ष के बीच में किये गये संयोजन पर पूरे वर्ष का ह्रासमान लगाया गया है।

7. विद्यार्थियों से प्राप्त शिक्षण-शुल्क की दूसरी किस्त का लेखन प्राप्ति आधार पर किया गया है।

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्स आफ इंडिया—नई दिल्ली

31 मार्च, 1991 की तुलना पत्र

	अनुसूची	रुपये	31-3-91 रुपये	रुपये	31-3-90 रुपये
कोषों का श्रोत :					
1. पूंजी आरक्षित निधि	ए		42,517,278		36,734,378
2. सामान्य निधि	बी		17,698,707		19,055,560
3. अन्य आरक्षित निधि	सी		3,057,622		2,709,922
4. प्राप्त ऋण			2,554,054		
5. समायोजित कोष	डी		5,551,231		7,639 907
योग			71,378,892		66,13,767
नियुक्ति कोष :					
1. सावधि पूंजी :					
कुल ब्लाक		52,872,951		40,440,591	
घटाएं : मूल्यह्रास		18,897,239		16,336,641	
निवल ब्लाक	ई		33,975,712		24,103,950
2. निर्माणाधीन भवन			3,558,649		5,037,996
3. क्षेत्रीय पुस्तकालय			377,207		338,42
4. सामायोजित निवेष	एफ		5,551,231		7,639,907
5. अन्य निवेष :					
(अ) बैंकों में सावधि जमा		12,427,899		16,908,119	
(ब) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाण्ड		10,193,432		10,228,432	
(स) यू० टी०आई० के यूनिट		300,160		300,160	
			22 921 491		27,436,711
6. चालू पूंजी ऋण एवं अग्रिम	जी	32,083 031		30,555,647	
घटाएं : चालू देयता		27,088 429		28,972,870	
निवल चालू पूंजी			4,994,602		1,582,777
योग			71,378,892		66,139,767

टिप्पणियां : 31 मार्च 1991 के लेखे का भाग बनते हुए :—

(1) चार शाखाओं एवं नौ विद्यार्थी संघों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं फिर भी वर्ष के दौरान भुगतान की गई अनुदान एवं शुल्क एवं पूंजी और देयता का शुरू का बकाया शामिल कर लिया है।

(2) सरकार के विचाराधीन, आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 10(23 सी) (1) के अंतर्गत छूट की अधिसुचना जारी करने हेतू, प्रार्थना को मध्यनजर रखते हुए कराधान के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(3) चूंकि नोएडा भवन को 31-3-1991 के बाद कार्य हेतु ग्रहण किया गया इसलिये मूल्यह्रास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(4) प्राप्त ऋण बैंक से ओवरड्राफ्ट, बैंक में सावधि जमा के विरूद्ध लिया गया है।

(5) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हुआ पुनः वर्गीकरण किया गया है।

इसी तिथि को संलग्न हमारे प्रतिवेदन के अनुसार—

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
एम०आर० बेंकटरमन	सी० पी० मेहरा	एम०सी० नरसिम्हन	के०एम० अग्रवाल
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट	सचिव	अध्यक्ष

ह०/-	ह०/-
देवेन्द्र कुमार	एन०सी० सुन्दराराजन
उप-सचिव	उपाध्यक्ष

नई दिल्ली

दिनांक : 27 अगस्त, 1991

31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय का लेखा

	सूची	1990–91	1989–90
I. आय	एच		
(अ) सदस्य		32,633,968	32,339,620
(ब) विद्यार्थी		40,072,108	35,224,727
योग		72,706,076	67,564,347
II. व्यय	आई		
(अ) सदस्य		33,278,850	31,923,068
(ब) विद्यार्थी		40,924,694	35,604,553
योग		74,203,544	67,527,621
III. वर्ष का (घाटा)/अधिक्य			
(i) शिक्षा कोष को स्थानन्तरण	डी	(426,293)	(189,913)
(ii) सामान्य रिजर्व को स्थानन्तरण	बी	(1,071,175)	(226,639)
योग		(1,497,468)	36,726
योग		72,706,076	67,564,347

हमी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह०
एम० आर० वेंकटरमनं
चार्टर्ड एकाउन्टैंट

ह०
सी० पी० मेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टैंट

ह०
एम० सी० नरसिम्हन
सचिव

ह०
के० एम० अग्रवाल
अध्यक्ष

ह०
देवेन्द्र कुमार
उपसचिव

ह०
एन० सी० सुदर्शनजन
उपाध्यक्ष

नई दिल्ली,
दिनांक 27 अगस्त, 1991

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैंटस आफ इंडिया—नई दिल्ली

अनुसूची "ए"—पूंजीगत आरक्षित निधि

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1991	31-3-1990
(अ) सामान्य		
पिछले खाते के अनुसार शेष	26,113,989	23,522,245
जमा : प्रवेश शुल्क एवं नियतिति एन्ट्रेन्स शुल्क	1,118,200	1,237,600
जमा : भवनों हेतु दान	2,238,159	1,380,919
घटाये : हटाये गये सदस्यों के प्रति बकाया एन्ट्रेन्स शुल्क का समायोजन	(30,494)	(26,775)
योग (अ)	29,439,854	26,113,989
(ब) शिक्षा		
पिछले खाते के अनुसार शेष	10,620,389	8,955,845
जमा : शिक्षा कोष से स्थानान्तरण	2,457,035	1,664,544
योग (ब)	13,077,424	10,620,389
कुल योग (अ+ब)	42,517,278	36,734,378

अनुसूची "बी"—सामान्य आरक्षिति निधि

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1991	31-3-1990
पिछले खाते के अनुसार शेष	19,055,560	18,994,921
जमा : आय एवं व्यय के खाते से घाटा/अधिक्स	1,071,175	226,639
घटाये : समायोजित कोष से स्थानतरित राशि	(49,249)	(166,000)
जमा : अन्य आरक्षित कोष को स्थानतरण	(236,429)	
योग	17,698,707	19,055,560

अनुसूची "सी"—अन्य आरक्षित निधि

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1991	31-3-1990
पिछले खाते के अनुसार शेष	2,709,922	2,589,239
जमा : निवल वृद्धि/वर्ष के दौरान फेस-वेवल	146,590	133,312
	2,856,512	2,722,551
घटाये : समायोजित कोष को स्थानतरण	(35,319)	(12,629)
घटाये : सामान्य आरक्षित निधि से स्थानतरण	236,429	
योग	3,057,622	2,709,922

अनुसूची "डी"—सामयोजित कोष

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1991	31-3-1990
(1) अनुसंधान कोष	1,000,250	680,250
(2) पदक एवं पुरस्कार कोष :		
पिछले खाते के अनुसार शेष	791,470	746,138
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	30,000	15,000
वर्ष के दौरान अर्जित आय	87,591	69,601
	909,061	830,739
घटाये : पुरस्कार पदक एवं पुरस्कारों की लागत	(51,195)	(39,269)
(3) वैज्ञानिक अनुसंधान कोष	228,682	228,682
(4) अन्य समायोजित कोष		
1. पिछले खाते के अनुसार शेष	3,258,750	3,050,835
2. वर्ष के दौरान अतिरिक्त	591,382	443,107
3. सामान्य आरक्षित कोष से स्थानतरण	49,249	166,000
4. अन्य आरक्षित कोष से स्थानतरण	35,319	12,629
5. दूसरे कोषों से फेर बदल	(86,972)	(80,521)
जमा : वर्ष के दौरान अर्जित आय	183,064	267,867
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	(642,011)	(601,167)
	3,388,781	3,258,750
योग (अ)	5,475,579	4,959,152
(5) शिक्षा कोष :		
पिछले खाते के अनुसार शेष	2,680,755	4,107,956
आय एवं व्यय खाते से स्थानतरण	(426,293)	(189,913)
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	268,075	410,956
	2,522,537	4,328,999
पूंजीगत आरक्षित कोष को स्थानतरण	2,457,035	(189,913)
पुराने रुके ऋण छात्रवृद्धि की अदायगी	10,150	16,300
योग (ब)	75,652	2,680,755
कुल योग (अ) + (ब)	5,551,231	7,639,907

अनुसूची "ई"—स्थाई सम्पत्ति

(राशि रुपयों में)

सम्पत्ति	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1-4-90 को लागत	समायोजन/ स्थानान्तरण	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	31-3-91 को लागत	1-4-90 को	समायोजन/ स्थानान्तरण	वर्ष के दौरान	31-3-91 को	31-3-91 को डब्ल्यू०डी०वी०	31-3-91 को डब्ल्यू०डी०वी०
1. भूमि	2,602,968	681,700	316,303	3,600,971					3,600,971	2,602,968
2. भवन	15,472,476	(679,110)	8,496,685	23,290,051	3,987,204	(34,143)	579,713	4,532,774	18,757,277	11,485,272
3. निर्माणाधीन भवन	5,037,996	(15,037,996)							0	5,037,996
4. बिजली इंस्टा-लेसन एवं फिटिंग	2,216,088	(10,485)	981,813	3,187,416	1,270,107	(972)	114,138	1,383,273	1,804,143	945,981
5. वातानुकूलन	2,211,979	140,000	56,229	2,408,208	1,458,760	21,001	148,347	1,628,108	780,100	753,219
6. फर्निचर एवं फिक्चर्स	6,148,090	282,365	604,676	7,035,131	2,779,613	26,149	427,177	3,232,939	3,802,192	3,368,477
7. लिफ्ट	309,912			309,912	212,947		9,696	222,643	87,269	96,965
8. कार्यालय उपकरण	2,711,828	(17,775)	960,740	3,654,793	1,501,733	30,184	243,892	1,775,809	1,878,984	1,210,095
9. वाहन	106,823	6,579	170,305	283,707	52,129	3,999	45,515	101,643	182,064	54,694
10. पुस्तकालय की पुस्तकें	5,484,354	(31,411)	550,091	6,003,034	4,015,199	(27,305)	601,629	4,589,523	1,413,511	1,469,155
11. कम्प्यूटर	2,753,429	40,300	305,999	3,099,728	1,009,685	6,045	414,797	1,430,527	1,669,201	1,743,744
12. ओडिटोरियम (डब्ल्यू०आई०आर०सी०)	422,644	(422,644)		0	49,264	(49,264)		0	0	
योग	45,148,728	(5,048,477)	12,442,841	52,872,951	16,336,641	(24,306)	2,584,049	18,897,230	33,975,712	29,141,946
पिछला वर्ष	38,148,728	(733,029)	8,062,888	45,478,587	13,920,853	(52,421)	2,468,209	16,336,641	29,141,946	

अनुसूची —"एफ"—समायोजित निवेश

(राशि रुपयों में)

समायोजित कोष निवेश	बैंकों में सावधी जमा खाते		प्राप्त ब्याज		सैटयूल्ड बैंक खातों में शेष		योग	
	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990
1. अनुसंधान कोष	1,000,150	680,250			100		1,000,250	680,250
2. पदक एवं पुरस्कार कोष	692,165	677,778	38,376	50,820	127,325	62,872	857,866	791,470
3. वैज्ञानिक अनुसंधान कोष	224,654	224,654		402	4,028	3,626	228,682	228,682
4. अन्य समायोजित कोष	2,672,530	3,056,840	113,810	24,330	602,441	177,580	3,388,781	3,258,750
उप योग	4,589,499	4,639,522	152,186	75,552	733,894	244,078	5,475,579	4,959,152
5. विक्षा कोष	75,652	2,680,755					75,652	2,680,755
योग	4,665,151	7,320,277	152,186	75,552	733,894	244,078	5,551,231	7,639,907

अनुसूची "जी"—निवल चालू सम्पत्ति

(राशि रुपयों में)

विवरण			31-3-1991		31-3-1990	
चालू सम्पत्ति						
(अ) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं स्टेशनरी स्टाक				5,536,052		4,665,065
(ब) प्राप्त राशि :						
(i) निवेशों से प्राप्त ब्याज			2,006,220		1,580,122	
(ii) गृह एवं वाहन ऋणों पर ब्याज			1,597,611		1,380,627	
(iii) प्रतिभूति जमा			524,429		445,830	
(iv) अन्य प्राप्य			914,483	5,042,743	1,729,676	5,136,255
(स) ऋण एवं अग्रिम ;						
(i) कर्मचारियों को ऋण :						
गृह एवं वाहन ऋण			6,319,952		6,027,261	
अन्य ऋण			391,313		706,807	
	उप योग		6,711,265		6,734,068	
(ii) अग्रिम एवं अग्रिम भुगतान			3,549,693	10,260,958	2,782,362	9,516,430
(द) नकद एवं बैंक बकाया				10,985,278		11,237,897
(य) डिमांड ड्राफ्ट-हाथ में				258,000		
	योग			32,083,031		30,555,647
घटाएं : चालू देयताएं						
(अ) अग्रिम प्राप्त शुल्क				17,051,823		18,302,778
(ब) खर्च के लिये उधार				7,204,514		8,224,157
(स) अन्य देयताएं				2,832,092		2,445,935
	योग			27,088,429		28,972,870
निवल चालू सम्पत्ति				4,994,602		1,582,777

अनुसूची "एच"

31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का अनुलग्नक

(राशि रुपयों में)

आय	योग		सदस्य: रेगुलेटरी		सदस्य: व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान		विद्यार्थी	
	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990
1. एंट्रेन्स शुल्क (नियतित)	304,700	408,400	304,700	408,400				
2. सदस्यता शुल्क	21,795,140	20,892,164	21,795,140	20,892,164				
3. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुल्क	21,600	28,400			21,600	28,400		
4. विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	1,542,915	1,596,510					1,542,315	1,596,510
5. विद्यार्थी संघ शुल्क	319,775	332,600					319,775	332,600
6. कोचिंग शुल्क	14,384,658	4,025,518					14,384,658	14,025,518
7. परीक्षा शुल्क	15,833,346	12,126,130					15,833,346	12,126,130
8. जरनल एवं न्यूजलैटर	1,597,079	1,410,033			791,415		805,664	1,410,033
9. प्रकाशन	4,704,111	4,883,304			1,398,430	1,682,261	3,305,681	3,201,043
10. निवेषों पर ब्याज (रिजर्व एवं वी०ओ०एस०)	165,394	174,520			113,264	113,901	52,130	60,619
11. परिषद एवं क्षेत्रीय परिषदों हेतु नामांकन शुल्क		3,025		3,025				
12. कम्प्यूटर केन्द्रों से आय	1,491,536	1,345,788			1,118,652	1,345,788	372,884	
13. गोष्ठियों से आय	3,847,039	4,754,460			3,669,778	4,754,460	177,261	
14. अन्य आय	1,644,021	1,401,568	6,671	6,715	711,731	546,613	925,619	848,240
15. अवांछित प्रोविजन (रीटर्न बैंक)	1,518,794		617,952		164,877		735,965	
उपयोग	69,170,108	63,382,420	22,724,463	21,310,304	7,989,747	8,471,423	38,455,898	33,600,693
16. सामान्य कोष निवेषों (नियतित) से आय	3,016,624	3,220,177	1,538,479	1,642,290			1,478,145	1,577,887
उप योग	72,186,732	66,602,597	24,262,942	22,952,594	7,989,747	8,471,423	39,934,043	35,178,580
17. पूर्व समय आय	519,344	961,750	41,494	879,977	339,785	35,626	138,065	46,147
योग	72,706,076	67,564,347	24,304,436	23,832,571	8,329,532	8,507,049	40,072,108	35,224,727

अनुसूची "आई"

31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखे का अनुलग्नक (राशि रूपयों में)

व्यय	योग		सदस्य				विद्यार्थी	
			रेगुलेटरी		व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान			
	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990
1. वेतन एवं कर्मचारी खर्च	22,956,468	21,834,986	6,439,619	3,973,683	2,948,227	4,725,922	13,568,622	13,135,381
2. छपाई एवं लेखन सामग्री	1,804,743	1,695,774	782,606	138,859	337,427	864,256	684,710	692,659
3. प्रकाशन	2,7499,600	2,712,658	907,845	670,421	521,063	781,275	1,320,692	1,260,962
4. जरनल एवं न्यूजलेटर	5,869,763	5,797,008			4,695,810	4,908,122	1,173,953	888,886
5. कोचिंग खर्च	4,593,258	4,318,480					4,593,258	4,318,480
6. परीक्षा खर्च	12,077,007	8,598,277					12,077,007	8,598,277
7. डाक प्रभार, दूरभाष एवं तार	2,156,663	1,902,232	862,665	408,924	215,666	608,825	1,078,332	884,483
8. किराया, दर एवं कर	3,053,622	2,841,298	1,221,449	563,404	305,362	1,004,166	1,526,811	1,273,728
9. मरम्मत एवं रख-रखाव	1,072,048	1,216,535	428,819	227,910	107,205	456,580	536,024	532,045
10. यात्रा एवं परिवहन								
(अ) परिषद के सदस्य	2,757,694	1,725,601	804,061	395496	1,267,955	924,397	685,678	405,708
(ब) कर्मचारी एवं अन्य	1,939,045	1,014,594	872,245	179,939	228,989	360,875	837,811	473,780
11. पुस्तकालय रख-रखाव	152,362	154,572			38,090	81,003	114,272	73,569
12. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	1,137,997	836,671			1,137,997	836,671		
13. व्यवसायिक शुल्क	779,411	339,001	342,202	197,419	350,714	80,149	86,495	61,433
14. चुनाव		80,823		80,823				
15. कम्प्यूटर केन्द्रों के खर्चे	1,319,553	1,280,162			989,665	1,280,162	329,888	
16. गोष्ठियों के खर्चे	4,333,493	4,480,277			4,161,821	4,480,277	171,672	
17. बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	200,090		89,036		20,009		100.045	
18. अन्य खर्चे	2,226,514	2,479,134	841,469		751,482	1,579.882	633,563	899,252
19. मूल्य ह्रास	2,584,904	2,468,209	1,033,962	617,053	258,490	617,051	1,292,452	1,234,105
उप योग	73,764,235	65,776 292	14,616,978	7,453,931	18,335.972	23,589,613	40,811,285	34,732,748
20. पूर्व अवधि के खर्चे	439,309	1,751,329	88,528		237,372	879,524	113,409	871,805
योग	74,203,544	67,527,621	14,705,506	7,453,931	18,573,344	24,469,137	40,924,694	35,604,553

31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष में वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(लाख रुपयों में)

	1990–91	1989–90
कोषों के स्रोत :		
निवेशों से निवल आय . .	34.54	38.10
पूंजीगत प्राप्तियां	39.14	28.17
बैंक ओवर ड्राफ्ट . . .	25.54	
निवेशों का नकदीकरण . .	66.05	19.09
उप योग . .	165.27	85.36
वर्ष का घाटा बिना मूल्यह्रास लाभ किये तथा निवेशों से प्रजाननोत्तर आय का विचार करते हुए . .	(20.98)	(8.94)
योग . . .	144.29	76.42
कोषों का विनियोग :		
कार्य शील पूंजी में वृद्धि . .	34.12	2.59
सावधि सम्पत्तियों का परिग्रहण .	110.17	73.83
योग . . .	144.29	76.42

कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों का विवरण

(लाख रुपयों में)

	1990–91	1989–90
	1	2
चालू सम्पत्ति		
(अ) प्रकाशन, अध्ययन सामग्री एवं लेखन सामग्री	8.71	1.43
(ब) प्राप्त होने वाली राशि :		
(i) निवेशों पर अर्जित ब्याज .	4.26	0.40
(ii) गृह ऋण इत्यादि पर ब्याज	2.17	2.04
(iii) प्रतिभूति जमा . .	0.79	0.14
(iv) अन्य . . .	(8.15)	4.39
(स) ऋण एवं अग्रिम :		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम .	(0.23)	8.71
(ii) अन्य . . .	7.67	10.49
(द) नकद एवं बैंक बकाया . .	0.05	19.71
योग . . .	15.27	47.31
चालू देयताएं ;		
(अ) अग्रिम प्राप्त मूल्य .	(12.51)	24.06
(ब) खर्च के लिये ऋणदाता .	(10.20)	13.95
(स) अन्य देयताएं . .	3.86	6.71
योग . . .	(18.85)	44.72
कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि .	34.12	2.59

वर्ष 1990–91 में सदस्यों पर व्यय का विश्लेषण

क्रम संख्या	विवरण	1990–91	1989–90
1. (अ)	सदस्यों की संख्या .	58,998	56,213
(ब)	कुल खर्चा* . . रु०	33,279	31,923
2.	प्रति सदस्य कुल खर्च .	564	568
3.	रेगुलेटरी . .		
(अ)	कुल खर्चा* . रु०	14,706	7,454
(ब)	प्रति सदस्य खर्चा .	249	133
(स)	प्रतिशत . .	44 प्रतिशत	23 प्रतिशत
4.	व्यवसायिक विकास एवं अनुसंधान		
(अ)	कुल खर्चा* . रु०	18,573	24,469
(ब)	प्रति सदस्य खर्चा .	314	435
(स)	प्रतिशत . .	56 प्रतिशत	77 प्रतिशत

*हजार रुपयों में

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 1991

संख्या : यू०–16/53/89/चि०–2 (कर्नाटक)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या : 1024 (जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा मैसूर के डा० एस० एम० शिवाना को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर अब से वह कार्य-भार ग्रहण करने से अगली एक वर्ष की अवधि तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य-भार ग्रहण करने तक इनमें से जो भी पहले हो, मैसूर केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० के० एम० सक्सैना
चिकित्सा आयुक्त

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 सितम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1507—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-I में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1.	मैसर्स पारले बिस्कुटस बहादुरगढ़ डिस्ट्रक्ट रोहतक और इसका पंजीकृत कार्यालय . . . बम्बई में है।	पी० एन०/5538	1-2-90 से 31-1-93	2/3781/91-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स बाल भारती स्कूल बहादुरगढ़ डिस्ट्रक्ट रोहतक	पी० एन०/8550	1-2-90 से 31-1-93	2/3763/91-डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों को वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी ताबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन

के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1519—-जहां मैसर्स टी. एस्टेट्स इण्डिया लि., ब्रुक्स हाउस, नं. 1 पोस्ट आफिस रोड, पोस्ट बाक्स नं. 13 कुन्नूर-641 103 (टी. एन.-1055) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयंबत्तूर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-3-89 से 28-2-92 तक) ।

अनुसूची -II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1525—जहां मैसर्स सर्वराया प्रिंटर्स एण्ड पब्लिसर्स, लासन्स बे कालोनी-4, कोटा वसकोजी पालेस, विशाखापटनम-17 (ए. पी./13029) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विशाखापटनम ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं। (दिनांक 1-10-89 से 30-9-92 तक)।

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1531—जहां मैसर्स सी. एफ. एल. फार्मास्यूटिकल्स लि., राव-डे-कुर्म, पैनजीम, गोवा-403 001 (गोवा/9888) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 2/1959/डी.एल.आई./एक्जाम/89-पार्ट-1 दिनांक 24-9-90 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 1-3-90 से 28-2-93 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-93 भी शामिल है ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1537 जहां मैसर्स पापुलर आटोमोबाइल्स प्रा. लि., 4, मैक डोनाल्डस रोड, त्रिची-620 001 (कोड नं. टी. एन./1140) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

और चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त त्रिची ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 1-3-89 से 28-2-92 तक) ।

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89-भाग-1/1573—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-I में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये के०भ०नि०आ० है	फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स ईस्टर्न इण्डिया कन्टेन-(प्रा०) लि०, सी०—20, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, विशाखा-पतनम–530007	ए पी/17228	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1/7932 दिनांक 26–10–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3066/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स सर्वराया सुगरस इम्प-लायज कोप० क्रेडिट सोसायटी लि०, रजि० नं० डी–1501, चेलरु–533261	ए० पी/17994	वही	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3067/90–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स शाहूवाला सिलेन्डरस लि० प्लाट नं० 242, डी ब्लाक, आटोनगर, विशाखा-पतनम–12	ए० पी/16956	वही दिनांक 18–1–91	30–9–91	1–10–91 से 30–9–94	2/3334/90–डी० एल० आई०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	मैसर्स सार्थन इलैक्ट्रोडस लिमिटेड न्यू इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एरिया, विशाखा-पटनम–12	ए पी/11588	वही दिनांक 26–10–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3063/90–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स डेरडींग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, पोर्ट एरिया, विशाखापटनम–33	ए० पी/5965	एस–35014/191/85–एस० एस० II दिनांक 21-8-85	20–8–88	21–8–88 से 20–8–91	2/646/82–डी० एल० आई०
6.	मैसर्स सन्डलिया जनरल इण्डस्ट्रीस (विजग) 15–68–डाक्टर सालेश्वर रोड महारानीपट, विशाखा-पटनम . .	ए० पी०/14020	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1/7932 दिनांक 26–10–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3064/90–डी० एल० आई०
7.	मैसर्स नागरिक इलेक्ट्रोडस प्रा० लिमिटेड, डाका गारडन, विशाखापटनम–5330020	ए पी/16293	वही	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/3065/90–डी० एल० आई०
8.	मैसर्स दी अनाकपाली कोप० मार्किटिंग सोसायटी लिमिटेड, अनाकपाली (पोस्ट) विशाखा-पटनम	ए० पी/1226	एस–35014/303/82–पी० एफ० II (एस II) दिनांक 27–6–85	11–2–89	12–2–98 से 11–2–92	2/749/82–डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1543—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-I में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

गुजरात

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फाइल नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स असवरा मिल्सस, रोड, अहमदाबाद—380016	जी० जे/274	एस०—35014/131/87/एस० एस०—II 22—12—87	27—12—90	28—12—90 से 27—12—93	2/660—89—जी० एल० आई०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	मैसर्स केडिला लेबोरेट्रीज, लि० 244–गुजरात मानी-नगर, अहमदाबाद–380008	जी०जे/1357	एस–35014/145/82–पी० एफ० II (एस० एस II)दिनांक 10–6–85	24–9–88	25–9–88 से 24–9–91	2/707/82-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स को-आपरेटिव बैंक आफ अहमदाबाद लि०, अहमदाबाद बैंक चेम्बरस रिलिफ रोड, अहमदाबाद–380001	जी० जे/4677	एस–35014/206/83–पी० एफ० II (एस० एस० II) दिनांक 28–4–86	17–12–89	17–12–89 से 16–12–92	2/315/90–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स ग्लैक्सी मेग्टस, जी० आई० डी० सी०, वापी 396195	जी० जे०/9449–ए	2/1959/डी० एल० आई एक्जाम/पार्ट–1/3914 दिनांक 1–8–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2766/90–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स एवरेस्ट केमिकल्स मिनरल्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 203 जी० आई डी सी० वापी–396195	जी० जे/9449	वही		"	2/2757/90–डी० एल० आई०
6.	मैसर्स वापी पोलीमरस (प्रा० लि०) प्लाट नं० 203/2, जी० आई० डी० सी०, वापी 396195	जी० जे/9449–बी	2/1959/डी० एल० आई० एक्जाम/पार्ट–1/3914 दिनांक 1–8–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2764/90–डी० एल० आई०
7.	मैसर्स परफेक्ट एक्यूपमेंट, एल/172, जी० आई० डी० सी० एस्टेट, ओढ़व रोड, अहमदाबाद–382415	जी० जे/11040–	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जाम/पार्ट–1 /3914 दिनांक 1–8–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2798/90–डी० एल० आई०
8.	मैसर्स सिद्धमार्क लेबोट्रिज (इण्डिया) प्रा० लि०, नेशनल हाईवेज नं० 8, अब-रामा, वलसाद–396001	जी० जे/15824	2/1959/डी० एल० आई०/ एक्जाम/पार्ट–3914 दिनांक 1–8–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2794/90–डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी ओर से अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1549—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिस के लिये और छूट दी गई है।	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स दी एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, सीमेंट हाउस, 121, एम कारवे रोड, चर्चगेट, बम्बई-400020	महा/4095	एस-35014/271/85-एस० एस० II दिनांक 25-11-85	24-11-88	25-11-88 से 24-11-91	2/658/82-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स एक्समलर इंजिनियरिंग प्रा० लिमिटेड, 70, लक्ष्मी इन्शोरेंस बिल्डिंग, सर० पी० एम० रोड, बम्बई (पहले मैसर्स डावर इंजिनियरिंग प्रा० लिमिटेड के नाम से)	महा/6797	एस-35014/404/82-पी० एफ० II एस एस II दिनांक 31-3-86	14-1-89	15-1-89 से 14-1-92	2/777/82-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स लंनजाम इलैक्ट्रीकल कम्पनी प्रा० लिमिटेड, बी एस० देवसी मार्ग, आफ सन-पनवल रोड, देवनार, बम्बई-88	महा/11048	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट-1 दिनांक दिनांक 3-4-91	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/3449/91-डी० एल० आई०
4.	मैसर्स केमलीन लिमिटेड, आर्ट मेटिरियल डिवीजन, केमलीन हाउस, जे० बी० अन्धेरी, बम्बई-59 तथा इस की शाखायें जो दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, पूना, हैदराबाद स्थित है। (पहले केमलीन प्रा० लिमिटेड था)	महा/9560	एस-35014/219/86-एस० एस० II दिनांक 28-8-86	27-8-89	28-8-89 से 27-8-92	2/1417/86-डी० एल० आई०
5.	मैसर्स केमलीन लिमिटेड पैंसिल डिविजन, डी-2, एम आई० डी० सी० एरिया, वाय र, नवपुर तल, पालघर डिविजन, थाने तथा शाखायें सहित (पहले मलीन प्रा० लि० था)	महा/20878	एस-35014/219/86-एम० ए० II दिनांक 28-8-86	1-9-89	2-9-89 से 1-9-92	2/1471/86-डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
6.	मैसर्स कैमलीन लिमिटेड, स्टेशनरी डिविजन, कैमलीन हाउस, जे० बी० नगर, अन्धेरी, बम्बई–59 तथा इस की शाखायें जो दिल्ली, मद्रास कलकत्ता बंगलौर, हैदराबाद स्थित (पहले कैमलीन प्रा० लि० था)	महा/1109	एस०–35014/230/86–एस०एस० II दिनांक दिनांक 4–9–86	3–9–89	4–9–89 से 3–9–92	2/1417/86–डी० एल० आई०
7.	मैसर्स ईवाफ एलोज लिमिटेड, साकी विहार रोड, पो० बा० नं० 8933, पोवाई, बम्बई–72.	महा/12309	एस–35014/102/85 एस०एस० II दिनांक 30–4–85	29–4–88	30–4–88 से 29–4–91	2/288/79–डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1555—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स गुजरात वाटर एण्ड एयर पालूशन कन्ट्रोल, बोर्ड, पुरानी एसैम्बली बिल्डिंग, सैक्टर–17, गांधी नगर	जी० जे०/1345	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1/4489 दिनांक 29–8–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/1309/85–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स बड़ौदा इलैक्ट्रीक मीटर्स लि०, विडल उद्योग नगर, वल्लभ विद्या नगर, आनन्द, गुजरात	जी० जे०/4535	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट–1/7858 दिनांक 26–10–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2782/89-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स श्रीयास कोआॅपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, नीलकण्ठ महादेव के पास, पुरानी पायलट डायरी के सामने, कनकारिया रोड, अहमदाबाद (श्री श्रीयास को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि० के नाम से जानी जाने वाली)	जी०जे०/7259	'ए' एस–35014/(94) 87–एस० एस 11 दिनांक दिनांक 14–9–87	13–9–90	14–9–90 से 13–9–93	2/1303/85-डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
4.	मैसर्स मोंती लैमीनेश (प्रा०) लि० प्लाट नं० 67/1-2 और 68, जी० आई डी० सी, एस्टेट, विषनगर-384315	जी० जे/11575	एस० 35014/36/85/ एस० एस० II दिनांक 28-2-85	27-2-88	28-2-88 से 27-2-91	2/1166/88-डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1561—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है।	के० भ० नि० आ फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स पुडुकोटई डिस्ट्रिक सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुडुकोटई-622001 (तथा सभी शाखायें जो इस कोड नं० अण्डर स्थित है।	टी एन०/4178	2/1959/डी० एल० आई एक्जाम/ 89/भाग दिनांक 21–5–91	31–1–91	1–2–91 से 31–1–94	2/2684/90–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स तमिलनाडु फ्लूराईन एलाईड कैमीकल्स लिमिटेड, 14–सिपकोट कम्पलैक्स, कुडुलोर–607005	टी० एन/17276	एस–35614/39/88–एस० एस० II दिनांक 27–6–88	26–6–91	27–6–91 से 26–6–94	2/1755/88-डी० एल० आई

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक

बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1567—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० फाइल नं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स तमिलनाडु केमीकल प्रोडकरप लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस टी० सी० पी सपया गिरि भवन, 10, कपागम्बल नगर मईलापुर, मद्रास—600004 ।	टी० एन/12143	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/भाग—1/3895 दिनांक 1—8—90	28—2—90	1—3—90 से 28—2—93	2/2732/90—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स मद्रंताकम को-आपरेटिव सुगर मिल्स लिमिटेड, चेंनगलपूर अम्मा जिला तमिलनाडु ।	टी० एन/3466	एस—35014(3)/86—एस० एस० II दिनांक 5—2—86	4—2—89	5—2—89 से 4—2—92	2/1092/84—डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर की रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसको हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/जी. एस. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1573—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एम. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एम. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची–I

क्रम संख्या	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स जी० के० लैदरज, कापीवड़ी रोड, मेलवीशरम नार्थ अरकोट जिला	टी० एन/23183	1–1–1989	2/3770/91–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स ए० टी० एच० लेडर फैबरिक, कापीवाड़ी रोड, मैलवीशरम, नार्थ अरकोट जिला	टी० एन/23182	1–1–1989	2/3771/91–डी० एल० आई०
3.	मैसर्स मुमताज लैदरज, कापीवाड़ी कापीवाड़ी रोड, मेलवीशरम नार्थ अरकोट जिला	टी० एन/23184	1–1–1989	2/3772/91–डी० एल० आई०
4.	मैसर्स डेरीज कफैम्रामरीज लि०, रमन फ्लोर, प० ब० नं० 2040, मद्रास–1	टी० एन/345–सी	1–4–1990	2/3773/91–डी० एल० आई०
5.	मैसर्स मैक इंजीनियरिंग कम्पनी, नं० 196, सिदको इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, मद्रास–98	टी० एन/17610	1–3–1989	2/3774/91–डी० एल० आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य

निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1579—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1	2	2	4	5
1.	मैसर्स हरबिन ओपटीकल एंड गलास इंण्डस्ट्रिज सी—34 सनप नगर हैदराबाद, (आन्ध्रा प्रदेश)—500018	ए० पी/3028	1—12—88 से 30—11—91	2/3765/91—डी० एल० आई०
2.	मैसर्स ईटगरेटड सिस्टम (प्रा०) लिमिटेड, 6.3—542/3, पेजा गुडा, हैदराबाद—500482 (आन्ध्रा प्रदेश)	ए० पी०/16275	1—3—90 से 28—2—93	2/3766/91—डी० एल० आई०
3.	मैसर्स दि आन्ध्रा प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक लिमिटेड है० आ० टरन्प बाजार, हैदराबाद	ए० पी०/2340	1—12—87 से 30—11—90	2/3767/91—डी० एल० आई०
4.	मैसर्स सुराना स्टरिपस एस० पी० रोड, 7 वीं मंजिल सर्मा टावर, सिकन्दराबाद—500003 (आन्ध्रा प्रदेश)	ए० पी०/16993	1—3—90 से 28—2—93	2/3768/91—डी० एल० आई०
5.	मैसर्स दि आन्ध्रा प्रदेश हैण्डलूम विविंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नारायण गुडा हैदराबाद (आन्ध्रा प्रदेश)	ए० पी०/14728	1—3—90 से 28—2—93	2/3769/91—डी० एल० आई०
6.	मैसर्स श्री सथावह्वाना ग्रामीण बैंक, मु० क० :——मुकरम पुरा पो बैग नं० 3, करीम नगर—505002	ए०पी०/14310	1—2—88 से 31—1—91	2/3775/91—डी० एल० आई०
7.	मैसर्स बेनतरा लोकोमोटिव लिमिटेड, प्लाट नं० 23 बी, पेटनम्बेरू, मेडक (आन्ध्रा प्रदेश)	ए० पी०/5642	1—9—87 से 31—8—90	2/3776/91—डी० एल. आई०

अनुसूची –II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।]

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1585—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा

तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-I

क्रम संख्या स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान अवधि जिसके लिए को गई छूट की समाप्ति की तिथि	और छूट दी गई है	क्षे०भ०नि०आ० फाइल संख्या
1 2	3	4	5	6	7
1. मैसर्स वैकीलाइट हाइलम लिमिटेड 7-2-1669, सामाथनगर पी० बी० नं० 1908, हैदराबाद	ए० पी० 1511	2/1959/डी० एल० आई/ एक्जम/89/पार्ट-1/5436 दिनांक 24-9-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/3022/90-डी०एस०आई०
2. मैसर्स स्टेंडर्ड ओरगानाइक्स लिमिटेड, प्लाट नं० 36 से 44, आई० डी० ए, फेस-II, पटानचेरू डिस्ट्रीक, मेडक (ए० पी०) . .	ए० पी०/12862	एस०-35014/20/84/ पी० एफ०-II (एस० एस०-II) दिनांक 3-3-87	16-3-90	17-3-90 से 16-3-93	2/998/83-डी० एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व

कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1591—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बत्तूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स दि राजा लक्ष्मी मिल्ज लिमिटेड, सिगनालोर, कोयम्बटूर 641005	टी० एन/91	1–1–90 से 31–12–92	2/3791/91–डी० एल० आई०
2.	मैसर्स श्री अकीलदेस्वरी मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, प० ब० नं० 931, गांधी नगर, सलीम–636009	टी० एन/128	1–3–90 से 28–2–93	2/3791/91–डी० एल० आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 12 सितम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1601—जहां मैसर्स गौड़ ग्रामीण बैंक (कोड सं. डब्ल्यू.बी.) 16303 (स्टेशन रोड़) मालडा (पश्चिम बंगाल) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन को छूट देता हूं । (दिनांक 1-4-89 से 31-3-92 तक) ।

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार,

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं० एफ० पी० आई० (142)/91/1597—जहां मैसर्स दि इण्डियन रोड कन्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली कोड नं० डी० एल०/7148 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1 सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए संलग्न परिशिष्ट—1 में जिनके नाम दर्शाये हैं, ने अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन भेजे हैं ।

चूंकि मैं, ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी० सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के कर्मचारियों पर लागू है कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1—सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त स्थापना के कर्मचारियों को जैसा कि इस अनुसूची—1 में दिया गया है, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में थे तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित थे निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सरकार के 22—1—1990 के आदेश के अनुसरण में 22—1—1990 से 21—7—1990 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी पेंशन स्कीम के सभी उपबंधों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं ।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।
2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।
3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित नियोक्ता सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा ।

संस्थापना का नाम : दि० इण्डियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली

कोड सं० डी० एल०/7148 :

कर्मचारी का नाम	कोड नं०	पता
1. श्री मनजीत सिंह कोहली . .	डी० एल/7148	हाउस नं० 1, सेक्टर 37, अरुण विहार नोयडा (यू० पी०)।
2. श्री वी० जयारमन	,,	8, प्लाट नं० 35, किरलोन/एपार्टमेंट, आई० पी० एक्सटेन्शन, नई दिल्ली–92 ।
3. श्री टी० वी० बी० नय्यर	,,	कूवोडी० पी० ओ० कुल्ली कलोल (वाया) तथ्यराम्बा, अन्नानूर, जिला केरला।
4. श्री मोहिन्द्र सिंह वर्मा . . .	,,	सी–11/151 यमुना विहार, दिल्ली–53।

सं० एफ० पी० आई० (148) 91/1607—जहां मैसर्स टेली कमयूनिकेशन कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लि० कोड नं० डी० एल०/5371 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए श्री एच० आर० विगमल, श्री एस० एन० गुप्ता व श्रीमती एल० के० रमन के सम्बन्ध में आवेदन भेजे हैं।

चूंकि मैं, ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी० सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के कर्मचारियों पर लागू है कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1–सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त स्थापना के कर्मचारियों को जैसा कि उपरोक्त में दिया गया है, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में थे तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित थे निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सरकार के 22–1–1990 के आदेश के अनुसरण में 22–1–1990 से 21–7–1990 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा-निवृत्त हुए, को कर्मचारी पेंशन स्कीम के सभी उपबंधों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित नियोक्ता सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, व लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा।

ब० ना० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र समिति

टेक्सटाईल सेंटर

बम्बई–400 009, दिनांक 29 जून 1991

सं० 67/11/87–प्रशा०—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41वां) की धारा 23 की उपधारा (2) के खण्ड (ग), सपठित उपधारा (आई) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र समिति, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, समूह बचत सह बीमा योजना के प्रवर्तन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा—

1. संक्षिप्त नाम : ये विनियम वस्त्र समिति कर्मचारी (समूह बचत सह बीमा योजना) विनियम, 1989 कहलायेंगे।

2. लागू होने की तिथि : वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह बीमा (जी० एस० एल० आई०) योजना, 1989, जिसे आगे "योजना" कहा जायेगा, दिनांक 20 मई, 1989 से प्रवृत्त मानी जायेगी। इस योजना का कार्यान्वियन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा समूह बचत सह बीमा योजना के लिए समय-समय पर बनाए गये नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

3. उद्देश्य : इस योजना का अभिप्रेत, वस्त्र समिति के कर्मचारियों के पूर्णतः अंशदान आधार पर कम लागत से, दोहरा लाभ यथा सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो

जाने पर परिवार की सहायतार्थ बीमे को कम तथा सेवानिवृत्ति की स्थिति में एक-मुश्त राशि का भुगतान कर, उपलब्ध कराना है ।

4. प्रासंगिता : यह योजना समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों सहित वस्त्र समिति के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि 18 वर्ष से कम और 57 वर्ष से अधिक की आयु के न हों ।

5. सदस्यता :

(1) यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी, जो योजना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वस्त्र समिति की सेवा में प्रवेश करेंगे ।

(2) ऐसे कर्मचारियों को, जो कि इस योजना के अधिसूचित होने के समय वस्त्र समिति की सेवा में हैं, इस योजना में सम्मिलित न होने का एक विकल्प प्राप्त होगा । इस विकल्प का उपयोग इस हेतु अधिसूचित तारीख तक करना होगा । जो कर्मचारी निश्चित तारीख तक योजना से बाहर रहने के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें योजना के प्रवृत्त होने की तिथि से सदस्य माना जाएगा । एक बार दिया विकल्प (अथवा नहीं दिया गया) अंतिम माना जाएगा तथा भविष्य में पुनः विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(3) योजना के लागू होने के पश्चात् सेवा में आनेवाले कर्मचारी को योजना की अगली वार्षिक तिथि पर सदस्य बनाया जायेगा ।

6. सदस्यों का अंशदान :

(1) "योजना" के लिए अंशदान प्रतिमाह रु० 10/– की यूनिटों में होगा । समूह "डी" का कर्मचारी एक यूनिट के लिए अंशदान करेगा, समूह "सी" का कर्मचारी दो यूनिटों के लिए, समूह "बी" का कर्मचारी चार यूनिटों के लिए तथा समूह "ए" का कर्मचारी आठ यूनिटों के लिए अंशदान करेगा। इस प्रकार इस योजना के लिए समूह डी, सी, बी तथा ए के किसी एक कर्मचारी का अंशदान क्रमशः रु० 10/–, रु० 20/–, रु० 40/– तथा रु० 80/– प्रतिमाह की दर से होगा ।

(2) एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति होने की स्थिति में, उसका अंशदान योजना के लागू होने की अगली वार्षिक तिथि से उसकी जिस समूह में पदोन्नति हुई है के अनुरूप स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा। जब तक कि योजना की अगली वार्षिक तिथि नहीं आती है, तब तक वह उसी राशि, जिसके लिए वह पदोन्नति से पूर्व पात्र था, के लिए ही बीमा के अन्तर्गत सुरक्षा के लिए पात्र होगा ।

7. जो कर्मचारी सदस्य नहीं हैं, उनके लिए बीमा-किश्त व बीमा सुरक्षा :

वह कर्मचारी, जो कि मई, 1989 के पश्चात् आने वाले मई माह के अतिरिक्त किसी अन्य माह के दौरान सेवा में प्रवेश करता है उसे समिति की सेवा में आने की तिथि से योजना का सदस्य बनने की तिथि तक प्रति माह 10,000/– के लिए यथावश्यक बीमा-किश्त के अनुरूप यथावश्यक अंशदान प्रतिमाह कर बीमा सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी तथा, योजना की अगली वार्षिक तिथि से वह ऊपर अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट के अनुसार ही अंशदान करेगा।

8. बीमा–सुरक्षा :

(1) "योजना" के प्रत्येक सदस्य को बीमा-सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंशदान का एक हिस्सा बीमा के पेटे जमा किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अभिदत्त यूनिट के लिए बीमा-सुरक्षा रु० 10,000/– की होगी । इसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उन "कर्मचारियों" के परिवारों को किया जाएगा, जिनकी वस्त्र समिति की सेवा में रहते हुए किसी भी कारण से दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए ।

9. बचत–निधि :

(1) अंशदान का शेष हिस्सा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बचत निधि में जमा किया जाएगा। बचत-निधि में एकत्रित राशि भारतीय जीवन बीमा निगम के पास रहेगी । इस प्रकार एकत्रित कुल ब्याज सहित बचत, सदस्य को उसके सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा-निवृत्त होने पर अथवा वस्त्र समिति की सेवा छोड़ने पर देय होगी अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को देय होगी ।

(2) बचत-निधि में जमा राशि पर जीवन बीमा निगम द्वारा समय-समय पर घोषित दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा । यदि किसी समय ब्याज दर में परिवर्तन होता है और/अथवा बीमा लागत में परिवर्तन होता है तो बचत-निधि से प्राप्त होने वाली सहायता में भी तदनुसार ही परिवर्तन होगा ।

(3) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर बीमा-सुरक्षा की राशि बचत-निधि में से देय राशि के अतिरिक्त होगी ।

(4) बचत-निधि में जमा शेष को जीवन बीमा निगम द्वारा उपरोक्त के आधार पर निर्दशित दर पर परिकलन कर ब्याज सहित जमा की जायेगी ।

10. अंशदान की वसूली :

(1) किसी भी माह के लिए सदस्य का अंशदान इस माह की पहली तारीख को सामान्य कार्य समय प्रारंभ होने पर देय होगा ।

(2) समिति की सेवा में आने की तारीख से योजना की सदस्यता प्राप्त होने तक बीमा-किस्त के रूप में देय अंशदान समिति की सेवा में आने की तारीख को ही देय होगा तथा तत्पश्चात् प्रत्येक माह की पहली तारीख को कार्य समय प्रारंभ होने पर देय होगा ।

(3) किसी माह का अंशदान वेतन के वास्तविक भुगतान की तिथि का ध्यान रखे बिना पिछले माह के "कर्मचारी" के वेतन में से काटकर वसूल किया जायेगा ।

(4) प्रदाता अधिकारी, कर्मचारी कार्य पर है अथवा छुट्टी पर है अथवा निलंबित, है का ध्यान रखे है, बिना अंशदान की कटौती करेगा ।

(5) यदि कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश पर है और यदि किसी अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, तो उस माह का जिसके लिए उसे वेतन का भुगतान नही किया गया है, के देय अंशदान का भुगतान वस्त्र समिति द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाएगा । परन्तु समिति ऐसे कर्मचारी से 11 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान वसूल करेगी। इस प्रकार वसूल अंशदान का समायोजन उससे प्राप्तियोग अंशदान से कर दिया जायेगा तथा ब्याज विविध प्राप्तियों के रूप में समिति को जमा कर दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की असाधारण अवकाश के दौरान मृत्यु हो जाए तो उससे प्राप्ति योग्य अंशदान ब्याज सहित उसके परिवार को योजना के अन्तर्गत बचत-निधि में प्राप्त होने वाली कुल जमा राशि में से अथवा किसी अन्य देय राशि में वसूल किया जायेगा ।

(6) यदि कोई "कर्मचारी" प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में जाता है तो, प्रतिनियुक्ति करने वाला अधिकारी विदेशी नियोक्ता से अंशदान की वसूली करने तथा उसे समिति को वापिस करने का अनुरोध किया जायेगा । इस सम्बन्ध में यह आश्वस्त किया जायेगा कि प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की शर्तों में इस सम्बन्ध में एक धारा का समावेश हो । अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के अनुसार ही इस प्रकार की वसूली का भी ध्यान रखा जाएगा । यदि किसी भी समय अंशदान की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो, उसे 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल किया जाएगा ।

11. सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि द्वारा अंशदान का वित्तपोषण :

(1) सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से "योजना" का वित्तपोषण सामान्यतः नही किया जा सकेगा । परन्तु ऐसी किसी स्थिति, जिसमें कोई सदस्य इस "योजना" में तथा सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि में एक ही समय अंशदान करने की स्थिति में नहीं हो तो उसे सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि में से एक विलग अप्रत्यपर्णीय निकास जो कि "योजना" के एक वर्ष के अभिदान के बराबर राशि का होगा, की अनुमति दी जा सकेगी ।

(2) सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि से राशि के पूर्णतः निकासी के अतिरिक्त अंशदाता की आयकर हेतु कुल आय का आकलन करते समय, योजना के अन्तर्गत किये गये अंशदान को जीवन बीमा किस्त का अंशदान तथा भविष्य के अंशदान, आदि का ही एक हिस्सा माना जाएगा ।

12. बीमा सुरक्षा/बचत निधि से भुगतान :

(1) सेवा-निवृत्ति की आयु को प्राप्त करने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारी अथवा ऐसे कर्मचारी को जो अन्यथा वस्त्र समिति की सेवा में नहीं रहता है और उसकी सेवा पुस्तिका यह निर्देशित करती है कि वह इस "योजना" का सदस्य था, तो कार्यालय प्रधान, भारतीय जीवन बीमा निगम को बचत निधि में से उसे देय राशि का निपटान करने के लिए उस तथ्य से अवगत कराएगा ।

(2) यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा उसकी सेवा पुस्तिका निर्देशित करती है कि वह "योजना" का सदस्य था, तो कार्यालय प्रधान, भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा सुरक्षा राशि तथा बचत निधि में से उसे देय राशि का निपटान करने के लिए उक्त तथ्य से अवगत कराएगा । तत्पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी द्वारा नामित कर्मचारी के उत्तराधिकारी को वस्त्र समिति के माध्यम से भुगतान करेगा ।

(3) ऐसे कर्मचारी जिसे कि केवल बीमा सुरक्षा सुविधा प्राप्त थी, के नामित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को केवल उसके समूह को यथावश्यक देय बीमा-सुरक्षा राशि ही देय होगी ।

(4) सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए "योजना" के सदस्य की यथावश्यक बीमा सुरक्षा राशि जिसके लिए वह मृत्युपूर्व पात्र था और बचत निधि में उसकी सदस्यता की पूर्ण अवधि की राशि उसके नामित/उत्तराधिकारी को देय होगी ।

(5) उस "कर्मचारी" को जिसकी सेवाएं त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने, निलंबित किए जाने आदि के कारण वस्त्र समिति से समाप्त हो जाए, बचत निधि में उसकी सदस्यता की पूर्ण अवधि की राशि देय होगी ।

13. निकासी : बीमा सुरक्षा तथा बचत-निधि में किए गए अंशदान में से किसी भी निकासी की अनुमति नहीं होगी । त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्ति होने, निलंबित किए जाने आदि कारणों से सेवा समाप्ति की स्थिति में उसे बचत निधि में से देय राशि की गणना की जाएगी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उसका भुगतान वस्त्र समिति के माध्यम से किया जायेगा ।

14. बीमा सुरक्षा बचत निधि में संचय से/के पेटे ऋण/अग्रिम : बीमा सुरक्षा बचत निधि जिसके लिए वह अंशदान करता, में हुए संचय पर "योजना" के किसी भी सदस्य को अथवा अन्य उपकृत को किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया जा सकेगा ।

15. "योजना" के प्रत्येक सदस्य को उसके नामांकन, कटौती योग्य अंशदान तथा लाभ जिसके लिए वह पात्र है के सम्बन्ध में, प्रपत्र संख्या–1 के द्वारा सूचित किया जाएगा । इसी प्रकार उसके एक समूह से दूसरे समूह में पदोन्नति पर भी उसे प्रपत्र संख्या–2 द्वारा सूचित किया जायेगा ।

16. योजना के अधिसूचित किए जाने की तिथि को वस्त्र समिति की सेवा में कार्यरत "कर्मचारियों" द्वारा प्रपत्र संख्या–3 में विकल्प का उपयोग किया जाएगा तथा इसे सम्बन्धित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में चिपका दिया जाएगा ।

17. नाम निर्देशन :

(1) कार्यालय प्रधान, प्रत्येक ऐसे कर्मचारी से जो कि "योजना" का सदस्य है, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु को प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में—"योजना" के अन्तर्गत देय राशि को एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्राप्त करने का अधिकार निर्दिष्ट करने वाला नाम निर्देशन प्राप्त करेगा । "योजना" के प्रवृत्त होने की तारीख को सेवा में कार्यरत "कर्मचारियों", जिन्होंने कि "योजना" में सम्मिलित होने का विकल्प दिया है, से नाम-निर्देशन अन्य व्यक्तियों से विकल्प मंगाने के साथ-साथ ही प्राप्त किए जायेंगे तथा जो कर्मचारी "योजना" के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में आएंगे उनसे सेवा प्रारंभ करने की रिपोर्ट के साथ ही नाम-निर्देशन प्राप्त किया जाएगा ।

(2) नाम-निर्देशन करते समय यदि "योजना" के सदस्य का परिवार है तो वह अपने परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों के समर्थन में ही नाम-निर्देशन करेगा । इस कार्य के लिए, वस्त्र समिति भविष्य निधि नियमों में परिवार के सम्बन्ध में दिया गया अर्थ ही मान्य होगा ।

(3) यदि कोई सदस्य एक से अधिक व्यक्तियों का नाम–निर्देशन करता है तो प्रत्येक निर्देशिती को देय हिस्से का भी इस प्रकार उल्लेख करना होगा कि "योजना" के अन्तर्गत देय पूरी राशि का बटवारा किया जा सके, तथा ऐसा न होने पर "योजना" के अन्तर्गत देय राशि का सभी नाम-निर्देशितों के मध्य समान रूप से बंटवारा किया जायेगा ।

(4) नाम-निर्देशन स्थिति के अनुरूप इसके साथ संलग्न अनुलग्नक–1 अथवा अनुलग्नक–2 में ही किया जा सकेगा ।

(5) "योजना" का सदस्य, किसी भी समय कार्यालय प्रधान को सूचना दे कर तथा उसके साथ उक्त प्रावधानों के अनुरूप नये नाम-निर्देशन करते हुए अपने द्वारा पूर्व में किये गये नाम-निर्देशन को रद्द कर सकता है ।

(6) सदस्य से प्राप्त नाम-निर्देशन कार्यालय प्रधान के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा इसे उसकी सेवा-पुस्तिका में चिपकाया जाएगा । नाम-निर्देशन प्राप्त होने की प्रविष्टि भी सेवा-पुस्तिका में करेंगे ।

18. व्याख्या तथा स्पष्टीकरण :

(1) यदि किन्हीं श्रेणियों के कर्मचारियों का समूह ए, समूह बी, समूह सी अथवा समूह डी में वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो उनका वर्गीकरण केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1965 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा ।

(2) "योजना" के वास्तविक कार्यान्वयन में "योजना" के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होने अथवा किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम तथा मंत्रालय के परामर्श से ही मामले पर निर्णय लिया जाएगा ।

19. "योजना" को बंद करना :

समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सदस्यों को तीन माह पूर्व सूचना देकर, किसी भी समय इस "योजना" को बंद कर सकती है ।

सी० आर० मेहता,
सचिव

प्रपत्र संख्या—1

वस्त्र समिति
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

दिनांक :

ज्ञापन

श्री .....
जो कि .....समूह के कर्मचारी है को वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह बीमा योजना, 1989 के अन्तर्गत दिनांक ..... से सदस्य बनाया जाता है । उनका मासिक अंशदान रु ..... (रुपये .....) .....के वेतन से काटना प्रारंभ कर दिया जाये तथा वे योजना के अन्तर्गत समूह ..... की देय लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

कार्यालय प्रधान

सेवा में
श्री* .....
*कर्मचारी का नाम तथा पदनाम

प्रपत्र संख्या—2

वस्त्र समिति
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

दिनांक :

ज्ञापन

श्री ..... को नियमित आधार पर समूह ..... से समूह ..... में दिनांक ..... से पदोन्नत किया गया है । वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह बीमा योजना, 1989 में उनका मासिक अंशदान रु० ..... से रु० ..... तक ..... माह से बढ़ा दिया जाए तथा वे योजना के अन्तर्गत समूह ..... को देय लाभों को प्राप्त करने के लिए दिनांक ..... से पात्र होंगे ।

(कार्यालय प्रधान)
हस्ताक्षर

सेवा में
श्री* .....
*कर्मचारी का नाम तथा पदनाम

प्रपत्र संख्या—3

दिनांक :

सचिव,
वस्त्र समिति,
बम्बई
महोदय,

संदर्भ : समूह बचत सह बीमा योजना

मैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बचत-सह बीमा योजना का सदस्य बनने का इच्छुक हूं तथा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे दिनांक ..... से योजना का बीमाकृत सदस्य बनाया जाये । मैं एतद्-द्वारा आपको अधिकार देता हूं कि योजना के अंशदान के रूप में रु० ..... की राशि की कटौती मेरे वेतन में से ..... के माह से प्रारंभ कर दी जाये । मैं यह भी सहमति देता हूं कि जब तक मैं नियमित कर्मचारी हूं तब तक मैं इस अधिकार पत्र को रद्द नहीं करूंगा .....प्रमाणपत्र में मेरी पंजीकृत जन्म तारीख ..... है जो कि इसके साथ भेजी जा रही है ।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)

नाम .....
पदनाम : .....
विभाग व कार्यालय : .....

अनुलग्नक—1

वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह-बीमा योजना के अन्तर्गत देय लाभ हेतु नाम निर्देशन

यदि कर्मचारी का परिवार हो तथा वह एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामित करने का इच्छुक हो।

मैं एतदद्वारा निम्नांकित व्यक्ति(यों) को, जो कि मेरे परिवार के सदस्य है, नामित करता हूं तथा उसे/उन्हें वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह बीमा योजना के अन्तर्गत वस्त्र समिति द्वारा स्वीकृत की गई राशि को नीचे बताए गए अनुसार प्राप्त करने का अधिकार देता हूं । सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवा-निवृत्ति की आयु को प्राप्त कर लेने के पश्चात् देय हुई राशि के शेष रहने पर :—

नामित/नामितों का नाम तथा पता	कर्मचारी के साथ संबंध	आयु
1.		
2.		
3.		

प्रत्येक को देय हिस्सा	वे परिस्थिति में जिनके उत्पन्न होने पर नाम निर्देशन रद्द हो जाएगा	नामित की कर्मचारी से पहले ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस व्यक्ति का नाम, पता तथा संबंध जिसे यह अधिकार प्राप्त होगा, यदि कोई हो तो ।

टिप्पणी : अन्तिम प्रविष्टि करने के पश्चात् कर्मचारी बचे हुए रिक्त स्थान में आड़ी रेखा खींच दे जिससे कि उसके हस्ताक्षर के पश्चात् किसी अन्य नाम का समावेश करना संभव न हो सके ।

दिनांक ..... माह 19

को ..... में दो गवाहों के हस्ताक्षर : 5

1.

2.

कर्मचारी का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

*यह कालम इस प्रकार भरा जाए कि योजना के अन्तर्गत देय पूर्ण राशि का समावेश हो जाए ।

अनुलग्नक II

वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह बीमा योजना के अन्तर्गत देय लाभ हेतु नाम निर्देशन

जब कर्मचारी का परिवार न हो तथा वह एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नामित करने का इच्छुक हो ।

मैं, जिसका परिवार नहीं है, एतद्द्वारा नीचे निर्देशित व्यक्ति (यों) को, नामित करता हूं तथा उन्हें वस्त्र समिति कर्मचारी समूह बचत सह बीमा योजना के अन्तर्गत वस्त्र समिति द्वारा स्वीकृत की गई राशि को नीचे बताए गए के अनुसार समिति द्वारा स्वीकृत की गई राशि को नीचे बताए गए के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार देता हूं । सेवा में रहते हुए मेरा मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवा निवृत्ति की आयु को प्राप्त कर लेने के पश्चात् देय हुई राशि के शेष रहने पर :—

नामित/नामितों का नाम तथा पता	कर्मचारी के साथ संबंध	आयु
1.		
2.		
3.		

प्रत्येक को देय हिस्सा	वे परिस्थिति में जिनके उत्पन्न पर नाम निर्देशन रद्द हो जाएगा ।	नामित की कर्मचारी से पहले ही मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस व्यक्ति का नाम, पता तथा संबंध जिसे यह अधिकार प्राप्त होगा, यदि कोई हो तो ।

**दिनांक ..... माह 19

को ..... में दो गवाहों के हस्ताक्षर :

1.

2.

कर्मचारी का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

टिप्पणी : अन्तिम प्रविष्टि करने के पश्चात् कर्मचारी बचे हुए रिक्त स्थान में आड़ी रेखा खींच दे जिससे कि उसके हस्ताक्षर के पश्चात् किसी अन्य नाम का समावेश करना संभव न हो सके ।

**यह कालम इस प्रकार भरा जाये कि योजना के अन्तर्गत देय पूर्ण राशि का समावेश हो जाए ।

**कर्मचारी के परिवार न होने की स्थिति में नाम-निर्देशन किए जाने पर, इस कालम में वह स्पष्ट करे कि भविष्य में उसके परिवार युक्त हो जाने पर यह नाम निर्देशन रद्द हो जाएगा ।

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES

CENTRAL OFFICE

Calcutta-700 001, the 26th July 1991

No. DFC(COC) 59/DG(R)-91.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 shall, with immediate effect, be amended in the following manner, namely :—

1. In paragraph 10A

For the words "On and from 1st April 1989" and "interest exceeding fourteen per cent per annum", the words "On and from July 27, 1991" and "interest exceeding fifteen per cent per annum" respectively shall be substituted.

2. In paragraph 11

After sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph (iii) shall be inserted.

"(iii) No interest shall be paid on any deposit repaid by hire purchase and equipment leasing companies before the period of twenty four months from the date of such deposit. A loan upto 75 per cent of the amount of deposit at a rate of two percentage points above the interest rate payable on

such deposit may, however, be granted to the depositor only after the expiry of a period of six months from the date of such deposit."

3. In paragraph 12

Before the words "on that day", the following shall be interest, namely.—

"and on and from November 1, 1991, such liquid assets shall, be not less than fifteen per cent of the deposits outstanding in the books of the company."

No. DFC(COC) 60/DG(R)-91.—In exercise of the powers conferred by Section 45J, 45K and 45 L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 shall, with immediate effect, be amended in the following manner namely.

In paragraph 9A and (a), for the words "April 1, 1981" and "Fourteen per cent per annum", the words "July 27, 1991" and "Fifteen per cent per annum" respectively shall be substituted.

C. RANGARAJAN
DEPUTY GOVERNOR

DEPARTMENT OF CURRENCY MANAGEMENT

Bombay-400 023, the 11th September 1991

No. 1 of 31st August 1991—Amendment to Reserve Bank of India (Note Issue), Sub-Regulations, 1935-Regulations 3 (1), 4(5) and 4(7).

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. 2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to Sub-Regulations 3(1), 4(5) and 4(7) of the Reserve Bank of India (Note Issue) Regulations, 1935 viz; For the existing Sub-Regulations 3(1), 4(5) and 4(7), the following Sub-Regulations shall be substituted with effect from 9th May 1991.

3(1) there shall be four offices of the Issue Department located at Bombay (Fort), Calcutta, Madras and New Delhi and eleven branches thereof at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Byculla (Bombay), Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna and Trivandrum.

4(5) Byculla (Bombay)—The districts of Ahmednagar, Aurangabad; Beed, Jalna, Kolhapur, Latur, Nanded, Nasik, Osmanabad, Parbhani, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur and Thane in the State of Maharastra and the State of Goa.

4(7) Guwahati. The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.

P. R. NAYAK
Deputy Governor

Bangalore, the 11 September 1991

PUBLICATION OF THE LIST OF LOST ETC. OF INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA BONDS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH JUNE 1991

PART- 'A'—NIL

PART 'B'

6% Industrial Finance Corporation of India Bonds 1985 (II Series)—

No. of the Security	Value in Rs.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name/s of Claimant/s for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. & Date of orders issued	Date of publication list in which the security was first published
BL 000092	Rs. 50,000/-	The Karnataka Industrial Co-operative Bank Limited	29-10-84	The Karnataka Industrial Co-operative Bank Limited	CO. 69 A dated 27.9.88	12-11-1988
BL 000093	Rs. 50,000/-	Do-		Do-	Do.	Do.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 30th August 1991

(CHARTERED ACCOUNTANT)

No. 1-CA(5)/42/91.—In pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the audited Accounts of the Council for the year ended 31st March, 1991 is hereby published for general information :—

M. C. NARASIMHAN,
Secy.

42ND ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1991

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has great pleasure in presenting its 42nd Annual Report for the period 1st April, 1990 to 31st March, 1991. The report highlights the important activities of the Council and its various Committees. The report also covers the seminars and conferences held, training programmes conducted and the essential statistics relating to members and students. The report contains statistical information and accounts of the Institute for this period. However, the activities of the Institute upto September 1991 have also been briefly mentioned.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council

The composition of the Council is given at APPENDIX I to this report.

1.2 President and Vice-President

Shri A. H. Dalal, FCA, Bombay and Shri K. M. Agarwal, FCA, New Delhi continued as President and Vice-President respectively of the Institute till 16th September, 1990. The Council wishes to place on record its gratitude and sincere appreciation of the services rendered by both of them.

The Council at its 146th meeting held in September, 1990, elected Shri K. M. Agarwal, FCA, New Delhi as President and Shri N. C. Sundararajan, FAC, Madras, as Vice-President for a period of one year commencing from 17th September, 1990.

1.3 Secretary

Shri M. C. Narasimhan continued as Secretary of the Institute.

1.4 Committees

At its 146th meeting, the Council constituted three Standing Committees viz., the Executive Committee, the Examination Committee and the Disciplinary Committee. In addition to these standing committees, the Council also constituted a number of non-standing committees to deal with various subjects like taxation, company law, continuing education, professional development etc. A list of the Standing and Non-Standing Committees with their composition is given in APPENDIX II to this report.

1.5 Meetings of the Council

The Council held 5 meetings during the period under report. One of these meetings was held outside the headquarter of the Institute at Bangalore during March 1991.

1.6 Auditors

Shri M. R. Venkataraman and Shri C. P. Mehra were re-appointed as auditors of the Institute for the year under report. The Council wishes ta place on records its appreciation of the services rendered by them.

2. INTERNATIONAL RELATIONS

2.1 International Federation of Accountants (IFAC)

Since 1977 India has been a member of the International Federation of Accountants. During this period the Institute had the opportunity of working on the Council of IFAC and some of its committees. Shri K. G. Somani, past President of the Institute was nominated on the Council of IFAC. Shri A. H. Dalal, past President and Shri A. K. Chakraborty, a senior member of the Council have been nominated respectively on the International Auditing Practices Committee (IAPC) and the Education Committee of IFAC. These three nominees represent the Institute upto October, 1992.

The Council wishes to place on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri S. K. Dasgupta, past President, on the Task Force Working Party of IFAC as representative of the Institute.

2.2. Confederation of Asian and Pacific Accountants

The Institute is also member of the Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) since its inception in 1976. India is represented on the Executive Committee of CAPA through its sister institute, viz., the Institute of Cost and Works Accountants of India. India has been re-elected to the Executive Committee of CAPA in September, 1989. The Institute has been sending its delegations to the CAPA Conferences held in different parts of the world. The last CAPA Conference was held in Seoul in September 1989 and the Institute's delegation to this Conference was led by Shri A. H. Dala, the then President.

2.3 South Asian Federation of Accountants

The Institute is one of the founder members of SAFA which was established in 1984. The 14th meeting of the Assembly was held in Dhaka (Bangladesh) on 16th and 17th January, 1991. Shri Habibur Rehman ICMA of Bangladesh was elected as the President of SAFA for the year 1991 and Shri K. M. Agarwal, President, ICAI was elected as the Vice-President. The Secretary of ICAI, was requested to continue as the Secretary of SAFA for the year 1991.

The 15th meeting of the SAFA Assembly was held in Colombo (Sri Lanka) on 9th August 1991.

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT

3.1 General

Given below is a brief resume of the professional development activities of the various non-standing committees of the Council.

3.2 Accounting Standards Board

3.2.1 During the year, the Accounting Standards Board finalised the following drafts :—

(a) Accounting Standard (AS) 12, Accounting for Government Grants.

(b) Guidance Note on Accounting for Taxes on Income.

3.2.2 The Draft Accounting Standards on following subjects are at various stages of formulation :—

(a) Accounting for Investments.

(b) Accounting for Amalgamations.

(c) Accounting for Retirement Benefits of Employees.

Similarly, a Guidance Note on Reporting Financial Information by Segments is also under consideration of the Board.

3.2.3 As a part of its working procedure, the Board has undertaken a review of Accounting Standard (AS) 4, Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date, Accounting Standard (AS) 5, Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies and Accounting Standard (AS) 6, Depreciation Accounting.

3.2.2 During the year, the Council decided to make the following Accounting Standards mandatory :—

(a) AS 1, Disclosure of Accounting Policies.

(b) AS 7, Accounting for Construction Contracts.

(c) AS 8, Accounting for Research and Development.

(d) AS 9, Revenue Recognition.

(e) AS 10, Accounting for Fixed Assets.

(f) AS 11, Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

The above Standards have been mandatory in respect of accounts for period beginning on or after 1-4-1991 for companies governed by the Companies Act, 1956 as well as for other enterprises expect the following :—

(a) Sole proprietary concerns.

(b) Partnership firms.

(c) Societies registered under the Societies Registration Act.

(d) Trusts.

(e) Hindu Undivided Families.

(f) Associations of persons.

In respect of the enterprises listed at (a) to (f) above the aforesaid Standards will be mandatory in respect of accounts for periods beginning on or after 1-4-1993.

3.3 Auditing Practices Committee

3.3.1 During the year, a new Statement on Standard Auditing Practices (SAP), Using the Work of an Expert, was finalised by the Committee and published as SAP 9.

3.3.2 The Guidance notes on the following subjects, were also finalised by the Committee :—

(a) Audit of Inventories

(b) Audit of Debtors, Loans and Advances.

(c) Audit Engagement Letters.

3.3.3 Statements on Standard Auditing Practices on the following subjects are at various stages of formulation :—

(a) Using the work of another Auditor.

(b) Responsibility of Joint Auditors.

(c) Representations by Management.

(d) Materiality and Audit Risk.

(e) Analytical Review.

3.3.4 The Committee is also engaged in developing Guidance Notes on the following subjects :—

(a) Audit of Investments.

(b) Audit of Cash and Bank Balances.

(c) Audit of Liabilities.

(d) Audit of Capital and Reserves.

Besides, a study on Auditing in an EDP Environment is also being prepared by the Committee.

3.3.5 The Committee is reviewing the following existing publications :—

(a) Guidance Note on Auditor's Certificate Pursuant to the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.

(b) Study on Audit of Banks.

3.3.6 The Committee has constituted Study Groups at Bombay, Calcutta, Jaipur and Madras to prepare preliminary drafts of the Statements on Standard Auditing Practices and of the Guidance Notes based on the Institute's existing publication titled "Statement on Auditing Practices".

3.4 Research Committee

3.4.1 During this period, the Committee published the following studies :—

(i) Study on Foreign Collaborations.

(ii) The Payment of Bonus Act, 1965-An Accountant's Study (Revised Edition).

3.4.2 The following publications have been finalised and are expected to be published shortly :—

(i) Guidelines on Internal Audit-Cement Industry.

(ii) Technical Guide for Audit of Educational Institutions.

(iii) Accountant's Guide to Foreign Exchange Regulation Act.

3.4.3 Second revised edition of the Compendium of Guidance Notes Volume II has been printed after incorporating various changes subsequent to the printing of the first edition in 1988.

3.4.4 Second revised edition of the Compendium of Statement and Standards on Auditing including International Auditing Guidelines is likely to be released for sale after incorporating various changes subsequent to the printing of first edition in 1988.

3.4.5 Apart from the above, various projects at different stages of completion are :—

(i) Project Appraisal--Requirements of Indian Financial Institutions (revision of the existing publication 'Project Evaluation in the Context of the requirements of Indian Financial Institutions');

(ii) Corporate Reporting;

(iii) Corporate Financial Analysis;

(iv) Study on Amalgamations and Merger;

(v) Accounting in Film Industry and various technical guides; and

(vi) Internal Audit Guidelines relating to various industries like Automobiles, Drugs and Pharmaceutical, Textile, Sugar Hotel, Tyres, etc.

3.4.6 P. G. Bhagwat Research Fellowship in Accounting, Finance, Taxation and Allied areas has been granted to Shri Anshuman A. S. of Mysore to conduct research on the topic "Shareholders' Interest and Corporate Enterprises-A Study of Legal Provisions and Perceptions and Emerging Trends".

3.4.7 Shield Panel :

As in the past, the Institute awarded prizes for the best presented accounts by (i) Public/Joint Sector Companies and Non-Financial Statutory Corporations; (ii) Non-Financial Private Sector Companies; and (iii) Banks and Financial Institutions for the year 1989-90. The winners of awards in various categories are listed below :—

(i) The Silver Shield was awarded to Indian Telephone Industries Limited and the Plaque for the highly commended Accounts to HMT Limited.

(ii) The Silver Shield was awarded to Britannia Industries Limited and the Plaque for highly commended Accounts to the India Cements Limited.

(iii) Amongst Bank and Financial Institutions, the Silver Shield was awarded to the Industrial Financial Corporation of India.

3.5 Professional Development Committee

3.5.1 As in the past, the Committee prepared a panel of auditors and sent it to the Reserve Bank of India to facilitate appointment of auditors by various banks.

3.5.2 The Committee also took up the following issues on bank audit with the relevant authorities :—

(i) Increasing the number of branches under audit;

(ii) Timely appointment of bank auditors;

(iii) Increase in fees:

(iv) More equitable distribution of audits and the Role of the Profession in improving the efficacy of banking operation in the country; and

(v) The question of revision of the Long Form Audit Report was also discussed.

3.5.3 A Residential Seminar on Internal Audit was held Khajuraho. Senior level executives of the internal audit departments of various private and public enterprises attended the seminar.

3.6 Committee for Members in Industry

The Committee has been engaged in exploring and developing fresh avenues for employment of members in industry and in improving their status. In order to ensure the participation of members in Industry with the activities of the Institute and to inculcate in them a sense of belonging, it has been decided to co-opt atleast one member from Industry on each of the non-standing committees of the Council.

The Council has further decided that the members residing abroad be also associated with the activities of the Institute. With this objective in view, starting from the year under report, one member from Muscat Chapter of the Insttiute has been co-opted on the Committee. The travelling expenses on attending the meetings of the Committee will be borne by him and only local D A. will be paid by the Institute. This has been done with the approval of the Reserve Bank of India.

3.7 Company Law Committee

3.7.1 The Department of Company Affairs is contemplating significant changes in the Companies Act, 1956 in order to simplify and rationalise the existing provisions. The Department has sought the views of the Institute in the matter. Five study groups of members and other experts in the field have been constituted by the Committee to consider the various provisions of the Companies Act with special reference to those relating to or having a bearing on accounts and audit.

3.7.2 The Committee has finalised and approved the Study in connection with the Role of Chartered Accountants vis-a-vis BIFR. It is likely to be published shortly.

3.7.3 The Committee has decided that in view of the amendments in the Companies (Amendment) Act, 1988, the publication "Guide to Company Audit" should be revised and has constituted a group for this purpose.

3.7.4 The Committee sent its comments on the New Format of Prospectus as also its abridged form as proposed by SEBI.

3.7.5 The Committee jointly with the Taxation Committee, organised the following :—

(a) 22nd All India Seminar on Taxation and Company Law at Calcutta;

(b) Residential Course on Taxation and Company Law at Mangalore; and

(c) 23rd All India Seminar Taxation and Company Law at New Delhi.

3.8 *Taxation Committee*

3.8.1 Simplification of Rules & Procedures

The Institute submitted a detailed memorandum on 10th May, 1991 to the Working Group constituted by the CBDT under the Chairmanship of Shri A. N. Mishra to examine Simplification of Rules and Procedures regarding levy of Income-tax.

3.8.2 *Tax Audit Review*

The representatives of the Institute also assisted another Committee constituted by CBDT under the Chairmanship of Shri A. N. Mishra, in reviewing the working of the tax audit provisions of section 44AB of the Income-tax Act, 1961 and in revising the forms for reporting under the relevant provisions.

3.8.3 *Revision of Direct Tax Return Forms*

The Institute payed an active role in the deliberations of the Committee constituted by CBDT to revise the income-tax, Wealth-tax and Gift-tax return forms.

3.8.4 *Central Budget*

The Pre-Budget Memorandum of the Institute was submitted to the Finance Minister, Chairman of CBDT and CBEC and other authorities. Subsequently the President participated in a Pre-Budget consultation meeting convened by the Finance Minister.

The Post-Budget Memorandum of the Institute containing comments and suggestions relating to the provisions of the Finance Bill was submitted to the Government on 12th August, 1991.

3.8.5 *Residential Course on Taxation and Company Law*

The thirteenth Residential Course on Taxation and Company Law took place at Mangalore. 28 delegates participated in the Course on Residential basis while 14 Mangalore-based members participated as non-residential delegates.

3.8.6 *Representations to CBDT*

A number of representations were submitted to the Chairman, CBDT from time to time, pointing out the difficulties and anomalies arising from the provisions of direct tax laws and their administration. In particular, the following issues/areas were covered :—

(i) Time Limit for filing of returns of income by corporate as well as non-corporate assessees.

(ii) Time limit for depositing increased surcharge payable by companies.

(iii) Taxation of MODVAT credit.

(iv) New assessment procedure under section 143(1)(a) of the Income-tax Act, 1961.

The representations were followed up by personal discussions held with concerned officials.

3.8.7 The second revised edition of the Guidance Note on Audit under section 80HHB and 80HHC of the Income-tax Act, 1961 was brought out.

The Study on Taxation of Charitable Trusts and Institutions is under revision.

3.9 *Continuing Professional Education Committee*

3.9.1 *Chain seminars on Accounting and Auditing Standards*

With the growing number of members, the Committee decided to make structural changes in its continuing professional education programme this year so that a larger number of members could be covered under the programme.

The Committee organised a large number of seminars on the aforesiad subject throughout India. The main objective of the seminars was to provide a forum to discuss the increasing significance of Accounting and Auditing Standards to professional accounting particularly in the context of the decision of the Council to make more accounting standards mandatory. On the basis of a uniform course design, about 70 seminars were held covering more than 1-0,000 members and others.

3.9.2 *Computer Courses*

Five Computer Centres have been set up at the Regional Offices of the Institute, i.e., Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi to provide properly designed courses for the members and students of the Institute. A three tier training programme has been implemented to impart training to the participants in the use of computers specially in areas of interest to the accountants. There has been encouraging response to the programmes organised by these centres. In addition to the courses for members and students, the centres also conduct a limited number of training programes for officials of the Government Departments, Banks, Public Sector Undertakings, etc. During the year, 2027 persons were trained.

3.9.3 *Post Graduate Course*

Examinations for the Management Accountancy Course Part I were held in May 1990, November 1990 and December 1990 and those for Corporate Management and Tax Management Courses were held in May 1990. The results of these are given at APPENDIX III to this Report.

3.9.4 *Merit Scholarships*

Under the incentive scheme of the Management Accountancy Course the Institute granted scholarship of Rs. 500 each to 10 candidates during the year. This scheme has also been extended to the Corporate Management and Tax Management Courses.

3.9.5 *Management and Economic Digest*

The Institute publishes the Management & Economic Digest every quarter, containing abstracts of important articles on contemporary issues in the disciplines of Management and Economics.

3.10 *Expert Advisory Committee*

During the year, the Committee considered and disposed of several queries. The Compendium of Opinions, Vol. X, containing the opinions of the Committee issued between and period September 1989 to September 1990 has been processed and is likely to be published shortly. Revision of the previous volumes of the Compendium of Opinions has been taken up.

3.11 *Ethical Standards Committee and Committee for Unjustified Removal of Auditors*

3.11.1 The Committee considered a number of queries received from members on issues concerning professional ethics and issued the required clarifications. A sub-committee was constituted to revise and update the publication "Professional Ethics" which completed its task.

3.11.2 The Committee considered and examined complaints alleging unjustified removal of auditors.

3.12 *University Liaison Committee*

3.12.1 *Joint Seminars with Universities*

In its efforts to strengthen coordination of the Institute with various universities in the country, the committee organised seminars jointly with following universities :

(i) University of Madras on "Education and Commerce" at Salem.

(ii) University of Calcutta on "Accounting Education and Standard—Challenges Ahead" at Calcutta.

3.12.2 *Recognition of CA Course*

The Institute has been in touch with the universities to get the chartered accountancy qualification recognised for Ph.D. purposes. At present, 38 universities besides the Association of Indian universities and Indian Institute of Management (Ahmedabad and Calcutta) recognise this qualification for pursuing Ph.D. A list of universities which have recognised the CA course for the purpose is given in APPENDIX IV.

3.12.3 *Endowments*

The Institute has created endowments in 26 universities for awarding gold medal/prize to the students securing the highest marks in Accountancy at B.Com. examination.

3.12.4 *Exemption from payment of Tuition/Registration Fees.*

In addition to the creation of the endowment at various universities, the Council has decided to exempt from payment of tuition/registration fees on their joining the CA course, the first three position holders in Commerce; first position holders in Science and Art degree examination: first position holders in LL.B. and all post-graduate course examinations of universities who satisfy the requirements of the Institute for joining the CA Course.

3.12.5 *Popularisation of CA course*

The Committee continued to arrange lectures at various places through Regional Councils and branches for the popularisation of CA course and make use of the pamphlet "We Care For You If You Are Career Conscious".

3.12.6 *Preparation of Video Cassette*

The Committee is making efforts to prepare Video Cassette about the Institute under U.G.C. programme.

4. *OTHER MATTERS*

4.1 *Annual Meeting of the Institute*

The 41st Annual Meeting of the Institute was held on 15th September, 1990 at Hotel Ashok, New Delhi. Shri Arun Nehru, the then Union Minister for Commerce and Tourism, was the Chief Guest at the function. He presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the Institute's prestigious awards for the Best Presented Accounts and also distributed prizes and medals to the meritorious students in the examinations conducted by the Institute besides various other prizes. The function was attended by a large number of invitees and was given due coverage by the media. Shri K. M. Agarwal, the then Vice-President of the Institute, proposed a hearty vote of thanks.

4.2 *Institute's new building at NOIDA*

The construction of the Institute's new premises at NOIDA is complete. The building was inaugurated on 5th August, 1991 by the Hon'ble Union Minister of State for Finance, Shri Rameshwar Thakur (former President of the Institute). The Examination Section and the Board of Studies have been shifted to the new building.

4.3 *In-house Computer*

Based on a detailed study done for computerisation of the operations of the Institute, the activities of the Madras Office were first computerised in October, 1990. Thereafter, Bombay and Kanpur Offices have been computerized. The computer system for Delhi Headquarters and decentralised office at New Delhi has also been installed and the implementation of computerisation is in progress. It is expected that by the end of November 1991, all the five decentralised offices would be computerised. The computerisation of the Institute and its decentralised offices would enhance the quality and speed of service to the members and students.

4.4 *Elections to the Council and the Regional Councils.*

The term of office of the 14th Council which was constituted on 17th September, 1988 was to expire on 16th September, 1991. To constitute the 15th Council and 14th Regional Councils, elections were scheduled to be held on 2nd and 3rd August, 1991. But in view of certain court decisions, the elections have been postponed. The elections will be held as soon as possible and the new Council and Regional Councils are expected to be constituted before the end of 1991.

4.5 *Amendments in Chartered Accountants Regulations,* 1988

4.5.1 As mentioned in the last report, a number of amendments were initiated by the Council in the Chartered Accountants Regulations, 1988. Of these, the following have been approved by the Central Government and brought into force from the date mentioned against each :

(i) *Branches of Regional Councils* .

The minimum requirements of members for setting up a branch of the Regional Council has been raised from 50 to 100 within a radius of 50 kms. w.e.f. 19th January, 1991.

(ii) *Membership and other Fees* :
The Annual Membership and Certificae of Practice fee has been revised w.e.f. 1-4-1991.

(iii) *Election Regulations* :

The amendments have been brought into force w.e.f. 12th February, 1991.

(iv) *Particulars of Offices and Firms* :

These have been brought into force w.e.f. 2nd February, 1991.

4.5.2 The following amendments are under various stages of consideration of the Government :

(i) *Disciplinary procedure* :

As stated in the last report, the Council has submitted to the Government certain proposals to simplify the procedures followed by the Disciplinary Committee. The proposal is still under consideration of the government.

(ii) *Examination Regulations* :

The scheme for introduction of Foundation Course and changes in the syllabi of the Intermediate and Final examinations have been approved in principle by the government. These are being notified afresh in the Gazette of India for public comments and would then be forwarded to the Government for final approval.

4.5.3 *Engagement of Members in family business concerns*

In the Resoution of the Council under Regulation 190A (previously Regulation 166 of the Chartered Accountants Regulations 1964) appearing at Appendix No. (10) to the Chartered Accountants Regulations, 1988, in the categories of business or occupations wherein members could engage themselves with the specific and prior approval of the Council it has been decided that Item 4 thereof should be modified to cover all cases where interest in family business concerns devolved on the members as a result of inheritance/succession/partition of the family business and where the member was not actively engaged in carrying out the said business. The members seeking permission of the Council are required to submit adequate evidence to the satisfaction of the Executive Committee to show that family business concern in question had devolved on them as a result of inheritance/succession/partition of the family.

4.6 *Journal*

4.6.1 The Editorial Board is continuing with its efforts to improve the quality and contents of the Journal "The

Chartered Accountant" in order to make the same more effective as a medium of communication with members and other readers in the academic/professional fields.

4.6.2 The Board has laso decided to award prizes for the best articles published in the Journal during the period July 1990 to June 1991.

4.7 *Public Relations*

4.7.1 During the year under report, the President addressed press conferences at Bombay, Calcutta, New Delhi, Bangalore and Bhubaneswar on different themes to project the view point of the Institute on policy issues and also to highlight the important activities of the Council.

4.7.2 Various dignitaries from Government Departments, viz., Department of Company Affairs, Central Board of Direct Taxes and Customs, Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal visited the Institute and the Council members had informal discussions with them. They appreciated the role of the Institute in development of trade, commerce and industry and assured their continued support and help to the Institute. The President, Vice-President and other Council Members also met various dignitaries, including the Governor of the Reserve Bank of India, Chairman of Life Insurance Corporation and other financial institutions and banks and impressed upon them about the role of Chartered Accountants in the economic development of the country.

4.7.3 The President participated in a panel discussion in Calcutta Doordarshan and All India Radio at Delhi to promote career counselling on the profession.

4.8 *Library*

The Central Council library provides facilities to members and students at New Delhi. Library facilities are also provided at the Regional Centres and Branches throughout the country. Grants are given to Associations and Study Circles recognised by the Institute for development of libraries.

4.9 *Chartered Accountants Benevolent Fund.*

Established in December 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents. The assistance is provided for maintenance of the dependents, their educational needs, meeting medical expenses etc. The Fund has also started giving loans up to Rs. 20,000 to the members who are displaced from disturbed areas in the country. The number of Life members of the Fund increased from 5313 on 1-9-1990 to 6039 on 31-8-1991. A sum of Rs. 2,93,900 was disbursed during the year to deserving persons. The balance in the Fund as on 31-3-1991 was Rs. 40,26,542.70 as against a sum of Rs. 34,92,486.77 as on 31-3-1990.

4.10 *S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund*

During the year 1990-91, 38 scholarships of the value of Rs. 100 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy Course. The membership of the fund was 189 as on 31-3-1991. The balance in the credit of the Fund was Rs. 87,451.31 as on 31-3-1991 as against Rs. 82,201.49 as on 31-3-1990.

5. *MEMBERS*

5.1 *Membership*

During the year 3,047 new members were enrolled by the Institute bringing the total membership to 58,998 on 1-4-1991.

During the year 2,544 associates were admitted as fellows compared to the figure of 2,295 in the previous year. Details of membership are given below.

Statistics of Member As On 1-4-1991

Category of Members	Fellows	Associates	Total Cols-(2) &(3)
1	2	3	4
In full-time practice	18303	17061	35364
In part-time practice	1979	6083	8062
Not in practice	1854	13718	15572
Grand Total	22136	36862	58998

5.2 *Deceased Members*

The Council records with deep regret the sad demise of Shri B. R. Malhotra, the first Director of Studies of the Institute, on 12th February, 1991 at New Delhi. In his death, the profession has lost one of its senior and distinguished members. It also records with a deep sense of sorrow the passing away of several other members during the year. The names of the deceased members are listed in APPENDIX V to this report.

5.3 *Disciplinary Committee*

Details of the cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period 1-4-1990 to 31-3-1991 are given below :—

1. Number of cases considered by the Council for its prima facie opinion	77
2. Number of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry	42
3. Number of cases heard by Disciplinary Committee	35
4. Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council	24
5. Number of reports of Disciplinary Committee recalled from/remitted by the High Court	1
6. Number of cases in which the Respondent have been found not guilty u/s 21(2)	1
7. Number of cases in which the Respondent have been found guilty but no punishment has been awarded	1
8. Number of cases in which the Respondnet have been found guilty by the Council and punished u/s 21(4)	5
9. Number of cases in which the Respondent have been found guilty and referred to Hight Court u/s. 21 (5)	9
10. Number of cases disposed of by High Court u/s 21(6)/(7)	5

6. *BOARD OF STUDIES*

6.1 *Articled and Audit Clerks*

6.1.1 The number of students enrolled during the year ended March 31, 1991 and March 31, 1990 are as under :—

Course	1990-91	1989-90
Intermediate	12,791	13,305
Final	3,958	3,510

The total number of students as at 31st March, 1991 was 76,938 as agianst 67,185 as at March 31, 1990.

6.1.2 Intensified revision classes for the Final and Intermediate Course students were, as usual, conducted at regional and other important centers.

6.1.3 During the year ended March 31, 1991 scholarships were granted to 223 students from out of the funds of the Institute and the income from Endowments created for the purpose.

6.1.4 The VIIIth All India C.A. Students Conference was organised at Kanpur on 5th and 6th February, 1991 and was attended by about 350 students from all over the country.

6.1.5 *Suggested Answer Volumes in Hindi*

The Board, by entrusting the work to a private publisher, has brought out in Hindi the Suggested Answer Volumes for the May 1990 Intermediate Examination.

7. *EXAMINATIONS*

7.1 The Chartered Accountants Entrance, Intermediate and Final Examinations were held in May 1990 and November 1990 in 45 centres all over the country. In addition, a Supplementary Examination for Entrance, Intermediate and Final Examinations was held from 26th December, 1990 to 3rd January, 1991 at selected centres in view of the extraordinary situation prevailing at that time in the country. The summary of results of these examinations indicating the number of candidates who appeared in the examination and the number of candidates declared successful is given below :

ENTRANCE EXAMINATION

Month & Year of Examination	No. of candidates appeared	No. of candidates passed	Pass Percentage
May 1990	2338	582	24.89
Nov./Dec. 1990 . . .	5364	1285	23.96

INTERMEDIATE & FINAL EXAMINATIONS 1990

	Intermediate		Final	
	May	Nov/Dec.	May	Nov./Dec.
GROUP–I				
No. of candidates appeared . . .	12951	15383	5372	4499
No. of candidates declared successful	2994	2052	2480	1355
Pass Percentage .	23.12	13.33	46.17	30.11
GROUP–II				
No. of candidates appeared .	19075	20595	6862	6925
No. of candidates declared successful	1615	2646	1143	1586
Pass Percentage.	8.47	12.85	16.66	22.90
BOTH GROUPS				
No. of candidates appeared .	4976	5898	2430	1690
No. of candidates declared successful	283	511	307	170
Pass Percentage .	5.69	8.66	12.63	10.05

7.2 The Examination Centres which were opened earlier on an experimental basis at Kathmandu, Jammu, Ambala and Yamuna Nagar were continued during the year. Two new examination centres at Raipur and Hissar were also opened on an experimental basis for two consecutive terms. The complete list of centres is given in APPENDIX VI to this Report.

7.3 The names of the candidates who were awarded prizes and certificates of merit in the examinations held in May and November 1990 are given in APPENDIX VII to this report.

8. *Regional Councils and Branches of Regional Councils*

8.1 *New branches*

During the period ending March, 1991, new Branches of Regional Councils have been opened at Ajmer, Noida, Siliguri and Tuticorin. With the addition to these branches the total number of branches of Regional Councils throughout the country has risen to 81. The list of Branches is given at Appendix VIII.

8.2 *Buildings*

With the liberalisation of grants payable to Branches of Regional Councils for construction of buildings, a number of Branches have taken the initiative and have either acquired land to construct their own premises or taken some built-in accommodation. Till now, 21 Branches have acquired their own premises. In addition, the Bangalore, Lucknow and Siliguri branches have acquired land for construction of branch building.

8.3 *Rotating Shield for the best Regional Council and best Branch of the Regional Council*

Since 1986-87, the Institute awards rotating shield to the best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance of the Regional Council. For the year 1990-91, the Shield has been awarded to the Central India Regional Council. The Certificate for highly commended performance has been awarded to the Northern India Regional Council.

In order to encourage Branches of Regional Councils to be more active and render effective service to the members, the Institute awards a Rotating Shield every year to the best Branch. The Institute has prescribed certain minimum norms for assessing the performance of the Branches. The activities of the branches are evaluated on the basis of those norms and the Shield is awarded to the Branch whose performance is adjudged to be the best during the year. The Bangalore Branch of Southern India Regional Council has secured the Award for the year 1990-91. The Certificates for highly commended performance have been awarded to branches at Coimbatore, Nagpur and Jaipur.

9. *Finance and Accounts*

The Balance Sheet as at March 31, 1991, and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council is enclosed.

10. *Appreciation*

10.1 The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members on the Institute's Committees and to non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational, technical and other activities and in its examinations.

10.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the government and its nominees on the Council during the year.

10.3 The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year by all officers and staff of the Institute.

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref. Para 1.1 of the Report)

MEMBERS OF THE COUNCIL

Shri Agarwal, K. M.	(New Delhi)
Shri Banerjee, Bhaskar	(Calcutta)
Shri Bansal, R. N.	(New Delhi)
Shri Bhandari, S. S.	(Jaipur)
Shri Chakraborty, A. K.	(Calcutta)
Shri Chatterji, Dipankar	(Calcutta)
Shri Chhajed, S. P.	(Bombay)
Shri Chitale, M. M.	(Bombay)
Shri Dalal, A. H.	(Bombay)
Shri Gupta, N. D.	(New Delhi)
Shri Gupta, N. K.	(Kanpur)
Shri Jain, I. C.	(Bombay)
Shri Jose Pottakaran	(Trichur)
Shri Kale, Y. M.	(Bombay)
*Shri Khanna, K. N.	(New Delhi)
Shri Nandagopal, S.	(Madras)
*Shri Pandey, T. N.	(New Delhi)
Shri Patel, R. S.	(Ahmedabad)
Shri Poddar, N. K.	(Calcutta)
Shri Rathi, Anand	(Bombay)
Shri Rao, B. P.	Balgalore)
*Shri Rao, Y. A.	(New Delhi)
Shri Sarda, N. P.	(Bombay)
Shri Sharma, Laxminiwas	(Hyderabad)
Shri Somani, K. G.	(New Delhi)
Shri Sundararajan, N. C.	(Madras)
*Shri Tayal, Amitabh	(Lucknow)
*Shri Tiwari, A. C.	(New Delhi)
Shri Upadhyaya, P. P. Gururaja	(Madras)
Shri Vasudeva, S. C.	(New Delhi)

*Nominated by the Central Government.

APPENDIX II

(Ref. Para 1.4 of the Report)

LIST OF COMMITTEES FOR THE YEAR 1990-91

STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri K. M. Agarwal, President	(New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President	(Madras)
Shri M. M. Chitale	(Bombay)
Shri N. D. Gupta	(New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)

Examination Committee

Shri K. M. Agarwal President	(New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President	(Madras)
Shri S. S. Bhandari	(Jaipur)
Shri S. P. Chhajed	(Bombay)
Shri A. H. Dalal	(Bombay)

Disciplinary Committee

Shri K. M. Agarwal President	(New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President	(Madras)
Shri N. K. Gupta	Kanpur)
Shri S. Nandagopal	(Madras)
Shri Y. A. Rao	(New Delhi)

NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee

Shri N. P. Sarda, Chairman	(Bombay)
Shri B. P. Rao, Vice-Chairman	(Bangalore)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio)	(New Delhi)
Shri A. K. Chakraborty	(Calcutta)
Shri A. H. Dalal	(Bombay)
Shri Y. M. Kale	(Bombay)
Shri M. M. Chitale	(Bombay)
Shri Suresh Chandra Co-opted	(Rajpura)
Shri Suresh Rao Co-opted	(Mdras)
Shri Ketan Dalal Co-opted	(Bombay)
Shri M. G. Patel Co-opted	(Ahmedabad)

Auditing Practices Committee

Shri Y. M. Kale, Chairman	(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice-Chairman	(Calcutta)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio)	(New Delhi)
Shri S. S. Bhandari	(Jaipur)
Shri A. H. Dalal	(Bombay)
Shri A. C. Tiwari	(New Delhi)
Shri Amal Ganguli Co-opted	(New Delhi)
Shri Vijay Sahani Co-opted	(New Delhi)
Shri G. V. Ramani Co-opted	(Madras)

Continuing Professional Education Committee

Shri B. P. Rao, Chairman	(Bangalore)
Shri P. P. Gururaja Upadhyaya, Vice-Chairman	(Madras)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio)	(New Delhi)
Shri N. K. Gupta	(Kanpur)
Shri S. Nandagopal	(Madras)
Shri S. C. Vasudeva	(New Delhi)
Shri Sailesh Haribhakti Co-opted	(Bombay)
Shri Ravindra Bhat Co-opted	(Bangalore)
Shri Sukumar Bhattacharya Co-opted	(Calcutta)

Accounting Standards Board

Shri Bhaskar Banerjee, Chairman	(Calcutta)
Shri M. M. Chitale, Vice-Chairman	(Bombay)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio)	(New Delhi)
Shri A. K. Chakraborty	(Calcutta)
Shri T. N. Pandey	(New Delhi)
Shri A. C. Tiwari	(New Delhi)
Shri S. C. Vasudeva	(New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President	(Madras)
Shri Y. A. Rao	(New Delhi)
Shri M. R. Bhandari Co-opted	(New Delhi)
Shri K. Karan Co-opted	(Bombay)
Shri K. S. Mehta Co-opted	(New Delhi)
Shri T. S. Vishwanath Co-opted	(New Delhi)
Shri Bansi S. Mehta Co-opted	(Bombay)
Shri P. K. Mallik Co-opted	(Calcutta)

Professional Development Committee

Shri I. C. Jain, Chairman	(Bombay)
Shri N. K. Gupta, Vice-Chairman	(Kanpur)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio)	(New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President	(Madras)
Shri R. N. Bansal	(New Dehi)
Shri Joso Pottokaran	(Trichur)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)
Shri E. M. S. Namboodiripad Co-opted	(Trivandrum)
Shri R. Balakrishnan Co-opted	(Madras)
Shri S. K. Jain Co-opted	(Bombay)

Board of Studies

Shri P. P. Gururaja Upadhyaya, Chairman	(Madras)
Shri R. S. Patel, Vice-Chairman	(Ahmedabad)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio)	(Madras)
Shri S. S. Bhandari	(Jaipur)
Shri M. M. Chitale	(Bombay)
Shri K. G. Somani	(New Delhi)
Shri S. N. Kulkarni Co-opted	(Nasik)
Shri V. S. Rajagopal Co-opted	(Madras)
Shri D. S. Padmanabhan Nair Co-opted	(Trivandrum)

Taxation Committee

Shri A. K. Chakraborty, Chairman	(Calcutta)
Shri N. D. Gupta, Vice-Chairman	(New Delhi)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio)	(New Delhi)
Shri T. N. Pandey	(New Delhi)
Shri N. K. Poddar	(Calcutta)
Shri Laxminiwas Sharma	(Hyderabad)
Shri Ashwani Kumar Co-opted	(Ludhiana)
Shri Naginchand Khincha Co-opted	(Bangalore)
Shri Nandita Sen Co-opted	(Calcutta)

Company Law Committee

Shri S. C. Vasudeva, Chairman	(New Delhi)
Shri Dipankar Chatterji, Vice-Chairman	(Calcutta)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio)	(Madras)

Shri R. N. Bansal (New Delhi)
Shri Y. A. Rao (New Delhi)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri K. G. Somani (New Delhi)
Shri K. B. Kapur Co-opted (New Delhi)
Shri Pradeep Bhalla Co-opted (New Delhi)
Shri L. C. Gupta Co-opted (New Delhi)

International Affairs Committee

Shri K. M. Agarwal, Chairman (New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-Chairman (Madras)
Shri A. K. Chakraborty (Calcutta)
Shri A. H. Dalal (Bombay)
Shri K. G. Somani (New Delhi)

Expert Advisory Committee

Shri Jose Pottokaran, Chairman (Trichur)
Shri N. P. Sarda, Vice-Chairman (Bombay)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio) (Madras)
Shri R. N. Bansal (New Delhi)
Shri R. S. Patel (Ahmedabad)
Shri B. P. Rao (Bangalore)
Shri K. G. Somani Co-opted (New Delhi)
Shri Bhawani Shankar Co-opted (New Delhi
Shri Rajesh Chand Jain Co-opted (Lucknow)
Shri Venugopal C. Govind Co-opted (Cochin)

University Liaison Committee

Shri R. S. Patel, Chairman (Ahmedabad)
Shri N. K. Poddar, Vice-Chairman (Calcutta)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio) (Madras)
Shri N. K. Gupta (Kanpur)
Shri N. P. Sarda Bombay)
Shri P. P. Gururaja Upadhyaya (Madras)
Shri C. F. Patel, Co-opted (Ahmedabad)
Shri I. J. Desai Co-opted (Surat)
Shri Dinesh Kumar Co-opted (New Delhi)

Ethical Standards Committee & Cura

Shri N. K. Poddar, Chairman (Calcutta)
Shri S. Nandagopal, Vice-Chairman (Madras)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio) (New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio) (Madras)
Shri I. C. Jain (Bombay)
Shri Jose Pottakaran (Trichur)
Shri R. S. Agarwal Co-opted (Calcutta)
Shri B. Satyanarayana Murthy Co-opted (Hyderabad)
Shri S. N. Nanda Co-opted (New Delhi)

Public Relations Committee

Shri Dipankar Chatterji, Chairman (Calcutta)
Shri I. C. Jain, Vice-Chairman (Bombay)
Shri K. M. Agarwal, President (Ex-officio) (New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio) (Madras)
Shri N. D. Gupta (New Delhi)
Shri K. N. Khanna (New Delhi)
Shri Anand Rathi (Bombay)
Shri Ajoy Kumar Dutta Co-opted (Calcutta)
Shri P. Venugopal Rao Co-opted (Bhubaneshwar)
Shri O. P. Dani Co-opted (New Delhi)

Editorical Board

Shri K. M. Agarwal, Editor-in-Chief (New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Joint Editor (Madras)
Shri R. N. Bansal (New Delhi)
Shri Dipankar Chatterji (Calcutta)
Shri A. H. Dalal (Bmbay)
Shri N. D. Gupta New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)
Shri Rattan Lal Gupta Co-opted (New Delhi)
Shri B. Shanker Co-opted (Secunderabad)
Shri M. Naganathan Co-opted (Madras)

Committee for Members in Industry

Shri Anand Rathi, Chairman (Bombay)
Shri Jose Pottokaran, Vice-Chairman (Trichur)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-President (Ex-officio) (Madras)
Shri Y. M. Kale (Bombay)
Shri K. N. Khanna (New Delhi)
Shri S. Nandagopal (Madras)
Shri Amitabh Tayal (Lucknow)
Shri K. A. Chandrasekharan Co-opted (Udyogamandal)
Shri R. M. Parikh Co-opted (Muscat)
Shri H. D. Vakil Co-opted (Bombay)
Shri K. C. Jain Co-opted (Calcutta)

General Purposes Committee

Shri K. M. Agarwal, Chairman (New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Vice-Chairman (Madras)
Shri M. M. Chitale (Bombay)
Shri N. D. Gupta (New Delhi)
Shri Laxminiwas Sharma (Hyderabad)

ICAI-ICWAI Coordination Committee

Shri K. M. Agarwal, Leader (New Delhi)
Shri N. C. Sundararajan, Deputy Leader (Madras)
Shri S. P. Chhajed (Bombay)
Shri Y. M. Kale (Bombay)
Shri Y. A. Rao (New Delhi)

ICAI-ICSI Coordination Committee

Shri N. C. Sundararajan, Leader (Madras)
Shri S. P. Chhajed, Deputy Leader (Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee (Calcutta)
Shri Y. A. Rao (New Delhi)
Shri K. G. Somani (New Delhi)

APPENDIX-III

(Ref, Para 3.9.3 of the Report)

TABLE 'A' MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (Part-I)

Sl. No. Groups	May 1990			November 1990			December 1990		
	No. of Candidates Appeared	Passed	% age	No. of candidates Appeated	Passed	%age	No. of candidates Appeared	Passed	%age
1. BOTH GROUPS . .	6			11			3		
Passed in-both Groups. .		2	33%		2	18.18%		1	33.3%.
Group-I only . . .		2			1			Nil	
Group-II only . . .		1			3			Nil	
2. Group-I	15	7	46%	12	Nil	Nil	5	1	20%
3. Group-II	16	2	12%	14	2	14.29	4	1	25%

TABLE 'B' TAX MANAGEMENT COURSE (Part-I)

Groups	May-1990		
	No. of Candidates Appeared	Passed	% age
1. BOTH GROUPS	3		
Passed in Both Groups		Nil	Nil
Group I only		1	
Group II only		Nil	
Group-I	1	1	100%
Group-II	7	1	14%

TABLE 'C' CORPORATE MANAGEMENT COURSE (Part-I)

Groups	May-1990		
	No. of Candidates appeared	Passed	% age
1. BOTH GROUPS	4		
Passed in both Groups		Nil	Nil
Group I only		2	
Group II only		2	
2. Group-I	4	3	75%
3. Group-II	1	1	100%

APPENDIX IV

(Ref. Para 3-12-2 of the Report)

List of Indian Universities/Institutions which have recognised Chartered Accountancy Course for admission to their Fellow programme/Ph.D. Programme.

I. **Associations** :
Association of Indian Universities, New Delhi

II. Institutes :

1. Indian Institute of Management, Ahmedabad
2. Indian Institute of Management, Calcutta.

III. Universities:

1. Agra University, Agra.
2. Alagappa University, Alagappa Nagar, Karaikudi.
3. Aligarh Muslim University, Aligarh (U.P.)
4. Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)
5. Bangalore University, Bangalore.
6. Barathidasan University, Tiruchirapalli.
7. Bombay University, Bombay.
8. Calicut University, Calicut.
9. Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore.
10. Gandhiji University, Kottayam.
11. Gujarat University, Ahmedabad.
12. Himachal Pradesh University, Simla.
13. Jiwaji University, Gwalior.
14. Kanpur University, Kanpur.
15. Kashi Vidyapeeth, Varanasi.
16. Kashmir University, Srinagar.
17. Kerala University, Trivandrum.
18. Kurukshetra University, Kurukshetra.
19. Lucknow University, Lucknow.
20. M. S. University of Baroda, Baroda.
21. Maharshi Dayanand University, Rohtak.
22. Mangalore University. Mangalore.
23. Marathwada University, Aurangabad.
24. Meerut University, Meerut.
25. Mohanlal Sukhadia University. Udaipur.
26. Mysore University, Mysore.

27. North Bengal University, Darjeeling.
28. Osmania University, Hyderabad.
29. Pondicherry University, Pondicherry
30. Poona University, Pune.
31. Punjab University, Chandigarh.
32. Punjabi University, Patiala.
33. Ranchi University, Ranchi.
34. Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar.
35. Saurashtra University, Rajkot.
36. Shivaji University, Kolhapur.
37. Sri Venkateshwara University , Tirupati.
38. Vikram University, Ujjain.

APPENDIX-V

(Ref. Para 5.3.1 of the Report)

(STATEMENT OF REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF MEMBERS ON ACCOUNT OF DEATH DURING THE YEAR 1990-91)

S.No.	M.No.	Name of the Member	Date
1	2	3	4
1.	95	Shri B.D. Gargieya Beawar	17-3-91
2.	167	Shri B.M. Chatrath, Calcutta	4-2-91
3.	218	Shri A.R. Bejanji, Bombay	3-12-90
4.	246	Shri D.S. Doctor, Bombay	28-12-89
5.	289	Shri B.S. Billimoria, Bombay	27-7-90
6.	316	Shri B.M. Rallan, New Delhi	11-4-90
7.	355	Shri M.N. Basu, Cacutta	11-7-90
8.	387	Shri K. Ramachandra Rao, Rajamahandravaram	24-3-91
9.	406	Shri D.D. Sharma, Jalandhar City	17-6-90
10.	415	Shri A.S. Parameswaran, Coimbatore	26-6-90
11.	438	Shri P.C. Guha, Calcutta	28-1-91
12.	564	Shri I.M. Ogg, Bombay	25-12-90
13.	576	Shri G.M. Kapadia, Bombay	16-6-90
14.	619	Shri B.R. Malhotra, New Delhi	13-2-91
15.	625	Shri Satyabrata Roy, Calcutta	6-12-90
16.	673	Shri K. Dakshinamurthy, Madras	16-12-90
17.	689	Shri Asutosh Maithi, Calcutta	23-12-90
18.	690	Shri R. Narayana Iyer, Bombay	30-4-90
19.	737	Shri J.C. Khanna, Ghaziabad	17-11-89
20.	769	Shri V. Raghunathan, Madras	5-12-90
21.	783	Shri H.K. Khandalavala, Bombay	9-9-90
22.	902	Shri M.D. Rajmachiakar, Pune	22-8-90
23.	958	Shri S.B. Mallik, Calcutta	7-6-90
24.	989	Shri Brij Mohan Lal, New Delhi	24-2-90
25.	1070	Shri B Sitaramaiah, Bangalore	2-10-90
26.	1124	Shri K. Ramanathan, Madras	2-11-90
27.	1189	Shri D.K. Dasgupta, Calcutta	5--5--90
28.	1243	Shri S. Padmanabhan, Madras	9-2-91
29.	1260	Shri R.C. Ghosh, Calcutta	30-11-90
30.	1312	Shri N.U. Raval, Ahmedabad	6-1-90
31.	1352	Shri K.J. Bardi, Bombay	3-6-87
32.	1666	Shri B.R. Sharan, Jamshedpur	11-7-90
33.	1923	Shri P.S. Subramanjam, Madras	13-12-89
34.	1969	Shri L. Rangamani, Alleppey	21-4-90
35.	2165	Shri ML. Surana, Udaipur	15-9-89
36.	2351	Shri V. Rama Mohana Rao, Calcutta	28-9-90
37.	2475	Shri Niranjan Guha, Calcutta	1-3-90
38.	2506	Shri J.L. Kumar, New Delhi	2-11-90
39.	2848	Shri N. Lakshminarayanan, Madras	4-11-89
40.	2930	Shri T.V. Sundararajan, madras	9-12-90
41.	2947	Shri Ram Sharan Singh, Calcutta	21-2-90
42.	3030	Shri S.K. Tarafdar, Pondicherry	19-3-90

1	2	3	4
43.	3083	Shri S.P. Nagrath, New Delhi	23-7-90
44.	3158	Shri K. Sudarsanam, Madras	26-8-90
45.	3214	Shri C.N. Prasad, Madras	17-10-90
46.	3441	Shri S.S. Mittra, New Delhi	1-2-89
47.	3558	Shri Nem Pathak, Calcutta	14-9-90
48.	3575	Shri V.A. Punde, Bombay	2-3-90
49.	3684	Shri A.K. Jhunjhunwala, Calcutta	26-5-90
50.	3923	Shri S.K. Banerjee, Calcutta	13-1-91
51.	3953	Shri V.G. Dadhe, Pune	27-2-90
52.	4115	Shri P.L. Chatrath, New Delhi	27-6-90
53.	4211	Shri M.A.K Kaimal Cochin	1-8-90
54.	4384	Shri G.C. Parikh, Bombay	20-10-90
55.	4395	Shri V.K. Godbole, Pune	3-9-89
56.	4768	Shri N. Appa Rao, Visakhapatnam	21-4-90
57.	4794	Shri G.C. Chaterjee, Calcutta	12-5-90
58.	4878	Shri A.M. Gandhi, Bombay	17-2-91
59.	5482	Shri B.N. Basu, Calcutta	3-7-90
60.	5603	Shri S.M. Sarangadhara, Bangalore	12-4-90
61.	5686	Shri V.H. Kishnadwala, Bombay	20-3-91
62.	5849	Shri P. Sen, Calcutt a	23-9-90
63.	6295	Shri H.P. Lala. Dhanbad	19-2-91
64.	6327	Shr K.C. Korihy, Madras	23-8-90
65.	6396	Shri A. Ray Chaudhuri, Calcutta	14-6-90
66.	6405	Shri Bhola Tiwary, Patna	16-12-90
67.	6416	Shri M.K. Mehta, Pune	9-2-91
68.	6834	Shri C. Rajagopalan, Nagercoil	17-6-90
69.	6891	Shri P.C. Mehta, Jamnagar	18-7-89
70.	7522	Shri B.S. Mittal, Jabalpur	27-9-90
71.	8676	Shri A. Venkatachar, Madras	15-4-90
72	9126	Shri J.S. Hitkari, New Delhi	13-2-91
73.	9388	Shri K.C. Ramakrishna Reddy, Cuddapah	15-7-90
74.	9422	Shri A.C. Sen, Calcutta	31-5-90
75.	10072	Shri Y.N. Bhargava, Jaipur	10-1-91
76.	10307	Shri D.J. Dahivelkar Dhule	20-8-90
77.	11062	Shri R Ramchander, Hyderabad	10-3-90
78.	11865	Shri S.C. Mehta, Jaipur	24-4-90
79.	13069	Shri R.G. Khare, Bombay	19-12-90
80.	16139	Shri A. Rangarajan, Madras	18-10-90
81.	16637	Shri R.B. Bangad Aurangabad	20-10-90
82.	17094	Shri Vinod Trehan Chandigarh	22-9-90
83.	19041	Shri M . Ram Kumar Delhi	18--5-90
84.	21765	Shri K.K. Kuruvilla Kottayam	14-5-90
85.	21833	Shri P. Raj Kumar, Madras	15-2-90
86.	25340	Shri V. Veerachamy, Madras	12-1-91
87.	25613	Shri K. Ramesh, Madras	21-4-90
88.	28530	Shri S. Venkatesha Prasad, Madras	20-2-91
89.	31333	Shri A.H Shah, Barsai	30-3-90
90.	31439	Shri Ravi Shankar, Bombay	20-10-86
91.	32378	Shri S.I. Shaikh, Bombay	26-1-91
92.	32532	Shri S.S. Lalwani, Bombay	28-3-90
93.	33161	Shri Narendra Lath, Gorakhpur	22-7-88
94.	37478	Shri A.V. Date Pune	15-8-90
95.	41189	Shri B. Balachander, Bombay	15-2-90
96.	41505	Shri M.A. Shah Bhuj	6-9-90
97.	50162	Shri A.K. Bhattacharya, New Barikpore	13-1-91
98.	50247	Shri H.R. Chakaraborty, Jaduguda-Mines	18-6-88
99.	71109	Shri S.B. Prasad, Ranchi,	22-1-85
100.	72045	Mrs. Nirmala Mehta, Jaipur	24-4-90
101.	73522	Shri T. Singh, Ranchi	8-1-91
102.	80325	Shri R.K. Qamra, New Delhi	30-10-90
102.	80353	Shri A.K. Sharma, New Delhi	18-5-90
103.	80423	Shri P.K. Shah, New Delhi	18-11-90

1	2	3	4
104.	81225	Shri M. R. Nagappa, Bangalore	3-12-90
105.	82884	Shri Baldev Kumar, New Delhi	21-2-91
106.	82964	Shri Sunil Bharti, Delhi	30-5-90
107.	83205	Shri Anil Wadhwa, New Delhi	7-9-89
108.	86777	Mrs. Arti Nayak, Bangalore	15-2-90
109.	87523	Shri Sandeep Gupta, New Delhi	30-9-90
110.	87807	Shri Mahander Kumar, New Delhi	29-11-89

APPENDIX VI

(Ref. Para 7.2 of the Report)

LIST OF EXAMINATION CENTRES

1. Agra
2. Ahmedabad
3. Allahabad
4. Ambala
5. Bangalore
6. Baroda
7. Belgaum
8. Bhopal
9. Bombay
10. Calcutta
11. Calicut
12. Chandigarh
13. Coimbatore
14. Cuttack
15. Delhi/New Delhi
16. Ernakulam
17. Gauhati
18. Hyderabad
19. Indore
20. Jaipur
21. Jammu
22. Jodhpur
23. Kanpur
24. Kathmandu (Nepal)
25. Kottayam
26. Lucknow
27. Ludhiana
28. Madras
29. Madurai
30. Mangalore
31. Meerut
32. Mysore
33. Nagpur
34. Nasik
35. Patna
36. Poona
37. Raipur
38. Salem
39. Surat
40. Tiruchirapalli
41. Trichur
42. Trivandrum
43. Udaipur
44. Vijayawada
45. Visakhapatnam
46. Yamuna Nagar

APPENDIX-VII

(Ref Para 7.3 of the Report)

PRIZE WINNERS

FINAL EXAMINATION: MAY 1990

The following candidates will be awarded certificates of merit :-

Rank	Roll No.	Name
I	3097	Sanajy Kumar Knemani (Total 571 marks out of 800)
II	3783	Mahendra Kumar Jajoo (Total 543 marks out of 800)
III	4432	Sanjay Kumar Gupta (Total 557 marks out of 800)

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal to the best candidate will be awarded to SANJAY KUMAR KHEMANI, Roll No. 3097.
2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best candidate will be awarded to SANJAY KUMAR KHEMANI, Roll No. 3097.
3. The Ramachandra Singh Prize for the best candidate will be awarded to SANJAY KUMAR KHEMANI, Roll No. 3097.
4. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to MAHENDRA KUMAR JAJOO, Roll No. 3783.
5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to MISS R. BHUVANESWARI, Roll No. 1237 (508 marks out of 800).
6. Th Kerala Verma prize for the best candidate in Group I will be awarded to T. S. V. RAJAGOPAL, Roll No. 7821 (290 marks out of 400).
7. The P. N. Ghosh Memorial prize for the best candidate in Group II will be awarded to SANJAY KUMAR KHEMANI, Roll No. 3097 (304 marks out of 400).

8. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best paper on Accounting (Papers 1 & 2) will be awarded to SUDHEER KUMAR JAIN, Roll No. 4292 (161 marks out of 200).

9. The K. C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper I) will be awarded to KAILASH BEHARI GOEL, Roll No. 3694 (89 marks out of 100).

10. The J. K. Doshi prize for the best paper on Management Accounting will be awarded to SITARAM BHAGWANDAS KHANDELWAL, Roll No. 2100 (83 marks out of 100).

11. The A. F. Ferguson prize and the R. Venkatesan Memorial prize for the best paper on Auditing will be awarded to LAKSHMANA SRINIVASAN, Roll No. 1011 (76 marks out of 100).

12. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi prize to the lady candidate who secured the highest marks in the Paper on Auditing will be awarded to Miss R. PADMA, Roll No. 1333 (67 marks out of 10).

13. The U. C. Majumdar prize and the S. M. Shah prize for the best paper on Company Law will be awarded to SANJAY KUMAR GUPTA, Roll No. 4432 (76 marks out of 100).

14. The N. M. Shah prize, Suri Memorial prize and A. J. Shah-Amita Memorial prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to SANJAY KUMAR KHEMANI, Roll No. 3097 (89 marks out of 100).

15. The T. R. Chadha prize for the best paper on Systems Analysis & Data Processing will be awarded to SHARAD AGGARWAL, Roll No. 5896 (75 marks out of 100).

16. The R. V. K. Umarjee prize for the best paper on Cost Accounting will be awarded to S. V. SUDEVAN, Roll No. 1070 (81 marks out of 100).

17. The Venkatachalam Mohan prize for the best paper on Managerial Economics & National Accounting: No candidate has qualified for the award.

INTERMEDIATE EXAMINATION- MAY, 1990

The following candidates will be awarded certificates of merit :-

Rank	Roll No.	Name
I	30480	Sanjay Kumar Jain (Total 489 marks out of 700).
II	118	Sanjay Sen (Total 479 marks out of 700)
III	10293	Miss Sujatha R. (Total 468 marks out of 700).

1. The G. P. Kapadia First President prize to the best student will be awarded to SANJAY KUMAR JAIN, Roll No. 30480.

2. The J. S. Lodha Gold Medal to the best student will be awarded to SANJAY KUMAR JAIN, Roll No. 30480.

3. Prof. T. S. Grewal Award for the best paper on Accounting will be awarded to SANJAY KUMAR JAIN, Rol No. 30480 (91 marks out of 100).

4. The U. K. Bhargava prize for the best paper on Elements of Income-tax will be awarded to MISS SANGITA JALAN, Roll No. 112 (45 marks out of 50).

5. The Dinesh Himatlal Shah prize and the K. C. Khanna prize for the best paper on Auditing will be awarded to PORUS DARA PAVRI Roll No. 17926 (79 marks out of 100).

6. The Suresh C. Mathur prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to PRADEEP GARG, Roll No. 17029 (70 marks out of 100).

FINAL EXAMINATION-NOVEMBER/DECEMBER 1990

The following candidates will be awarded certificates of merit :-

Rank	Roll No.	Name
I	2684	Miss Sh. Shefali Niranjan Shah (543 marks out of 800)
II	2709	Miss Smita Satish Chandra Roongta (527 marks out of 800)
III	2959	Miss Reena Rajendra Jain (525 marks out of 800)

1. The G. P. Kapadia First President Gold Medal for the best candidate will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684.

2. The J. S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684.

3. The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684.

4. The Jayantilal K. Thakkar Memorial Prize for the candidate who secured the second highest marks will be awarded to Miss Smita Satishchandra Roongta, Roll No. 2709.

5. The R. Sivabhogam Prize for the best lady candidate will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684.

6. The G. Basu Foundation award for the best student of the year 1990 will be awarded to Sanjay Kumar Khemani, Roll No. 3097, May 1990 examination (571 marks out of 800).

7. The N. N. Das Prize for the best student of the year 1990 in Group I will be awarded to T. S. V. Raja Gopal, Roll No. 7821, May 1990 examination (290 marks out of 400).

8. The Kerala Verma Memorial Prize for the best candidate in Group I will be awarded to Miss Reena Rajendra Jian, Roll No. 2959 (267 marks out of 400).

9. The P. N. Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684 (283 marks out of 400).

10. The K. C. Khanna Prize for the best paper on Advanced Accounting (Paper 1) will be awarded 10

B. Parameswaran, Roll No. 5618 (86 marks out of 100).

11. The Sir Shapoorji Billimoria Prize for the best papers on Accountancy (Papers 1 & 2) will be awarded to Dipesh Chanchani, Roll No. 4927 and R. Krishna Swami, Roll No. 5688 (146 marks of 200).

12. The J. K. Doshi Prize for the best paper on Management Accounting will be awarded to Miss Smita Satishchandra Roongta, Roll No. 2709 (86 marks out of 100).

13. The A. F. Ferguson Prize and the R. Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Sandeep Kumar Baid, Roll No. 4246 (71 marks out of 100).

14. The Sukh Nandan Gupta Kapoori Devi Prize to the lady candidate who secured the highest marks in the paper on Auditing will be awarded to Mrs. Soni Jay Thakkar, Roll No. 2946 and Miss Reena Rajendra Jain, Roll No. 2959 (63 marks out of 100).

15. The U. C. Majumdar Prize and the S. M. Shah Prize for the best paper on Company Law will be awarded to Rajesh Kumar Nalani, Roll No. 4830 (70 marks out of 100).

16. The N. M. Shah Prize, Suri Memorial Prize and A. J. Shah—Amita Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws will be awarded to Rajesh Kumar Dhoot, Roll No. 4834 (74 marks out of 100).

17. The T. R. Chadha Prize for the best paper on System Analysis and Data Processing will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684 (73 marks out of 100).

18. The R. V. K. Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting will we awarded to Miss Smita Satishchandra Roongta, Roll No. 2709 (86 marks out of 100).

19. The S. Viswanathan Memorial Prize for the best lady candidate of the year 1990 will be awarded to Miss Shefali Niranjan Shah, Roll No. 2684, November/December 1990 examination (543 marks out of 800).

20. The Balachander Memorial Prize for best student of the year in Group II will be awarded to Sanjay Kumar Khemani, Roll No. 3097, May 1990 examination (304 marks out of 400).

INTERMEDIATE EXAMINATION-NOVEMBER/DECEMBER, 1990

The following candidates will be awarded certificates of merit :-

Rank	Roll No.	Name
I	0015	C. Shankar (Total 482 marks out of 700)
II	27390	Banka Bharatkumar Kailaschandra (Total 465 marks out of 700)
III	23336	Shah Subodh Vijay Kumar (Total 460 marks out of 700).

1. The G. P. Kapadia First President Prize for the best candidate will be awarded to C. SHANKAR, Roll No. 0015.

2. The J. S. Lodha Gold Medal for the best candidate will be awarded to C. Shankar, Roll No. 0015.

3. The Suri Memorial Prize for the best student of the year 1990 will be awarded to SANJAY KUMAR JAIN, Roll No. 30480, May 1990 examination (489 marks out of 700).

4. Prof. T. S. Grewal award for the best paper on Accounting will be awarded to Shri ANISH DD, IP, Roll No. 27529 (94 marks out of 100).

5. The U. K. Bhargava Prize for the best paper on Elements of Income tax will be awarded to CHAKRAVARTI SUNDARARAJAN, Roll No. 3408 (46 marks out of 50).

6. The Dinesh Himatlal Shah Prize and the K. C. Khanna Prize for the best paper on Auditing will be awarded to Miss PRATIBHA PARMESWARAN, Roll No. 25845 (81 marks out of 100).

7. The Suresh C. Mathur Prize for the best paper on Mercantile Law, Company Law and Industrial Law will be awarded to DEVANG ROHIT SHAH, Roll No. 25179 (70 marks out of 100).

APPENDIX VIII

(Ref. Para 8.1 of the Report)

LIST OF BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

W.I.R.C.

1. Ahmedabad
2. Anand
3. Aurangabad
4. Baroda
5. Goa
6. Jalgaon
7. Kolhapur
8. Nagpur
9. Nasik
10. Pune
11. Rajkot
12. Sangli
13. Solapur
14. Surat

S. I. R. C.

1. Alleppey
2. Bangalore
3. Belgaum
4. Calicut
5. Coimbatore
6. Ernakulam
7. Erode
8. Guntur
9. Hubli
10. Hyderabad
11. Kottayam
12. Kumbakonam
13. Madurai
14. Mangalore
15. Mysore
16. Palghat
17. Pondicherry
18. Quilon

19. Salem
20. Tiruchirapalli
21. Tirunelvelli
22. Tirupur
23. Trichur
24. Trivandrum
25. Tuticorin
26. Vellore
27. Visakhapatnam
28. Vijayawada

E. I. R. C.

1. Asansol
2. Bhubaneswar
3. Cuttack
4. Durgapur
5. Gauhati
6. Siliguri

C.I. R. C.

1. Agra
2. Ajmer
3. Allahabad
4. Alwar
5. Bareilley
6. Bhilwara
7. Bhopal
8. Dehradun
9. Dhanbad
10. Ghaziabad
11. Gwalior
12. Indore
13. Jaipur
14. Jamshedpur
15. Jodhpur
16. Kota
17. Lucknow
18. Meerut
19. Noida
20. Patna
21. Raipur
22. Ranchi
23. Udaipur
24. Varanasi

N.I.R.C.

1. Amritsar
2. Chandigarh
3. Faridabad
4. Hissar
5. Jalandhar
6. Jammu
7. Ludhiana
8. Simla
9. Yamunanagar

AUDITOR'S REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India, as at 31st March, 1991 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the accounts of the Institute's Office, Regional Councils and their Branches and Student's Association and their Branches audited by other auditors and report that :

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statement together with the schedules attached and read with notes give a true and fair view :

   (i) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs as at March 31, 1991; and

   (ii) in the case of the Income & Expenditure Account of the Deficit for the year ended on that date.

Sd/-
M. R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

Sd/-
C. P. MEHRA
Chartered Accountant

New Delhi,
Dated : 27th August, 1991

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Accounting Policies

1. The admission fee from fellow members and a major portion of the entrance fee from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities is transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets in the preceding year transferred to Capital Reserve.

2. The Cash Accumulation Scheme of Life Insurance Corporation of India has been taken to cover the entire liability of gratuity to staff.

3. Income & Expenditure from Seminars, Symposiums and Conferences held during the year have been accounted on receipt & payment basis and income from Journal Subscription have been accounted on receipt basis.

4. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or net realisable value for this purpose cost is ascertained on the basis of direct cost method.

5. Investments have been valued at cost.

6. Depreciation : Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on diminishing balance method. Library books have been depreciated on the straightline method. Depreciation on additions is charged for full year.

7. Second instalment of Students Tution Fee is accounted on receipt basis.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1991

	Schedule	31-3-91 Rs.		31-3-90 Rs.	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
SOURCES OF FUNDS:					
1. Capital Reserves	A		42,517,278		36,734,378
2. General Reserve	B		17,698,707		19,055,560
3. Other Reserves	C		3,057,622		2,709,922
4. Secured Loan			2,554,054		
5. Earmarked Funds	D		5,551,231		7,639,907
TOTAL:			71,378,892		66,139,767
APPLICATION OF FUNDS:					
1. Fixed Assets:					
Gross Block		52,872,951		40,440,591	
Less: Depreciation		18,897,239		16,336,641	
Net Block	E		33,975,712		24,103,950
2. Buildings under Construction			3,558,649		5,037,996
3. Regional Libraries			377,207		338,426
4. Earmarked Investments	F		5,551,231		7,639,907
5. Other Investments:					
(a) Fixed Deposits with Banks		12,427,899		16,908,119	
(b) Bonds of Public Sector undertakings		10,193,432		10,228,432	
(c) Units of U·T·I·		300,160		300,160	
			22,921,491		27,436,711
6. Current Assets, Loans & Advances	G	32,083,031		30,555,647	
Less: Current Liabilities		27,088,429		28,972,870	
Net Current Assets			4,994,602		1,582,777
TOTAL:			71,378,892		66,139,767

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT MARCH 31, 1991:—

(1) Accounts of four Branches and nine Students' Associations have not been received. However, grants & fees paid during the year and opening balances of assets and liabilities have been incorporated·

(2) No provision for taxation has been made in view of pending request for exemption notification from Government under section 10(23C) (iv) of the Income-tax Act, 1961 which was hitherto granted upto assessment year 1987-88·

(3) Depreciation on Noida Building has not been provided, since the building was occupied after 31-3-1991·

(4) Secured Loan—Overdraft from bank is secured against bank fixed deposits·

(5) Previous year figures have been regrouped wherever considered necessary·

As per our Report of even date attached·

M·C· NARASIMHAN
Secretary

K.M. AGARWAL
President

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant
New Delhi
Dated 27th August, 1991

C.P. MEHRA
Chartered Accountant

DEVENDRA KUMAR
Deputy Secretary

N.C. SUNDARARAJAN
Vice-President

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1991

	Schedule	1990-91 Rs.	1989-90 Rs.
I. INCOME	H		
(a) Members		32,633,968	32,339,620
(b) Students		40,072,108	35,224,727
TOTAL:		72,706,076	67,564,347
II. EXPENDITURE	I		
(a) Members		33,278,850	31,923,068
(b) Students		40,924,694	35,604,553
TOTAL:		74,203,544	67,527,621
III. (DEFICIT)/SURPLUS FOR THE YEAR			
(i) Transferred to Education Fund	D	(426,293)	(189,913)
(ii) Transferred to General Reserve	B	(1,071,175)	226,639
TOTAL :		(1,497,468)	36,726
TOTAL:		72,706,076	67,564,347

As per our Report of even date attached.

M.C. NARASIMHAN
Secretary

K.M. AGARWAL
President

M.R. VENKATARAMAN
Chartered Accountant

C.P. MEHRA
Chartered Accountant

New Delhi
Dated 27th August, 1991

DEVENDRA KUMAR
Deputy Secretary

N.C. SUNDARARAJAN
Vice-President

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'A'—CAPITAL RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1991	31-3-1990
(A) General:		
Balance as per last account	26,113,989	23,522,245
Add: Admission fees & Allocated Entrance Fee	1,118,200	1,237,600
Add: Donations for Buildings	2,238,159	1,380,919
Less: Adjustments for Entrance fee due from members whose names removed	(30,494)	(26,775)
TOTAL (A):	29,439,854	26,113,989
(B) Education:		
Balance as per last account	10,620,389	8,955,845
add: Transfer from Education Fund	2,457,035	1,664,544
TOTAL (B):	13,077,424	10,620,389
GRAND TOTAL (A)+(B)	42,517,278	36,734,378

SCHEDULE 'B'—GENERAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1991	31-3-1990
Balahce as per last account	19,055,560	18,994,921
Add: (Deficit)/Surplus from Income and Expenditure Account	(1,071,175)	226,639
Less: Amount transferred to Earmarked Funds	(49,249)	(166,000)
Add: Transfer to Other Reserves	(236,429)	
TOTAL:	17,698,707	19,055,560

SCHEDULE 'C'—OTHER RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1991	31-3-1990
Balance as per last account	2,709,922	2,589,239
Add: Net Accretion/Adjustments during the year	146,590	133,312
	2,856,512	2,722,551
Less: Transferred to Earmarked Funds	(35,319)	(12,629)
Less: Transferred from General Reserve	236,429	
TOTAL:	3,057,622	2,709,922

SCHEDULE 'D'—EARMARKED FUNDS

(Amounts in Rupees)

	Particulars	31-3-1991	31-3-1990
(1)	Research Fund	1,000,250	680,250
(2)	Medals & Prizes Fund		
	Balance as per last account	791,470	746,138
	Additions during the year	30,000	15,000
	Income earned during the year	87,591	69,601
		909,061	830,739
	Less: Cost of Medals & Prizes awarded	(51,195)	(39,269)
		857,966	791,470
(3)	Scientific Research Fund	228,682	228,682
(4)	Other Earmarked Funds		
	1. Balance as per last account	3,258,750	3,050,835
	2. Additions during the year	591,382	443,107
	3. Transferred from General Reserve	49,249	166,000
	4. Transferred from Other Reserve	35,319	12,629
	5. Adjustments with other Funds	(86,972)	(80,521)
	Add: Income earned during the year	183,064	267,867
		4,030,792	3,859,917
	Less: Expenditure during the year	(642,011)	(601,167)
		3,388,781	3,258,750
	TOTAL (A)	5,475,579	4,959,152
(5)	Education Fund:		
	Balance as per last account	2,680,755	4,107,956
	Transferred from Income & Expenditure Account	(426,293)	(189,913)
	Interest earned during the year	268,075	410,956
		2,522,537	4,328,999
	Transferred to Capital Reserve	(2,457,035)	(1,664,544)
	Recovery of Loan Scholarship against old w/o	10,150	16,300
	TOTAL (B)	75,652	2,680,755
	GRAND TOTAL (A)+(B)	5,551,231	7,639,907

SCHEDULE 'E'—FIXED ASSETS

(Amount in Rupees)

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK		
	Cost as at 1-4-1990	Adjustment/ Transfers	Additions during the year	Cost as at 31-3-1991	As at 1-4-1990	Adjustment/ Transfers	During the year	As at 31-3-1991	V.D.V. as at 31-3-1991	U.D.V. as at 31-3-1990
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Land	2,602,968	681,700	316,303	3,600,971	—	—	—	—	3,600,971	2,602,968
2. Buildings	15,472,476	(679,110)	8,496,685	23,290,051	3,987,204	(34,143)	579,713	4,532,774	18,757,277	11,485,272
3. Building under constructions	5,037,996	(5,037,996)	—	0	—	—	—	—	0	5,037,996
4. Electric Installations & Fittings	2,216,088	(10,485)	981,813	3,187,416	1,270,107	(972)	114,138	1,383,273	1,804,143	945,981
5. Air Conditioning	2,211,979	140,000	56,229	2,408,208	1,458,760	21,001	148,347	1,628,108	780,100	753,219
6. Furniture & Fixtures	6,148,090	282,365	604,676	7,035,131	2,779,613	26,149	427,177	3,232,939	3,802,192	3,368,477
7. Lifts	309,912	—	—	309,912	212,947	—	9,696	222,643	87,269	96,965
8. Office Equipments	2,711,828	(17,775)	960,740	3,654,793	1,501,733	30,184	243,892	1,775,809	1,878,984	1,210,959
9. Vehicle	106,823	6,579	170,305	283,707	52,129	3,999	45,515	101,643	182,064	54,694
10. Library Books	5,484,354	(31,411)	550,091	6,003,034	4,015,199	(27,305)	601,629	4,589,523	1,413,511	1,469,155
11. Computors	2,753,429	40,300	305,999	3,099,728	1,009,685	6,045	414,797	1,430,527	1,669,201	1,743,744
12. Auditorium (UIRC)	422,644	(422,644)	—	0	49,264	(49,264)	—	0	0	
TOTAL	45,478,587	(5,048,477)	12,442,841	52,872,951	16,336,641	(24,306)	2,584,904	18,897,239	33,975,712	29,141,946
Previous year	38,148,728	(733,029)	8,062,888	45,478,587	13,920,853	(52,421)	2,468,209	16,336,641	29,141,946	

SCHEDULE 'F'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amounts in Rupees)

EARMARKED FUND INVESTMENTS	Fixed deposits with banks/Bonds		Interest Accrued		Balance in Scheduled Bank Accounts		TOTAL	
	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Research Fund	1,000,150	680,250	—	—	100	—	1,000,250	680,250
2. Medals and Prizes Funds	692,165	677,778	38,376	50,820	127,325	62,872	857,866	791,470
3. Scientific Research Fund	224,654	224,654	—	402	4,028	3,626	228,682	228,682
4. Other Earmarked Funds	2,672,530	3,056,840	113,810	24,330	602,441	177,580	3,388,781	3,258,750
SUB-TOTAL	4,589,499	4,639,522	152,186	75,552	733,894	244,078	5,475,579	4,959,152
5. Education Fund	75,652	2,680,755	—	—	—	—	75,652	2,680,755
TOTAL	4,665,151	7,320,277	152,186	75,552	733,894	244,078	5,551,231	7,639,907

SCHEDULE 'G'—NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars			31-3-1991		31-3-1990
1			2		3
Current Assets					
(a) Publications, Study materials and Seatlondry stocks			5,536,052		4,665,065
(b) Amounts Receivable:					
(i) Interest Accrued on Investments		2,006,220		1,580,122	
(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans		1,597,611		1,380,627	
(iii) Security Deposits		524,429		445,830	
(iv) Other Receivables		914,483	5,042,743	1,729,676	5,136,255

1	2		3	
(c) Loans & Advances:				
(i) Loans to Staff:				
Housing & Vehicle Loans	6,319,952		6027,261	
Other Loans	391,313		706,807	
Sub-Total	6,711,265		6,734,068	
(ii) Advances & Prepayments	3,549,693	10,260,958	2,782,362	9,516,430
(d) Cash & Bank Balances		10,985,278		11,237,897
(e) Demand Drafts in hand		258,000		
TOTAL		32,083,031		30,555,647
Less: Current Liabilities:				
(a) Fees received in advance		17,051,823		18,302,778
(b) Creditors for Expenses		7,204,514		8,224,157
(c) Other Liabilities		2,832,092		2,445,935
TOTAL		27,088,429		28,972,870
Net Current Assets		4,994,602		1,582,777

ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1991

SCHEDULE 'H'

(Amounts in Rupees)

INCOME	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Entrance Fee (Allocated)	304,700	408,400	304,700	408,400	—	—	—	—
2. Membership Fee	21,795,140	20,892,164	21,795,140	20,892,164	—	—	—	—
3. Post Graduate Course Fee	21,600	28,400	—	—	21,600	28,400	—	—
4. Students' Registration Fee	1,542,915	1,596,510	—	—	—	—	1,542,915	1,596,510
5. Students' Association Fee	319,775	332,600	—	—	—	—	319,775	332,600
6. Coaching Fee	14,384,658	14,025,518	—	—	—	—	14,384,658	14,025,518
7. Examination Fee	15,833,346	12,126,130	—	—	—	—	15,833,346	12,126,130
8. Journal & News Letter	1,597,079	1,410,033	—	—	791,415	—	805,664	1,410,033
9. Publications	4,704,111	4,883,304	—	—	1,398,430	1,682,261	3,305,681	3,201,043
10. Interest on Investments (Research & Bos)	165,394	174,520	—	—	113,264	113,901	52,130	60,619
11. Nomination Fee for Election to Council & Regional Councils	—	3,025	—	3,025	—	—	—	—
12. Computer centres' income	1,491,536	1,345,788	—	—	1,118,652	1,345,788	372,884	—
13. Seminars' income	3,847,039	4,754,460	—	—	3,669,778	4,754,460	177,261	—
14. Other income	1,644,021	1,401,568	6,671	6,715	711,731	546,613	925,619	848,240
15. Provisions no longer required written back	1,518,794	—	617,952	—	164,877	—	735,965	—
SUB-TOTAL	69,170,108	63,382,420	22,724,463	21,310,304	7,989,747	8,471,423	38,455,898	33,600,693

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Income form General Fund Investments (Allocated) . .	3,016,624	3,220,177	1,538,479	1,642,290	—	—	1,478,145	1,577,887
SUB-TOTAL . .	72,186,732	66,602,597	24,262,942	22,952,594	7,989,747	8,471,423	39,934,043	35,178,58
17. Prior Period income .	519,344	961,750	41,494	879,977	339,785	35,626	138,065	46,147
TOTAL . .	72,706,076	67,564,347	24,304,436	23,832,571	8,329,532	8,507,049	40,072,108	35,224,727

ANNEXURE TO INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1991

SCHEDULE 'I'

(Amount in Rupees)

EXPENDITURE	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			Regulatory		Professional Development & Research			
	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990	31-3-1991	31-3-1990
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Salaries & Staff expenses . . .	22,956,468	21,834,986	6,439,619	3,973,683	2,948,227	4,725,922	13,568,622	13,135,381
2. Printing & Stationery	1,804,743	1,695,774	782,606	138,859	337,427	864,256	684,710	692,659
3. Publications . .	2,749,600	2,712,658	907,845	670,421	521,063	781,275	1,320,692	1,260,962
4. Journal & News Letter	5,869,763	5,797,008	—	—	4,695,810	4,908,122	1,173,953	888,886
5. Coaching expenses .	4,593,258	4,318,480	—	—	—	—	4,593,258	4,318,480
6. Examinations expenses	12,077,007	8,598,277	—	—	—	—	12,077,007	8,598,277
7. Postage, Telephones & Telegrams . .	2,156,663	1,902,232	862,665	408,924	215,666	608,825	1,078,332	884,483
8. Rent, Rates & Taxes .	3,053,622	2,841,298	1,221,449	563,404	305,362	1,004,166	1,526,811	1,273,728
9. Repairs & Maintenance	1,072,048	1,216,535	428,819	227,910	107,205	456,580	536,024	532,045
10. Travelling & Conveyance								
(a) Council Members .	2,757,694	1,725,601	804,061	395,496	1,267,955	924,397	685,678	405,708
(b) Staff & Others .	1,939,045	1,014,594	872,245	179,939	228,989	360,875	837,811	473,780
11. Library Maintenance .	152,362	154,572	—	—	38,090	81,003	114,272	73,569
12. Overseas Relations .	1,137,997	836,671	—	—	1,137,997	836,671	—	—
13. Professional Fees .	779,411	339,001	342,202	197,419	350,714	80,149	86,495	61,433
14. Elections . . .	—	80,823	—	80,823	—	—	—	—
15. Computer centres' expenses . . .	1,319,553	1,280,162	—	—	989,665	1,280,162	329,888	—
16. Seminar's expenses .	4,333,493	4,480,277	—	—	4,161,821	4,480,277	171,672	—
17. Interest on Bank Overdraft . . .	200,090	—	80,036	—	20,009	—	100,045	—
18. Other expenditure .	2,226,514	2,479,134	841,469	—	751,482	1,579,882	633,563	899,252
19. Depreciation . .	2,584,904	2,468,209	1,033,962	617,053	258,490	617,051	1,292,452	1,234,105
SUB-TOTAL: .	73,764,235	65,776,292	14,616,978	7,453,931	18,335,972	23,589,613	40,811,285	34,732,748
20. Prior Period Expenditure . . .	439,309	1,751,329	88,528	—	237,372	879,524	113,409	871,805
TOTAL . .	74,203,544	67,527,621	14,705,506	7,453,931	18,573,344	24,469,137	40,924,694	35,604,553

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1991

(Rupees in lakhs)

	1990-91	1989-90
SOURCES OF FUNDS:		
Net Income from Investments	34.54	38.10
Capital Receipts	39.14	28.17
Bank Overdraft	25.54	—
Realisation of investments	66.05	19.09
SUB-TOTAL:	165.27	85.36
Deficit for the year without charging depreciation & considering non-operational income from investments	(20.98)	(8.94)
TOTAL	144.29	76.42
APPLICATION OF FUNDS:		
Increase in working capital	34.12	2.59
Acquisition of fixed Assets	110.17	73.83
TOTAL	144.29	76.42

STATEMENT OF CHANGES IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1990-91	1989-90
CURRENT ASSETS;		
(a) Publications study Materials & Stationery etc.	8.71	1.43
(b) Amount Receivable:		
(i) Interest accrued on Investments	4.26	0.40
(ii) Interest on housing loans etc.	2.17	2.04
(iii) Security Deposits	0.79	0.14
(iv) Others	(8.15)	4.39
(c) LOANS & ADVANCES		
(i) Advance to staff	(0.23)	8.71
(ii) Others	7.67	10.49
(d) Cash & Bank Balances	0.05	19.71
TOTAL:	15.27	47.31
CURRENT LIABILITIES:		
(a) Fees received in advance	(12.51)	24.96
(b) Creditors for expenses	(10.20)	13.95
(c) Other Liabilities	3.86	6.71
TOTAL	(18.85)	44.72
Net Increase in Working Capital	34.12	2.59

ANALYSIS OF EXPENSES ON MEMBERS FOR 1990-91

Sl. No.	Particulars	1990-91	1989-90
		Rs.	Rs.
1.	(a) No. of Members	58,998	56,213
	(b) Total Expenditure*	33,279	31,923
2.	Total Expenditure per member	564	568
3.	Regulatory		
	(a) Total Expenditure*	14,706	7,454
	(b) Expenditure per member	249	133
	(c) Percentage	44%	23%
4.	Professional Development Research		
	(a) Total Expenditure*	18,573	24,469
	(b) Expenditure per member	314	435
	(c) Percentage	56%	77%

*Rupees in thousands

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th September 1991

No. U-16/53/89-Med.II(Karnt.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. S. M. Shivanna of Mysore to function as Medical Authority from the date he takes over charges—for one year, or till a Full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Mysore Centre at a monthly remuneration as per existing norms, for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA, Medical Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, dated 9th September 1991

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I./1507.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (herein-after referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (herein-after referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Haryana from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No	Name & Address of the establishment	Code no.	Effective date of exemption		C.P.F.C's File No.
1	2	3	4		5
1.	M/s. Parla Biscuits Ltd. Bahadurgarh, Distt. Rohtak including Regd. office at Bombay	PN/5538	1-2-90 31-1-93	to	2/3781/91.DLI
2.	M/s. Bal Bharti School, Bahadurgarh, Distt. Rohtak .	PN/8550	1-2-90 31-1-93	to	2/3763/91.DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Gorup Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp./89/Pt.]1519.—WHEREAS M/s. Tea Estate (India) Ltd. Brooke House, No. 1 Post Office Rd Post Box No. 13, Coonoor-641103 (TN/1055) have applied for exemption under sub-section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Ciscelaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2B) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule. I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Coimbatore from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 Years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE–II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Gorup Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ———— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to allect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/1525.—WHEREAS M/s. Sarvaraya Printers & Publishers, Lawsonsbay Colony-4, Kotba Venkoji Palem, Visakhapatnam-17 (AP/13029) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Empoyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) .

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Visakhapatnam from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-10-89 to 30-9-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme, of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

1. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt/1531.—WHEREAS M/s. CFL Pharmaceuticals Ltd., Rau-de-Qurem, Panjim, Goa-403001 (Goa/9888) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Empoyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I dated 24-9-90 and subject to the conditions specified in Schedule, I annexed hereto I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 1-3-90 to 28-3-93 upto and inclusive of the 28-2-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time. direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee. who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme, of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp.|89|Pt |1537.—WHEREAS M|s The Popular Automobiles (P) Ltd., 4, Mc. Donalds Road, Trichy-620001 (TN/1140), have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Trichy from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-3-89 to 28-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Commsisioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the ma'ority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the emp'over shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the inteerst of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp|89|Pt 1|1573.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereao, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

REGION: Vishakhapatnam

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption	C.P.F.C.s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Eastern India Containers Pvt Ltd., C-20, Industrial Estate, Vishakhapatnam. PIN-530007.	AP/17228	2/1959/DLI/Exem/89/pt. I/ 7932 dated 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3066/90-DLI
2.	M/s. Sarvaraya Sugar's Employees' Co-op Credit Society Ltd, Regd. No. D-1501, Chelluru-533261.	AP/17994	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt, f/7932 datet 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3067/90-DLI
3.	M/s. Sahuwala Cylinders Ltd., Plot No. 242-D, Block, Auto Nagar, Vishakhapatnam-12.	AP/16956	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt.I/106 dated 18-1-91	30-9-91	30-9-91 to 30-9-94	1/3334/90-DLI
4.	M/s. Southern Electrodes Ltd., New Industrial Development Area, Vishakhapatnam-12.	AP/11588	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I/7932 dated 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	I/3063/90-DLI
5.	M/s. Dredging Corporation of India Ltd., Port Area, Vishakhapatnam-33	AP/5965	S-35014/191/85-SS.IV dated 21-8-85	20-8-88	21-8-88 to 20-8-91	2/646/82-DLI
6.	M/s. Sandilya General Industries (Vizag), 15-6-8, Doctor Saleswas Road, Maharanipets, Vishakhapatnam.-530002.	AP/14020	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I/7932 dated 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3064/DLI/90
7.	M/s. Nagnase Electrodes (P) Ltd., Dabagardens, Vishakhapatnam-530020.	AP/16293	2/1959/DLI/Exempt/89/ Pt.I/7932 dated 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3065/90-DLI
8.	M/s The Anakapalli Co-op Marketing Society Ltd., Anakapalli (Post) Near Old Bus Stand, Vishakhapatnam.	AP/1226	S.35014/303/82/PFII (SS.IV),dated 27-6-85	11-2-89	12-2-89 to 11-2-92	2/749/82-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commsisioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the sallent features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interst of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

The 10th September 1991

No 2/1959/DLI/Exemp/89 Pt.1/1543.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 3 years as indicated in attached schedule I against their names.

SCHEDULE-I

Gujarat

Sr. No	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Asarwa Mills, Asarwa Road, Ahmedabad-380016.	GJ/274	S-35014/131/87/SS-II dated 28-12-87	27-12-90	28-12-90 to 27-12-93	2/1660/89-DLI
2.	M/s. Cadila Laboratories Limited, 244 Ghodasar Maninagar, Ahmedabad-380008.	GJ/1357	S-35014/145/82/PF-II/ SS. IV dated 10-6-85	24-9-88	25-9-88 to 24-9-91	2/707/82-DLI
3.	M/s. Co-operative Bank of Ahemdabad Limited, Ahmedabad Bank Chamber Relief Road, Ahmedabad-380001.	GJ/4677	S-35014/206/83/PF-II SS-II dated 24-8-86	16-12-89	17-12-89 to 16-12-92	2/315/80-DLI
4.	M/s. Galaxy Paints, G.I.D.C. Vapi-396195.	GJ/9449-'A'	2/1959/DLI/Exemp/Pt.I/ 3914 dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2766/91-DLI
5	M/s. Erest Chemicals (P) Ltd., Plot Nveo. 203 G.I.D.C., Vapi-396195.	GJ/9449	,,	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2757/90-DLI
6.	M/s. Vapi Polymers (P) Ltd., Plot No.203/2, G.I.DC Vapi-396-195.	GJ/9449-"B"	,,	28-2-90	1-3-90 to 28-2-90	2/2764/90-DLI
7.	M/s. Perface Equipments, L/172, G.I.D.C. Estate, Odhav Road, Ahmedabad-382415.	GJ/11040-'A'	2/1959/DLI/Exemp/Pt.I/ 3914 dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2798/90/-DLI
8.	M/s. Sidmark Laboratories(India) Pvt. Ltd., National Highway No. 8 Abrama Valsad-396001	GJ/15824	2/1959/DLI/Exemp/Pt.I/ 3914 dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2794/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employers.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more

favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adveresly the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse. the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure promp payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/1549.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 3 years as indicated in attached schedule-I against their names.

REGION **Maharashtra** **SCHEDULE-I**

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption exemption	Period for exemption further extended.	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. The Associated Cement Co. Ltd. Cement House, 121 M. Karve Road, Churchgate Bombay-400020.	MH/4095	S-35014/271/85-SS.IV dated 25-11-85	24-11-88	25-11-88 to 24-11-91	2/658/82-DLI
2.	M/s. Exemplar Engg. Pvt. Ltd., 70, Lakshmi Insurance Bldg, Sir P. M. Road, Bombay formerly Know as M/s. Davar Engg. Pvt. Ltd.	MH/6797	S-35014/404/82-PF.II SS.II dated 31-3-86	14-1-89	15-1-89 to 14-1-92	2/777/82-DLI
3.	M/s. Lenzohlm Electrical Engg. Co. Pvt. Ltd., B.S. Devshi Marg, Off-sion-Panvel Road, Deonar, Bombay-88.	MH/11048	2/1959/DLI/Exem/91/ Pt.I/603 dated 3-4-91	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3449/91-DLI
4.	M/s. Camlin Ltd. Art Material Dn. Camlin House, J.B. Nagar, Andheri Bombay-59. Including branches at Delhi, Madras, Calcutta, Bangalore, Pune, Hyderabad, (formerly known as Camlin Ptvt. Ltd.)	MH/9560	S-35014/219/86-SS.II dated 28-8-86	27-8-89	28-8-89 to 27-8-92	2/1417/86-DLI

1	2	3	4	5	6	7
5.	M/s. Camlin Ltd. Pecil Division, D-2 MIDC Area, Vailor, Navapura, Tal. Palghar, Distt. Thane. including its branches at Delhi Madras, Calcutta Bangalore. (foremaly known as Camlin Pvt. Ltd.)	MH/20878	S-35014/236/86-SS,II dated 2-9-86	1-9-89	2-9-89 to 1-9-92	2/1471/86-DLI
6.	M/s. Camlin Ltd./Stationery Division Camlin House J.B. Nagar, Andheri Bombay--9 including its branches at Delh, Madras, Calcutta, Bangalore Hyderabad (foremaly known at Camlin Pvt. Ltd.)	MH/1109	S.35014/230/86-SS.II dated 4-9-86	3-9-89	4-9-89 to 3-9-92	2/1417/86-DLI
7.	M/s. Ewac Alloys Ltd., Saki Vihar Road, P.B. No. 8933, Powai, Bombay-72.	MH/12309	S-35014/102/85-SS.IV Dated 30-4-85	29-4-88	30-4-88 to 29-4-91	2/288/79-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (5A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exemepted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insuraunce Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/15555.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

REGION GUJARAT

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gujarat Water Air pollution Control Board Old Assembly Building, Sector-17, Gandhi Nagar, Gujarat.	GJ/1345	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I dated 29-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/1309/85-DLI
2.	M/s. Baroda Electric meters Ltd, Vithal Udyog Nagar, Vallabh Vidyanagar, Via-Anend, Gujarat.	GJ/4535	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I/ 7858 dated 26-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2782/87/DLI
3.	M/s. Shreyes Co-operative Credit Society Ltd., near Nelkanth Mahadev, Old Pilot Diary, Kankaria Road, Ahmedabad formerly known as shree Shreyas Cooperative Credit Society Ltd.	GJ/7259-A	S-35014(94)87-SS.II dated 14-9-87	13-9-90	14-9-90 to 13-9-93	2/1303/85/DLI
4.	M/s. Moti Lamination (P) Ltd., Plot No. 67/1-2 & 68, G.I.D.C. Estate, Visnagar-384315.	GJ/11575	S-35014/36/85/SS.II dated 28-2-85	27-2-88	28-2-88 to 27-2-91	2/1166/88/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme, of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/15561.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Pudukkottai District Central Co-op Bank Ltd, Pudukkotti-622001 (with branches covered under this) code No.)	TN/4178	2)1959/DLI/Excm/89/Pt. dated 21-5-90	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/2684/90-DLI
2.	M/s. Tamilnadu Fluorine and Allied Chemicals Ltd., 14, SIPCOT Complex, Cuddalore-607005.	TN/17276	S.35614/39/88-SS.II dated 27-6-88	26-6-91	27-6-91 to 26-9-94	2/1755/88-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as comensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme, of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from he receipt of claims complete in all respects.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/1567.—WHEREAS the employers as the establishments mentioned in Schedule-I

(hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry earlies exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Tamil Nadu Chemical Products Ltd., Regd. Office TCP Sapthagiri Bhawan, 10, Karpagambal Nagar, Mylapore, Madras-600004.	TN/12143	2/1599/DLI/Exemp/89/ Pt./3895 dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/273/90-DLI
2.	M/s. The Madurantakam Coop. Sugar Mills Ltd., Chengalput Anna Distt. Tamil Nadu	TN/3466	S-35014(3)86-SS.II dated 5-2-86	4-2-89	5-2-89 to 4-2-92	2/1092/84-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if———on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insrance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) /legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt/1573.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I

(hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Madras from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Geekay Leathers Kathivadi Road, Melvi Sharam, North Arcot Distt. 632509	TN/23183	1-1-1989 to 31-12-1991	2/3770/91-DLI
2.	M/s. A.T.H. Leder Fahrik Kathivadi Road, Melvi Sharam, North Arcot Distt.632509	TN/23182	1-1-1989 to 31-12-1991	2/3771/91-DLI
3.	M/s. Mumtaz Leathers Kathivadi Road, Melvi Sharam, North Arcot Distt. 632509	TN/23184	1-1-1989 to 31-12-1991	2/3772/91-DLI
4.	M/s. Parrys Confectionery Ltd., II Floor,P.B. No.2040, Madras-600001.	TN/345-C	1-4-90 to 31-3-1993	2/3773/91-DLI
5.	M/s. Mack Engineering Co. No. 196, Sidco Industrial Estate, Madras-600098	TN/17610	1-3-1989 to 28-2-1992	2/3774/91-DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if————on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insrance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits, to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased

member who would have been covered the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member antitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/39/Pt.I/1579.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the condition specified in Schedule-II annexed hereto, I, B N SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R. P. F. C. Andhra Pradesh from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name and Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	Harvin Optical & Glass Industries, C-34, Sanath Negar, Hyderabad-500018(A.P.)	TN/3028	1-12-88 to 30-11-91	2/3765/91-DLI
2.	M/s. Integrated Data Systems (P) Ltd., 6-3-542/3, Panja gutta, Hyderabad-500482 (A.P.)	TN/16275	1-3-90 to 28-2-93	2/3766/91-DLI
3.	M/s. The Andhra Pradesh State Co-op Bank Ltd., HO Troop Bazar P.B.. No. 142, Hyderabad-with its 3 zonal office and 13 branches.	TN/2340	1-12-87 to 30-11-90	2/3767/91-DLI
4.	M/s. Surana Strips (P) Ltd., 7th Floor, Surya Towers, S.P. Road, Secunderabad-500003. (A.P.)	AP/16993	1-3-90 to 28-2-93	2/3768/91-DLI
5.	M/s. The A.P. State Handloom Weavers Co.-op Society Ltd., Narayan Guda, Hyderabad-(A.P.)	AP/1472 & 1406	1-3-90 to 28-2-93	2/3769/91-DLI
6.	M/s. Sri Sathavahane Grameena Bank, H.O. Mukrampure, P.B.3, Karim Nagar-505002, Andhra Pradesh.	AP/14310	1-2-88 to 31-1-91	2/3775/91-DLI
7.	M/s. Vertra Locomotives Ltd.. Plot No. 23 B, Patancheru, Medak Distt. (A.P.)	AP/5642	1-9-87 to 31-8-90	2/3776/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the

amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1585.—WHEREAS, the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in contribution of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for afurther period of 3 years as indicated in attached Schedule-I gainst their names.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for further extended	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Bakelite Hylam Ltd., 7-2-1669, Samath Nagar. P.B. No. 1908. Hyderabed-500018 (A.P.)	AP/1511	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt.I/5436 dated 24-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3022/90-EDLI
2.	M/s. Standard Organics Ltd., Plot No. 36 to 44, IDA, Phase-IV, Patancheru. Distt. Medok(A.P.)	AP/12862	S-35014/20/84/-PF.II(SS II) dated-3-3-87	16-3-90	17-3-90 to 16-3-93	2/998/83-EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if———— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval

of the Regional Provident Fund Commissioner Concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme, of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1591.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, In exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Coimbatore from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Date of expiry earlier exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. The Rajlakshmi Mills (P) Ltd., Singanallur Coimbatore--641005	TN/91	1-1-90 to 31-12-92	2/3791/91-DLI
2.	M/s. Sri Akilandesmari Mills (P) Ltd., P.B. No. 931, Gandhi Nagar, Salem-636009.	TN/128	1-3-90 to 28-2-93	2/3792/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. Th employeer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amendd, alongewith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme, of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

The 12th September 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1601.—WHEREAS M/s. Gour Gamin Bank (WB/16303) Station Road, Maldah, West Bengal have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule I annexed hereto, I, B. N| SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal from the operation of the said Scheme for and up to a period of 3 years from 1-4-89 to 31-3-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time. direct under clause (a) of sub-section (3A) Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amendd, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriatelv if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. FPI(142)91/1597.—Whereas M/s Indian Road Construction Corp. Ltd. 6 core 6 Floor Scope Complex 7 Lodhi Place New Delhi-3 has forwarded 4 applications in respect of its employees whose name are reflected in Schedule-I annexed for grant of exmption from Employees' Family Pension Scheme. 1971 under section 17(1-C) of Employees Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to these individual employees of the said establishment are more favourable than the benefits provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore. in exercise of the pwores conferred by subsection (1-C) of section 17 of the said Act. I. B. N. Som Central Provident Fund Commissioner. hereby exempt, the individual employees of the said establishment as given in the Schedule-I to this notification who were under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and were governed by the C.C.S. Pension Rules from the operation of all provisions of the Family Pension Scheme. 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :—

1. these employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme. 1971 from the daet of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The emplover in relation to each of the said employees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such acounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Comissioner may direct from time to time.

Name of Establishment: Indian Road Construction Corporation Ltd. core. 6 Floor 6 Scope Complex 7 Lodhi Place New Delhi-3

Code No. ; NL/7148

Name of Employee	Code No.	Address
1. Sh. Manjit Singh Kohli	DL/7148	H. No. 1 Sector-37, Arun vihar, NOIDA (U.P.)
2. Sh. V. Jayaranam	,,	8, Plot No. 35 Krilon Apptt. N. Delhi-92.
3. Sh. T.V.B. Nair	,,	Koovode P. O. Kullikkol (via) Tawparamba C Annanore Distt. Kerala.
4. Sh. Mohinder Singh Verma	,,	C 11/151 Yamuna Vihar Delhi-52

No. FPI-(148)91/1607.—Whereas M/s Tele Communication Consultants India Ltd., New Delhi. Code No. DL/5371 has forwarded applications is respect of its employees S/Shri H. R. Vigmal, S. N. Gupta and Smt. L. K. Raman for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17(1-C) of Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, and satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to these individual employees of the said establishment are more favourable than the benefits provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1-C) of section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the individual employees of the said establishment as reflected above who were under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and were governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Government orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :—

1. these employees will not be entitled to or claim any benefit (B) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said Employers shall submit such returns to the Regional Provideent Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF TEXTILE
TEXTILE COMMITTEE

Bombay-400009, the 29th June 1991

No. 67/11/87-AD.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) read with clauses (c) of sub-section (2) of Section 23 of the Textiles Committee Act, 1963 (No. 41 of 1963), the Textiles Committee, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations for introducing Group Savings Linked Insurance Scheme, namely :—

1. Short Title : These regulations may be called the Textiles Committee Employees (Group Savings Linked Insurance Scheme) Regulations 1989.

2. Date of effect : The Textiles Committee Employees Group Savings Linked Insurance (GSLI) Scheme hereinafter referred to as the 'Scheme' shall be deemed to have come into force with effect from 20th May, 1989. The Scheme will be implemented through the Life Insurance Corporation of India in accordance with the rules of Group Savings Linked Insurance Scheme framed by the Life Insurance Corporation of India from time to time.

3. Objective : The Scheme is intended to provide for the employees of the Textiles Committee, at a low cost on a wholly contributory basis, the twin benefits of an insurance cover to help their families in the event of death in service and lump-sum payment to augment their resources on retirement.

4. Application : The Scheme shall apply to all regular employees of the Textiles Committee including those in the Regional Offices under the administrative control of the Committee, who are not less than 18 years of age and not more than 57 years.

5. Membership :

(1) The Scheme will be compulsory for all those employees who enter Textiles Committee's service after the scheme is notified in the Official Gazette.

(2) The employees, who are already in Textiles Committee's service on the date the scheme is notified, will have an option to opt out of the scheme. This option should be exercised by the date notified for this purpose. The employees who do not opt out of the scheme by that date will be deemed to have become members of the scheme from the date the same has come into force. The option once exercised (or not exercised) will be treated as final and no further choice will be available.

(3) An employee who enters service after the actual date of introduction of the scheme shall be enrolled as member on the next anniversary of the scheme.

6. Subscription for Members :

(1) The subscription for the Scheme will be in units of Rs. 10/- per month. A group 'D' employee will subscribe for one unit, a Group 'C' employee for 2 units, a Group 'B' employee for 4 units and a Group, 'A' employee for 8 units. Thus, the rate of subscription for a member of the scheme shall be Rs. 10/-; Rs. 20/- Rs. 40/- and Rs. 80/- per month for Group D, C, B, and A employees respectively.

(2) In the event of regular promotion of an employee from one group to another, his subscription shall be raised from the next anniversary of the Scheme to the level appropriate to the Group to which he is promoted. Until the date of the next anniversary of the Scheme, he shall continue to be covered for insurance for the same amount for which he was eligible before such promotion.

7. Premium and Insurance cover for employees other than members : An employee entering service in a month other than May falling after May 1989 will be given benefit of appropriate insurance cover on the date of joining Committee's service to the date of his becoming member of the 'Scheme' on payment of appropriate subscription per month as the premium for every Rs. 10,000/- of the insurance cover and from the date of the anniversary of the scheme he will pay subscription at the rate indicated in para 6 above.

8. Insurance :

(1) In order to provide an insurance cover to each member of the 'Scheme' a portion of the subscription shall be credited towards insurance.

(2) The amount of insurance cover will be Rs. 10,000/- for each unit of subscription. It will be paid by the Life Insurance Corporation of India to the facilities of those 'employees' who unfortunately die, due to any cause, while in Textiles Committee's service.

9. Savings Fund :

(1) The balance of the subscription shall be credited to Savings Fund by the Life Insurance Corporation of India. The amount in the Savings fund be held by the Life Insurance Corporation of India to the facilities of those 'employees' who gether with interest thereon will be payable to the member, on his retirement after attaining to the age of superannuation or on cessation of his employment with the Textiles Committee or his family on his death while in service.

(2) The compound interest to be allowed on the balance of Savings Fund would be at the rate of interest as may be declared by the Life Insurance Corporation from time to time. If at any time the rate of interest changes and/or the cost of insurance changes the benefits available from the savings fund will also change correspondingly.

(3) In the case of death of a member the payment of the amount of insurance will be in addition to the payment from the savings fund.

(4) The positive balance under the Savings Fund shall be credited with the amount of interest calculated at the rate of interest mentioned above by the Life Insurance Corporation.

10. Recovery of subscription :

(1) The subscription of a member for a month shall fall due at the commencement of the normal working hours on the 1st of that month.

(2) The subscription as a premium for the insurance cover from the date of joining Committee's service to the date of obtaining membership of the 'Scheme' shall initially fall due on the date of joining and subsequently from the commencement of normal working hours on the 1st of every month.

(3) The subscription for a month shall be recovered by deduction from the salary/wages of the 'employees' for the previous month irrespective of the date of actual payment of salary/wages for the month.

(4) The drawing and disbursing officer shall recover the subscription from the employees irrespective of their being on duty or leave or under suspension.

(5) If an employee is on extraordinary leave and there is no payment of salary/wages for any period, his subscription for the month for which no payment of salary/wages is made to him shall be paid by the Textiles Committee to Life Insurance Corporation of India in the respective month, for which subscription is due. The Committee shall, however, recover the dues from such employee alongwith interest at 11 per cent. The subscription amount recovered will be adjusted against the amount due from them and interest will be credited as miscellaneous receipts of the Committee. If an employee dies, while on extraordinary leave, the subscription due from him shall be recovered with interest from the payments admissible to his family under the scheme on the accretions to the Savings Fund or any other amount payable.

(6) If an 'employee' proceeds on deputation or on foreign service, the borrowing authority/foreign employer shall be requested to effect recovery of the subscription and remit the same to the Committee. It shall be ensured that necessary clauses to this effect is included in the terms of deputation/foreign service. The recovery of this amount will be watched in the same manner as applicable to leave salary and pension contribution. If at any time the recovery of subscription falls in arears, the same shall be recovered with interest at 11 per cent per annum.

11. Financing of subscription from General/Contributory Provident Fund :

(1) It will not ordinarily be permissible to finance the 'Scheme' from the General/Contributory Provident Fund. However, if at any stage the position of an individual member does not permit him to subscribe to the 'Scheme' and to the General/Contributory Provident Fund at the same time he may be permitted to make, as a separate transaction a non-refundable withdrawal from the General/Contributory Provident Fund of an amount equivalent to the year's subscription paid for the 'Scheme'.

(2) The subscription to the 'Scheme' will form part of deductions allowable in respect of Life Insurance Premium contributions to Provident Fund etc., in computing the total income of the subscriber for the purposes of income-tax except to the extent of the amount finally withdrawn from the General/Contributory Provident Fund on account of such subscription.

12. Payment from Insurance/Savings Fund :

(1) If an 'employee' retires on attaining the age of superannuation or otherwise ceases to be in Textiles Committee's services and his service book discloses that he has been a member of the 'Scheme', the Head of Office, shall intimate the fact to the Life Insurance Corporation of India for settlement of the amount due to him from savings fund.

(2) If an 'employee' dies while in service and his service book discloses that he was a member of the 'Scheme' the Head of Office shall intimate the fact to Life Insurance Corporation of India for settlement of insurance amount and amount due from savings fund. The Life Insurance Corporation of India will, thereafter, arrange to make payments to the nominees/heirs of the employee through the Textiles Committee.

(3) The amount payable to the nominee/heirs of an employee who had the benefit of an insurance cover only will be the amount of insurance appropriate to his group.

(4) The amount payable to the nominee/heirs of a member of the 'Scheme', who dies while in in service, shall be the amount of appropriate insurance to which he was entitled at the time of his death, plus amount due to him out of the Savings Fund for the entrie period of his membership.

(5) The amount payable to an 'employee' who ceases to be in employment of the Textiles Committee on acount of resignation, retirement, tremination etc., shall be the amount due to him out of the Savings fund for the entire period of his membership.

13. Withdrawals : No withdrawal is permissible from the subscription paid towards Insurance and Savings Fund. The amount due to him from the Fund on his cessation of employment on account of resignation, retirement, termination etc., shall be worked out and paid by the Life Insurance Corporation of India, through the Textiles Committee.

14. Loans/Advances from or/against accumulations in Insurance Savings Fund : No loans or advances shall be paid to any member or other beneficiary of the 'Scheme' from or against his accumulations in the Insurance and Savings Fund to which he has been subscribing.

15. Every member of the 'Scheme' shall be informed in form No. 1 about the date of his enrolment, the subscription to be deducted and the benefit to which he would be eligible. On his regular promotion from one group to another he will be similarly informed in form No. 2.

16. The option exercised by the 'employees' who are already in the service of the Textiles Committee on the date the 'Scheme' is notified shall be in form No. 3 and will be pasted in the service book of the individuals concerned.

17. Nomination :

(1) The Head of Office shall obtain from every employee who is a member of the 'Scheme', a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may become payable under this 'Scheme' in the event of his death before attaining the age of superannuation. In the case of 'employee' who are already in service on the date of 'Scheme' comes into force and who do not opt out of the 'Scheme' such nomination shall be obtained simultaneously with the options obtained from others and in the case of 'employees' who join service after the date on which the 'Scheme' is notified, such nomination shall be obtained alongwith the joining report.

(2) If a member of the 'Scheme' has a family at the time of his making the nominations, he shall make such nomination only in favour of a member or members of his family. For this purpose, family will have the same meaning as assigned to it in the Textiles Committee's Provident Fund Rules.

(3) If a member nominates more than one person, he should specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner so as to cover the whole of the amount payable under the 'Scheme' failing which the amount payable under the 'Scheme' shall be equally distributed among the nominees.

(4) The nomination shall be made in form appended as Annexure-I or Annexure-II as is appropriate in the circumstances.

(5) A member of the 'Scheme' may at any time cancel a nomination by sending a notice to the Head of Office alongwith a fresh nomination made in accordance with the above provision.

(6) The nomination received from the members shall be counter-signed by the Head of Office and pasted in their service books. The Head Office shall also make an entry in the Service Book that the nomination has been duly received.

18. Interpretation and Clarification :

(1) If any categories of 'Employees' are not specifically classified into Group A, Group B, Group C and Group D, their classification shall be assumed in accordance with the principles laid down in this regard under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(2) In the actual implementation of the 'Scheme' if any doubt arises in regard to the interpretation of any of the provisions of this 'Scheme' or if any point requires clarification, the matter will be decided in consultation with the Life Insurance Corporation of India and the Ministry.

19. Discontinuance of the 'Scheme' : The Committee may discontinue the 'Scheme' at any time subject to, by giving three months previous notice to the members and to the Life Insurance Corporation of India.

C. R. MEHTA, Secretary.

Form No. 1

TEXTILES COMMITTEE

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF TEXTILES

Date .....

MEMORANDUM

Shri ..... a Group .... employee has been enroled as a member of the Textiles Committee Employees Group Savings Linked Insurance Scheme, 1989 w.e.f. .... His monthly subscription of Rs. _____ (Rupees .....) shall be deducted from his salary/wage commencing from the month of .....and he will be eligible to the benefits of the Scheme appropriate to Group ....

Head of Office

To,

Shri : *.....

*Name and designation of the employee.

Form No. 2

TEXTILES COMMITTEE

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF TEXTILES

Date .....

MEMORANDUM

Shri .... has been promoted on a regular basis, from Group .....

to Group .... w.e.f. .....

His monthly subscription for the Textiles Committee Employees Group Savings Linked Insurance Scheme, 1989 shall be raised from Rs. ..... to ..... from the month of ..... and he will be eligible to the benefits of the Scheme appropriate to Group .... w.e.f. ..... .

(HEAD OF OFFICE)
SIGNATURE

To,

Shri* : .....

*Name and designation of the employee.

Form No. 3

LETTER OF ADMISSION AN AUTHORITY

Date .....

The Secretary
Textiles Committee
Bombay.

Sir,

Ref : Group Savings-Linked Insurance Scheme

I Wish to join the Group Savings-Linked Insurance Scheme arranged with the Life Insurance Corporation of India and request you to admit me as an Insured member of the Scheme with effect from .....
I hereby authorise you to deduct a sum of Rs..... as contribution towards the scheme from my salary starting from the salary for the month of .....
I further agree that this letter of authority shall not be revoked me by me so long as I am a regular employee. My date of birth as recorded in ..... certificate sent herewith, is .....

Yours faithfully,

.....
(Signature)

Name .....
Designation
Department & Officer .....

ANNEXURE-I

Nomination for benefits under the Textiles Committee Employees Group Savings Linked Insurance Scheme.

When the employee has a family and wished to nominate one member or more than one member thereof.

I hereby nominate the person(s) mentioned below, who is/are member(s) of my family, and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Textiles Committee under the Textiles Committee Employees Group Savings linked Insurance Scheme. In the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death:—

Names and address of nominee/nominees	Relationship with employee	Age
1.		
2.		
3.		

*Share to be paid to each	Contingencies on happening of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the employee

N.B. The employee should draw line across the blank space below his last entry to prevent insertion of any names after he has signed.

Dated.....this.....day of.....19.....at.....

Signature of two witness

1. .....

2. .....

Signature of employee

Name : .....
Designation : .....

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may be payable under the scheme.

ANNEXURE-II

Nomination for benefits under the Textiles Committee Employees Group Savings Linked Insurance Scheme. When the employee has no family and wishes to nominate one person or more than one person.

I having no family, hereby nominate the person/persons, mentioned below and confer on him/them the right to receive to the extent specified below any amount that may be sanctioned by the Textiles Committee under the Textiles Committee Employees Group Savings linked Insurance Scheme in the event of my death while in service or which having become payable on my attaining the age of superannuation may remain unpaid at my death.

Name and Address of nominee/nominees	Relationship with employee	Age
1.		
2.		
3.		

*Share of amount to be paid to each.	Contingencies on the happening** of which the nomination shall become invalid.	Name, address and relationship of the person, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event, of his predecasing the employee

Dated.....this day of.....19.....at .....

Two witnesses Signature.

1. .....

2. .....

Signature of the employee.
Name : .....
Designation : .....

N.B. :The employee should draw line across the blank space below his last entry to prevent the insertion of any names after he has signed.

*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may be payable under the scheme.

**Where an employee who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently accurring a family.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991